(BK)LW3181

168

भारत का विधि आयोग

अवकर अधिनिबम, 1972

विषय

पर

एक सौ अड़सठवीं रिपोर्ट

मार्च, 1999

न्यायमूर्ति
बी॰पी॰ जीवन रेड्डी
चेयरमैन, भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110 001
दू॰भा॰ 3384475
निवास:
1, जनपथ
नई दिल्ली-110 011
दू॰भा॰ 3019465

अ॰शा॰सं॰ 6(3)(39)/96-एल॰सी॰ (एल॰एस॰)

दिनांक 18-3-1999

प्रिय डा॰ एम॰ थम्बीदुरै,

मैं एतद द्वारा "अवकर अधिनियम, 1972" पर एक सौ अड़सठवीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं।

2. आयोग ने यह विषय भारत सरकार के दिनांक 30 सितम्बर, 1996 के निर्देश के अनुसरण में लिया है। पहले भी आयोग ने इस विषय का गहन अध्ययन किया था और "अवक्रय विधि" पर अपनी 20वीं रिपोर्ट मई, 1961 में प्रस्तुत की थी। आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में संसद ने अवक्रय अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया था। अवक्रय कारोबार में लगी बहुत सी कम्पनियों ने इस अधिनियम के कतिपय दोषों की ओर इंगित किया अतः उक्त अधिनियम लागू नहीं किया जा सका। भारत सरकार ने संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गयीं टिप्पणियों के अनुसरण में अवक्रय (संशोधन) अधिनियम, 1989 पुरःस्थापित किया। इसीलिए, भारत सरकार ने अवक्रय विधि का सम्पूर्ण मामला गहन अध्ययन के लिए आयोग को निर्दिष्ट किया है।

3. अवक्रय संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए एक पृथक अवक्रय विधि की आवश्यकता है। अवक्रय व्यापार के व्यवहार में कतिपय दुरुपयोगों के विरुद्ध वस्तुओं का अवक्रय करने वाले क्रेताओं को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से भी इस प्रकार की विधि अनिवार्य है। वस्तुओं के स्वामियों के लिए भी कुछ सुरक्षोपाय आवश्यक हैं।

4. इस विषय पर उनके विचार जानने के लिए आयोग ने संबंधित हितबद्ध वर्गों को "अवक्रय विधि" पर एक प्रश्नावली परिचालित की। उनके विचारों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 और अवक्रय अधिनियम, 1972 में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की है। सुविधा के लिए आयोग ने अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 भी संलग्न (रिपोर्ट का अनुबंधक) किया है। जिसमें तथा मूल अधिनियम में हमारे द्वारा सुझाए गए संशोधन भी सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुविधा तथा तत्काल निर्देश की दृष्टि से रिपोर्ट के अनुबंध-ख में अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा संशोधित अवक्रय अधिनियम, 1972 को संलग्न किया है। यदि आयोग द्वारा सुझाए गए सभी संशोधन संसद द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तो अवक्रय अधिनियम, 1972 का पाठ इस प्रकार होगा जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया गया है।

सादर,

भवदीय,
ह॰
(बी॰ पी॰ जीवन रेड्डी)

डा॰ एम॰ थम्बीदुरै,
माननीय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

अध्याय-एक

प्रस्तावना

विषयः— विधि-आयोग ने माल विक्रय अधिनियम पर अपनी आठवीं रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः—

अधिनियम में किसी अवक्रम संव्यवहार, को जो वस्तु विक्रय की एक पद्धति है, विनियमित करने का कोई उपबन्ध नहीं है। इसमें क्रय के विकल्प के साथ प्रारम्भ में कोई वस्तु किराये पर ली जाती है।

इंगलैंड के वस्तु विक्रय अधिनियम, 1893 में इस प्रकार के संव्यवहार के लिए कोई उपबन्ध नहीं था। इसलिए, अवक्रय व्यापार के संव्यवहार में पाये गये प्रत्यक्ष दुरुपयोगों से वस्तुओं का अवक्रय अथवा ऐसी ही शर्तों पर क्रय करने वाले क्रेता को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से एक पृथक अधिनियम, अर्थात् अवक्रय अधिनियम, 1938 के द्वारा ऐसा उपबन्ध किया गया (1 और 206, सी 53) इस अधिनियम का परिपूरक अवक्रय अधिनियम, 1954 (2 और 3 एलिज, 2 सी० 51) बनाया गया।

हमारे विचार में अवक्रय संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए भारत में भी, इंगलैंड के अवक्रय अधिनियम तथा ऐसी अन्य विधियों की भांति एक पृथक अधिनियम बनाया जाना चाहिए। आयोग इस संबंध में किसी पृथक रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें देगा।

1.2 **रिपोर्ट की उत्पत्तिः**— विगत कुछ दशा विषयों में भारत में अवक्रय संव्यवहारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अवक्रय संव्यवहारों की वृद्धि और ऐसे संव्यवहारों की जटिलताओं के कारण ही आयोग ने इस विषय को अध्ययन के लिए चुना है। आयोग ने विषय का गहन अध्ययन किया और "अवक्रय विधि" पर मई, 1961 में अपनी 20वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने इस रिपोर्ट के साथ अवक्रय विषय पर एक विधेयक भी संलग्न किया। भारत की संसद ने विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अवक्रय अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया।

1.2.1 भारत सरकार ने सा०का०नि० 226(ड) दिनांक 13.4.1973 द्वारा यह अधिसूचित किया कि अधिनियम 1.6.1973 से प्रभावी होगा। अवक्रय कारोबार में लगीं अथवा अवक्रय संव्यवहारों की वित्तपोषण कर रहीं बहुत सी कंपनियों ने अधिनियम में कतिपय दोष बताते हुए सरकार को अभ्यावेदन दिया और अवक्रय अधिनियम को लागू करने के निर्णय को स्थगित करने का अनुरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने अधिसूचना सा०का०नि० से 266 (ड) दिनांक 3.6.1973 जारी की जिसमें पिछली अधिसूचना रद्द कर दी गई और अधिनियम को प्रभावी बनाने की तिथि 1.9.1973 नियत की गई। इसी बीच, श्री आर० टी० पार्थासार्थी, संसद सदस्य ने, जो संयुक्त समिति के चेयर मेन थे जिसने अवक्रय विधेयक की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दिनांक 10.8.1973 को विधि और न्याय मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें अधिनियम में कतिपय विसंगतियां दर्शायी गयीं। इसके परिणाम स्वरूप दिनांक 30.8.1973 सा०का०नि० सं० 402 (ड) जारी की गई जिसके द्वारा 1.9.1973 से जैसी कि अधिसूचना जारी की गई थी अधिनियम के लागू होने को रोक दिया गया मामला वहीं स्थिर हो गया।

1.2.2 अवक्रय अधिनियम, 1972 को लागू करने के प्रश्न से संबंधित याचिका समिति, राज्य सभा की 24 अप्रैल, 1987 की रिपोर्ट में अधिनियम को लागू न किए जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दुखद स्थिति को नोट किया है और सिफारिश की है कि अवक्रय अधिनियम, 1972 को अधिसूचित करने तथा क्रियान्वित करने के लिए अविलम्ब तुरन्त कदम उठाए जाएं।

1.2.3 विधि और न्याय मंत्रालय ने सम्यक् अनुक्रम में अवक्रय अधिनियम के संशोधन के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक तैयार किया जो 5 मई, 1989 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया इस विधेयक की एक प्रति संदर्भ के लिए अनुबंध-ग के रूप में संलग्न की जा रही है। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति से संबंधित नियमों के अनुसरण में राज्यसभा के सभापति ने विधेयक की जांच करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए इसे गृहकार्य संबंधी समिति को निर्दिष्ट कर दिया। समिति ने विधेयक पर विचार किया और विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने तथा निम्नलिखित सिफारिशें/टिप्पणियां कीं:—

(एक) अवक्रय अधिनियम, 1972 में पारित होने के पश्चात् से अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। इस बीच,

विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि यह विधान व्यवसायी तथा उपभोक्ता दोनों के ही अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है इसलिए विधान में परिवर्तनों को दर्शाया जाना अनिवार्य हो गया है अन्यथा इस क्षेत्र में किया गया समस्त प्रयास निरर्थक हो जाएगा।

(दो) विधेयक जिसके अवक्रय अधिनियम, 1972 के लगभग आधे उपबन्धों में व्यापक संशोधन करने और कुछ मामलों में तो अधिनियम के समस्त उपबन्धों के स्थान पर नए उपबंध प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, मूल अधिनियम का क्रियान्वयन लम्बित रहने के कारण ही लाया गया है। अतः अधिनियम में जहां तहां संशोधन करने के बजाय इस विषय पर एक नया विधान लाना ही आवश्यक हो गया है।

(तीन) विधेयक के कुछ उपबन्ध इतने तकनीकी और जटिल हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए जो विषय वस्तु से संबंधित है उन्हें समझ पाना बहुत कठिन है। अतः उन उपबन्धों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का यह सुविचारित मत है कि वर्तमान विधेयक वांच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्तन नहीं है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार, उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अवक्रय से संबंधित इस सम्पूर्ण मामले को गहराई से जांच करने के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट करे और तत्पश्चात् इस विषय पर यथा संभव शीघ्र एक व्यापक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत करे।

1.2.4 **सरकार द्वारा दिया गया निर्देश**

समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार, उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अवक्रय से संबंधित इस सम्पूर्ण मामले को गहराई से जांच करने के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट करे और तत्पश्चात इस विषय पर यथा संभव शीघ्र एक व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत करें। तद्नुसार अवक्रय विषय पर गहराई से जांच करने के लिए सरकार द्वारा इसे विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया।

1.2.5 **आयोग द्वारा परिचालित की गई प्रश्नावली**

आयोग ने अवक्रय विधि पर बार एसोसियेशनों राज्य सरकारों, अधिवक्ताओं प्रसिद्ध न्यायविदों अन्य संबंधित पक्षों को इस विषय पर उनके विचार जानने के लिए एक प्रश्नावली परिचालित की, प्राप्त हुए विचारों का विश्लेषण करने से पूर्व "अवक्रय" शब्द की ऐतिहासिक अवधारणा और हमारे न्यायालयों में इस विषय के विकास को जान लेना उचित होगा।

1.3.1 **अवक्रय संव्यवहारों का विकास**

योरोप में औद्योगीकरण बहुत पहले आरम्भ हुआ था और इसके आरम्भ से आज तक शताब्दियां बीत चुकी हैं। योरोप में औद्योगीकरण की दौड़ में इंगलैण्ड की स्थिति नेतृत्व की रही है। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ भागों का योरोपीय शक्तियों द्वारा औपनिवेशीकरण उपनिवेशन उनके उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई और बाद में अपने उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने के उद्देश्य से आरम्भ हुआ। तथापि, उपनिवेशी बाजार देशों की अपनी निर्धनता पिछड़ेपन और अज्ञान के कारण मूलतः आकर्षक नहीं थे इसलिए उप निवेशी स्वामित्वों को अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रणाली संभवतया अवक्रय और उधार विक्रय प्रणाली थी।

1.3.2 इंग्लैण्ड में पर वस्तुओं का उधार विक्रय करने का व्यवहार वस्तुओं के मूल्य का भुगतान किश्तों में करने का, बहुत पुराना है। परन्तु वाणिज्यिक संस्थान के रूप में अवश्य का अस्तित्व उनीसवीं शताब्दि के उतरार्ध में आया प्रतीत होता है। उसी समय, औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर मध्य तथा ब्रिटिश वैगन कम्पनियों ने कोलियरियों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे वैगनों की खरीद का ब्रिजपोषण करना आरम्भ कर दिया और दागमी अग्रिम राशियों की प्रतिभूति अवक्रय संव्यवहार द्वारा दी गई। बाद में, मोटर कार आ जाने से अवक्रय के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ और अब उपभोक्ताओं की आवश्यकता का अधिकांश टिकाऊ वस्तुओं के लिए अवक्रय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

1.3.3 इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जबकि मूलभूतरूप में कृषि आधारित समाज का परिवर्तन औद्योगिक समाज के रूप में होता है तब विभिन्न पक्षों के कतिपय अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए

वाणिज्यिक अथवा कारोबार संबंधी विधि अधिनियमित करनी पड़ती है। वाणिज्यिक व्यवहार में अन्तर होने के कारण अवक्रय विधि विक्रय विधि से पर्याप्त रूप से भिन्न है। इस प्रकार वस्तुओं के विक्रय से संबंधित विद्यमान अधिनियम अवक्रय संव्यवहारों के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

भारत में तेजी से हुए औद्योगिक विकास के बावजूद तथा इस सामान्य मान्यता के बावजूद कि भारत विश्व में शीर्ष के औद्योगीकृत देशों में आता है भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है और दूसरी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है जो औद्योगीकरण के प्रभाव से परे है। तथापि बड़े शहरों में, अवक्रय प्रणाली के माध्यम से वाणिज्यिक संव्यवहारों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ऐसे संव्यवहारों में मोटर गाड़ियों की खरीद, घरेलू साजसामान मकान और फलैटों की खरीद आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम भी मकान बना रहे हैं और अवक्रय आधार पर बेच रहे हैं।

1.4 **अवक्रय की अवधारणः** "अवक्रय" शब्द का प्रयोग सामान्य चर्चा में सभी प्रकार के किस्तों में किए गए व्यापार के लिए किया जाता है। किस्त-संविदा के दो प्रकार सामान्य प्रयोग में आते हैं अवक्रय करार और उधार विक्रय करार (कभी इसे आस्थगित संदाय विक्रय करार भी कहा जाता था) अवक्रय करार का अर्थ यह माना जाता है कि वस्तुओं का विक्रेता वस्तुओं को भाड़े पर देगा और उपभोक्ता उन्हें निश्चित अवधि के लिए किराये पर लेगा और सहमत भाड़े का संदाय समस्त किराये की अवधि तक किस्तों में करेगा और यह कि उपभोक्ता द्वारा समस्त किस्तों की राशि का संदाय कर दिए जाने पर वह वस्तुओं का स्वामी बन जाएगा। यह भी प्रथा है कि उपभोक्ता को किराया अवधि के दौरान किसी समय सही स्थिति में वस्तुओं को वापस करने तथा किराया देना बंद करने का भी अधिकार होगा बशर्ते कि उसने कुल किराया राशि के सहमत भाग का और समय पर न चुकाई गयी किन्हीं किस्तों का भी संदाय कर दिया हो। इसलिए, इस प्रकार का संव्यवहार, किराये की संविदा है जिसमें क्रय का विकल्प है और जब तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं लिया जाता तब तक विक्रेता वस्तु का स्वामी रहता है। दूसरी ओर, उधार विक्रय करार विक्रय की एक संविदा है जिसमें ये व्यवस्था है वस्तु का स्वामी वस्तु का विक्रय करेगा और क्रेता वस्तु का क्रय करेगा और वस्तु के सहमत मूल्य का किस्तों में संदाय करेगा। वस्तुओं का स्वामित्व करार पर हस्ताक्षर हो जाने के तुरन्त पश्चात अन्तरित हो जाता है और क्रेता क्रय मूल्य की बहुत सी किस्तों का देनदार हो जाता है।

1.4.1 अवक्रय करार से ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन माल भाड़े पर दिया जाता है और अवक्रेता को यह विकल्प रहता है कि वह उस करार के निबंधनों के अनुसार उस माल को क्रय कर ले और इसके अन्तर्गत ऐसा करार भी है, जिसके अधीन—

(i) माल के स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति को माल का कब्जा इस शर्त पर दिया जाता है कि वह व्यक्ति करार की गई एकक का संदाय कालिक किस्तों में कर दे, तथा

(ii) ऐसी किस्तों में से अन्तिम किस्त के संदाय पर माल में सम्पत्ति इस व्यक्ति को संक्रान्त होती है, और

(iii) उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सम्पत्ति के ऐसे संक्रान्त होने से पूर्व किसी भी समय उस करार को समाप्त कर दे;

1.4.2 अवक्रय ऐसा संव्यवहार या प्रणाली है जहां कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस शर्त पर भाड़े पर लेने के लिए सहमत है कि वह भाड़े के रूप में कतिपय किस्तों का संदाय और अपनी इच्छा के अनुसार क्रय के विकल्प के रूप में अतिरिक्त राशि का संदाय कर देता है, तो वह उस वस्तु का स्वामी हो जाएगा।

1.4.3 **इंग्लैण्ड-6 को हेल्सबरी की विधि के अनुसार**

"अवक्रय करार से सशर्त विक्रय करार से भिन्न ऐसा करार अभिप्रेत है। जिसके अधीन—

(1) उस व्यक्ति द्वारा, जिस के लिए वस्तुएं उपनिहित की गई हैं कालिक संदाय पर वस्तुएं उपनिहित की जाती हैं और (2) वस्तुओं की सम्पत्ति उस व्यक्ति को संक्रान्त की जायेगी यदि करार के निबंधनों का पालन किया जाता है और या (क) उपनिहित वस्तुओं के क्रय करने के विकल्प का उपयोग करता है (ख) करार का कोई भी पक्ष कोई विनिर्दिष्ट कार्य करता है; अथवा (ग) कोई अन्य विनिर्दिष्ट घटना घटित होती है। संदेह से बचने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि वह व्यक्ति, जो अवक्रय करार के अधीन किसी व्यक्ति को वस्तुएं उपनिहित करता है, वस्तुओं के कुल मूल्य के समान राशि के संव्यवहार के वित्तपोषण के लिए उस व्यक्ति को नियत राशि का उधार देगा दूसरा राशि में से किसी निक्षेप की मूल राशि तथा उधार के कुल अधिभार को घटाया जाएगा।

"सशर्त विक्रय करार" से वस्तुओं अथवा भूमि के लिए ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन क्रय मूल्य अथवा उसके किसी भाग का संदाय किस्तों में किया जायेगा और वस्तुओं अथवा भूमि की सम्पत्ति, इस बात

के होते हुए भी वस्तुएं अथवा भूमि अवक्रेता के कब्जे में हैं, विक्रेता के पास रहेगी जब तक कि करार में विनिर्दिष्ट किस्तों के संदाय अथवा अन्यथा सभी निबंधन पूरे न हो जाएं।"

1.4.4 इसी लेखक ने अवक्रय संविदाओं के स्वरूप को आगे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है।

"अवक्रय संविदा उपनिधान संविदा का एक भिन्न रूप है परन्तु यह एक आधुनिक विकास है और उपनिधान से संबंधित नियम, जो

अवक्रय संविदा की अवधारणा करने के पूर्व बनाए गए थे, बिना संशोधन के लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि ऐसी संविदा न केवल उपनिधान के तत्व हैं "अपितु विक्रय का तत्व भी है। सामान्य विधि में, अवक्रय उचित रूप में केवल भाड़े की संविदाओं के लिए लागू होता है और यह विक्रय का विकल्प प्रदान करता है, परन्तु इसका प्रयोग अक्सर ऐसी संविदाओं के लिए होता है जो वास्तव में किस्तों में चल सम्पत्ति क्रय-करने के करार होते हैं और जिनमें यह शर्तें होती हैं कि सम्पत्ति तब तक संक्रान्त नहीं की जाए जब तक संक्रान्त नहीं की सभी किस्तों का संदाय न कर दिया गया हो। इन दोनों प्रकार की संविदाओं में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। क्योंकि किस्तों में क्रय करने की संविदा के अधीन क्रेता पर एक बाध्यकारी दायित्व है और वह वास्तविक स्वामी के अधिकारों पर ध्यान दिए बिना सद्भावपूर्ण व्यवहार करने वाले क्रेता अथवा बन्धकग्राही को सम्पत्ति का हक संक्रान्त कर सकता है जबकि ऐसी संविदा में जिसमें क्रय करने का विकल्प रहता है अवक्रेता का क्रय करने का बाध्यकारी दायित्व नही है और क्रेता अथवा बंधकग्राही खुले बाज़ार में बिक्री के मामले को छोड़कर, अवक्रेता की तुलना में बहतर हक प्राप्त नहीं कर सकते, यदि संविदा फैक्टरी अधिनियम 1889, अथवा वस्तु विक्रय अधिनियम, 1893 के अधीन क्रय करने की करार नहीं है।

1.4.5 विक्रय तथा अवक्रय संविदाओं के बीच समानता पर अधिकांश अवक्रय करारों के कृत्रिम स्वरूप के द्वारा अधिक जोर दिया जाता है। तीन मुद्दों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है। पहले यह कि अवक्रय संविदा का वास्तविक उद्देश्य लगभग अन्ततः वस्तुओं का विक्रय है। दूसरे अवक्रेता संविदा के अधीन जिस राशि का संदाय करने के लिए बाध्य है वह राशि सामान्यता, से बहुत अधिक है जिसका उसे वस्तु का वास्तविक में अवक्रय करने के लिए संदाय करना पड़ता। और तीसरे, विधिक क्रय मूल्य, जिस पर अवक्रेता को वस्तु का क्रय करने का विकल्प प्राप्त है, नाममात्र का ही है और वास्तव में व्यवहार में अक्सर इसका संदाय नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, अवक्रय संविदाओं में एक और जटिलता है जो इन्हें विक्रय संविदाओं से भिन्नता प्रदान करती है कोई संव्यवहार जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति अवक्रय आधार पर वस्तुओं का क्रय करता है, एक जटिल संव्यवहार है जिसमें दो नहीं तीन पक्षकार अन्तर्गत हैं। बहुत से फुटकर विक्रेता स्वयं उपभोक्ताओं को ऋण देकर वित्तपोषक का कार्य नहीं करते। इसलिए किसी अवक्रय संव्यवहार में सामान्यतया, सर्वप्रथम, एक विक्रय होता है जिसके अधीन फुटकर विक्रेता वस्तु का विक्रय किसी वित्त कंपनी को करता है जिसके अन्तर्गत वित्त कंपनी क्रेता को अवक्रय निबंधनों पर वस्तुएं किराये पर देती है। इसके अनुसार क्रेता का विक्रेता के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है और इसके कभी-कभी महत्वपूर्ण विधिक परिणाम होते हैं।

1.5 भारत में न्यायालयों द्वारा निर्णीत अवक्रय से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण मामले:—

भारत में औद्योगीकरण और वाणिज्यिक कार्य ब्रिटिश शासकों द्वारा आरम्भ किए गये जिनकी परिकल्पना और विकास हमारे औपनिवेशिक स्वामियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए की गयी इंगलैण्ड में अवक्रय संव्यवहार के विकास को बाद में ग्रेट ब्रिटेन के विभिन्न उपनिवेशों में, उनके आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास के अनुरूप आरम्भ किया गया। भारत भी इसका अपवाद नहीं था। भारत में अवक्रय संव्यवहारों संबंधी विवाद न्यायालयों में संभवतया 20वीं शताब्दी में संव्यवहारों संबंधी विवाद न्यायालयों में संभवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला "ए सेसिल कोले बनाम नाना लाल मोराजी दवे तथा अन्य" है जिसमें न्यायमूर्ति माटिने ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:—

"अवक्रय करार" नामक अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है जिसका उद्भव भारत में हुआ है। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसे करार का स्वरूप है जिसका उद्भव इंगलैण्ड में हुआ और उन लोगों ने किया जो विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार में लगे थे। इस देश में अवक्रय करार पर कोई प्राधिकार नहीं अथवा है तो बहुत कम——"

1.5.1 आटो सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम वी रंधुनाथ शेट्टी[10]

मामले में एक कंपनी अवक्रय करार पर एक बस उपलब्ध कराने के लिए इस शर्त पर सहमत थी कि अवक्रेता सुपुर्दगी किए जाने पर 1140 रु० का संदाय करेगा और इसके पश्चात 11 मासिक किस्तों का संदाय करेगा जिसमें प्रत्येक किस्त 226 रु० की होगी और स्वामियों को यदि अवक्रेता किसी माह का किस्त का संदाय करने में असफल रहता है करार को रद्द करने का अधिकार था। ऐसी स्थिति आने पर स्वामियों द्वारा एक वाद संस्थित किया गया। मुख्य न्यायाधीश लार्ड काउटस ट्राटर ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि ऐसी कोई शर्त नहीं थी, फिर भी विवक्षित तौर पर यह आवश्यक है कि जब अवक्रेता की इच्छा से या उसके किसी दोष के कारण करार रद्द होता है तो अवक्रेता द्वारा संदाय की गई समस्त राशि स्वामियों के पास ही रहेगी, 1140 रु० की राशि को चाहे वह अवक्रय की पहली किस्त के रूप में की गई हो चाहे स्वामियों द्वारा पटटा स्वीकृत करने के लिए प्रीमियम के रूप, में, प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इस राशि को किराये की अग्रिम के रूप में नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनन्तकृष्ण ने अभिनिर्धारित किया":—

"किस्तों में मूल्य का संदाय किए जाने हेतु विक्रय संविदा में क्रेता के लिए संविदा समाप्त करने और चल सम्पत्ति वापस लेने का विकल्प नहीं है जबकि अवक्रय संविदा में ऐसा विकल्प है। अवक्रय संविदा के मामले में, अवक्रेता को क्रय करने का विकल्प है जिसे वह अपनी इच्छानुसार उपयोग करे अथवा न करे, परन्तु विक्रय संविदा के मामले में क्रेता चल सम्पति का स्वामी बन गया है परन्तु मूल्य का संदाय करार के अनुसार किस्तों में किया जाना है:—

1.5.2 एस०एस० तिवारी बनाम रेमिंगटनरैंड इनकारपोरेटड मामले में न्यायमूर्ति ग्रिले ने अभिनिर्धारित किया[12]—

"जहां टाइपराइटर क्रय करने के करार में एक खंड है जिसके द्वारा अवक्रेता पिछले संदायों को समपहृत करके और किसी भी समय मशीन को वापस करके संविदा को समाप्त कर सकता है। यह अवक्रय संविदा है, विक्रय की संविदा नहीं। ऐसी स्थिति में यदि कम्पनी मशीन के साथ-साथ बकाया किस्तों के वसूली के लिए संविदा के अपने अधिकारों के लिए दावा करती है तो उसमें कुछ अवैध अथवा असाम्यिक नहीं है। एक बार मशीन कंपनी के कब्जे में आ जाने पर चाहे वह अवक्रेता द्वारा सौंपी गई हो अथवा अन्य किसी रूप में बरामद की गई हो, यह कंपनी की सम्पत्ति है और वह जिस रूप में चाहे उसका—निपटारा कर सकती है और इस प्रकार के निपटारे का बकाया राशि से कोई संबंध नहीं होगा क्योंकि बकाया अवक्रय के लिए है न कि क्रय की किस्तों के लिए जिसे पूरा करने के लिए अवक्रेता बाध्य है।"

1.5.3 बाबू बालमुकन्द बनाम महेशनारायण सिंह तथा अन्य के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित[13] किया कि—

"जहां अवक्रय करार के अधीन, क्रेता को वस्तुएं वापस करके और वापसी की तारीख तक देय भाड़े का संदाय करके संविदा को समाप्त करने का विकल्प दिया गया है, इस संव्यवहार को पूर्ण रूप से विक्रय नहीं माना जा सकता।"

1.5.4 वी दक्षिणामूर्ति मुदालियर बनाम जनरल एण्ड क्रेडिट-कारपोरेशन (इंडिया), लिमिटेड मामले में

मद्रास न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी[14] की:—

"सारांश यह है कि भाड़ा तथा अवक्रय विधि का उदगम संविदा विधि से हुआ है जिसका यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्भव अपेक्षाकृत आधुनिक है और इसकी परिकल्पना उधार क्रय की आवश्यकता को पूरा करने और साथ ही विक्रेता को विक्रय संबंधी विधि के जाल में फंसने से रक्षा करने के लिए की गई है। वास्तव में अवक्रय एक उपनिधान है। जिसमें क्रय का विकल्प है परन्तु कभी-कभी इसका प्रयोग, इस परन्तुक के साथ कि हक किस्तों का संदाय पूरा होने तक संक्रान्त नहीं किया जाएगा, किस्तों में क्रय करने के अपरिवर्तनीय करार जैसे करारों को सम्मिलित करने के लिए विस्तृत अर्थ में भी किया जाता है। इस प्रकार एक अवक्रय करार उपनिधान की व्यवस्था करता है परन्तु यह क्रय करने के विकल्प के साथ-साथ एक उपनिधान है। इस संव्यवहार में भाड़ा तथा विक्रय विधि दोनों के तत्वों का मिश्रण है और इसे चल सम्पत्ति को बन्धक के अर्थ में समझना स्पष्टतया गलत होगा"।

1.5.5 **दामोदर वैली कारपोरेशन बनाम बिहार** राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के[15] भाड़े पर देने, विक्रय अथवा अवक्रय के बीच निम्नलिखित रूप में अन्तर पाया[15] है:—

"8 इस अपील में विनिश्चय करने के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कारपोरेशन द्वारा ठेकेदारों को सप्लाई की गयी मशीनों और उपकरण किराये के आधार पर दी गयी थी जैसाकि अपीलकर्ता कारपोरेशन ने कहा है अथवा विक्रय अथवा अवक्रय आधार पर जैसाकि प्रतिवादी राज्य द्वारा तर्क दिया गया है। इस संबंध में विधि में कोई संदेह नहीं, परन्तु कठिनाई पक्षकारों के बीच संव्यवहार के साक्ष्यकारी दस्तावेज के समुचित अर्थान्वयन पर विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विधि लागू करने पर उत्पन्न होती है। यह सुनिश्चित है कि मात्र भाड़े पर देने की संविदा उपनिधान संविदा की प्रजाति की है जिसमें उपनिहिती के हक का सृजन नहीं होता परन्तु अवक्रय विधि का विगत-अर्धशताब्दी अथवा अधिक अवधि में पर्याप्त विकास हुआ है और इसमें बहुत से परिवर्तन किए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप कई श्रेणियाँ की गई हैं और यह देखना आवश्यक हो गया है कि पक्षकारों के बीच कोई विशिष्ट संविदा किस श्रेणी में आती है। मूलतः अवक्रय संविदा अवक्रेता को कोई हक प्रदान नहीं करती है, अपितु कतिपय शर्तों के पूरा हो जाने पर क्रय करने का विकल्प मात्र प्रदान करती है। परन्तु किसी अवक्रय संविदा में भाड़े पर ली गयी वस्तुओं को आस्थगित भुगतान द्वारा इस शर्त के अध्यधीन कि सभी किस्तों को संदाय पूरा होने तक वस्तु का संक्रान्त नहीं किया जाएगा, वस्तु का क्रय करने करार के लिए प्रावधान भी किया जा सकता है। पक्षों के बीच सहमत शर्तों के आधार पर अवक्रय संविदा में और भी अन्य भिन्नता हो सकती है। पक्षकारों के कृत्यों द्वारा अथवा विधि के प्रवर्तन द्वारा जब तीसरे पक्षकार के अधिकार का भी सृजन हो जाता है तो जो प्रश्न यहां नहीं उठता है उस समय उठ सकता है जब यह सुनिश्चित करना हो कि मूल संविदा में पक्षकारों के क्या अधिकार और दायित्व थे। यह भी इसी प्रकार निर्धारित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विशिष्ट संविदा किस श्रेणी के अन्तर्गत आती है, न्यायालय करार के सार पर ध्यान देगा श्रेणी का उल्लेख करने वाले शब्दों मात्र पर नहीं। क्या कोई करार विशेष केवल भाड़े की संविदा मात्र है अथवा क्या यह विक्रय मूल्य का आस्थगित संदाय प्रणाली से क्रय करने की संविदा है इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए एक आधार यह है कि क्या वस्तुओं का क्रय करने के लिए कोई बाध्यकारी दायित्व भी है। ऐसे विवाद के समाधान के लिए एक अन्य उपयोगी परीक्षण यह है कि क्या संविदा के अस्तित्व के दौरान वस्तुएं वापस करने का अवक्रेय को अधिकार आरक्षित है। यदि ऐसा अधिकार आरक्षित है, तब स्पष्टतया विक्रय को कोई संविदा नहीं है, (हैल्बी बनाम मैथ्यूज़, 1895 ए॰सी॰ 471 द्वारा वर्तमान मामले के संव्यवहार में इन दोनों परीक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह इस आशय की कतिपय शर्तों पर पुनर्क्रय की शर्त के साथ वस्तु विक्रय का मामला था कि यदि कारपोरेशन की सन्तुष्टि हो कि मशीनों और उपकरणों की अवशिष्ट क्षमता पक्षकारों द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार मानक क्षमता के एक तिहाई से कम नहीं है।") (बल दिया गया)

1.5.6 **मैसर्स के॰ एल जौहर एण्ड कम्पनी बनाम डिप्टी कामर्शियल टैक्स आफीसर:**— मामला अवक्रय से संबंधित है जो भारत के उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिए आया था। अपीलकर्ता एक वित्त कंपनी थी जो मोटर गाड़ियाँ खरीदने वाले ऐसे व्यक्तियों को धन राशियां देने का कारोबार करती थी जिनके पास मूल्य का संदाय करने के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध नहीं होती थी। अपीलकर्ता ने अपना कारोबार आरम्भ करने के समय ये मोटर गाड़ियां खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ बहुत से अवक्रय करार किए थे। अपीलकर्ता ने 28 अक्तूबर, 1956 को असिसटेंट कामर्शियल टैक्स आफिसर, कोयाम्बतूर के कार्यालय में विक्रय कर के उद्देश्य से वर्ष 1955-56 के लिए 2,37,993 रु॰ की राशि की विवरणी प्रस्तुत की। असिसटेंट कामर्शियल टैक्स आफिसर ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर अस्थायी कर निर्धारण किया और उसके संदाय के लिए किस्तें निश्चित कीं। अपीलकर्ता ने किस्तों का संदाय किया परन्तु कामर्शियल टैक्स आफिसर के यहां इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका दायर की कि ये अवक्रय करार मद्रास सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1939 के अधीन कर लगाए जाने योग्य विक्रय संव्यवहार नहीं थे। अपील में यह मामला उच्चतम न्यायालय में आया और पैरा 11 और 17 में निम्नलिखित पाया गया:—

"इससे स्पष्टीकरण" की वैधता पर विचार करने का मामला हमारे सामने आया जिसे हम पहले ही

बता चुके हैं। इस संबंध में विक्रय से भिन्न प्रतीकात्मक अवक्रय करार के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है जिसके मूल्य का संदाय बाद में किस्तों में किया जाता है। ऐसे विक्रय के मामले में जिसमें मूल्य का संदाय किस्तों में किया जाता है, विक्रय के तुरन्त बाद ही वस्तु संक्रान्त कर दी जाती है, यद्यपि मूल्य का पूरा संदाय नहीं किया गया है और बाद में किस्तों में किया जाएगा। भारतीय माल विक्रय अधिनियम (विक्रय करार से भिन्न रूप में) की धारा 4 में विक्रय की परिभाषा में यह अपेक्षा है कि विक्रेता किस मूल्य पर क्रेता को वस्तुओं के रूप में सम्पत्ति अन्तरित करता है। विक्रय का सारांश यह है कि सम्पत्ति किसी मूल्य पर विक्रेता से क्रेता को अन्तरित की जाती है, मूल्य का संदाय चाहे एक मुश्त किया जाए अथवा बाद में किस्तों में। दूसरी ओर अवक्रय करार के, जैसाकि इसके नाम में ही निहितार्थ है, दो पहलू हैं। पहला अवक्रय करार के अधीन वस्तुओं के उपनिधान से संबंधित है और दूसरा विक्रय का तत्व है जो क्रय के विकल्प पर, जो अवक्रय करार की एक सामान्य शर्त होती है जिसका उपयोग इच्छुक क्रेता द्वारा किया जाता है, सफल होता है। इस प्रकार इच्छुक क्रेता को, जब तक क्रय करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता, अक्रेता समझा जाता है और अवक्रय करार का सारांश यह रहता है कि वस्तुओं में निहित सम्पत्ति करार से संक्रान्त नहीं होती अपितु इच्छुक विक्रेता में निहित रहती है और इच्छुक क्रेता द्वारा विकल्प का उपयोग किए जाने के बाद ही संक्रान्त होती है इसलिए, विशिष्ट अवक्रय करार का विशेष तत्व यह है कि करार करने के समय सम्पत्ति संक्रान्त नहीं होती है अपितु करार की सभी शर्तें पूरी होने के पश्चात जब अंतिम रूप से विकल्प का प्रयोग किया जाता है तभी सम्पत्ति संक्रान्त होती है"

"अब अगला प्रश्न यह उठता है कि अवक्रय करार कभी विक्रय के लिए परिपक्व होता है और यदि हां, तो कब। हम पहले ही बता चुके है कि अवक्रय करार में दो तत्व होते हैं, (1) उपनिधान का तत्व और (2) विक्रय का तत्व, इस विचार से कि इसका आशय अन्ततः विक्रय है। विक्रय का तत्व तभी प्राप्त होता है जब इच्छुक क्रेता द्वारा करार की शर्तें पूरी करने के पश्चात् विक्रय का प्रयोग किया जाता है। जब करार की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं और विकल्प का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं का विक्रय होता है जो अब तक किराये पर थीं। जब यह विक्रय होता है तब अधिनियम में इस पर विक्रय कर लगाया जा सकता है क्योंकि अधिनियम में विक्रय होने पर ही कर लगाया जा सकता है। जहां विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा करार की शर्तों को पूरा करने के इच्छुक क्रेता के अक्षम रहने के कारण विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सकता है तब यहां कोई विक्रय होता ही नहीं है। क्योंकि कराधान की स्थिति विक्रय ही है इसलिए कर केवल तभी लगाया जा सकता है जब अवक्रय करार की सभी शर्तें पूरी हो जाने के पश्चात विकल्प का प्रयोग किया जाता है। हम उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में विकल्प का प्रयोग किया जाता है इसलिए अवक्रय करार करने के साथ ही कर लगाया जा सकता है और यह कि उन कुछ मामलों में जहां करार की शर्तों को पूरा करने में अथवा विकल्प का प्रयोग करने में विफलता रहती है वहां विक्रय के ऐसे भाग को छोड़कर समायोजन किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया है अधिनियम के अधीन कर योग्य घटना नहीं होती कर के संदाय का दायित्व नहीं बनता है। इसलिए यद्यपि अवक्रय के अधिकांश मामलों में अन्ततः करार की शर्तों के पूरे होने पर विकल्प का प्रयोग करके विक्रय ही होता है फिर भी करार करने के समय कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उस समय कर लगाने योग्य घटना घटित नहीं होती है। कर तभी लगाया जा सकता है जब करार की सभी शर्तें पूरी हो जाने पर विकल्प का प्रयोग किया जाए और विक्रय वास्तविक रूप में हो जाता है। जब तक किसी विशिष्ट मामले में विक्रय नहीं हो जाता तब तक अधिनियम के अधीन विक्रय कर की कोई देयता नहीं बनती है। अतः यह अभिधारित करना उच्च न्यायालय की गलती थी कि अवक्रय के जिस आशय और प्रयोजन के जिन मामलों पर हम विचार कर रहे हैं उन्हें करार करने के समय ही विक्रय माना जाए; जिस प्रकार के अवक्रय करारों पर हम विचार कर रहे हैं उनमें विक्रय तभी होता है जब करार की सभी शर्तें पूरी हो जाने पर विकल्प का प्रयोग किया जाए और केवल उसी समय कर लगाया जा सकता है।"

1.5.7 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत एक अन्य महत्वपूर्ण मामला **सुन्दरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम स्टेट आफ केरल** है[17]। इस मामले में अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम के अधीन गठित एक कंपनी थी जो मोटर गाड़ियों की खरीद के वित्तपोषण का कारोबार उन मोटर गाड़ियों की प्रतिभूति पर करती थी। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं के साथ किए गए अवक्रय करार वस्तुओं की विक्रय के संव्यवहार थे अथवा

कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए ऋणों की अदायगी सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेज थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 23 और 24 में अभिनिर्धारित किया:—

> "एक अवक्रय करार साधारणतया वह है जिसके अधीन स्वामी किसी दूसरे पक्ष को, जिसे अवक्रेता कहा जाता है, वस्तुएं किराये पर देता है और यह सहमति व्यक्त करता है कि अवक्रेता को इस निश्चित राशि का संदाय कर देने पर अथवा जब किराये का संदाय करार में उल्लिखित अवक्रय मूल्य की सीमा तक पहुंच गया तो चल सम्पति क्रय करने का विकल्प रहेगा। परन्तु जब वस्तु के स्वामी और उपभोक्ता के बीच वित्तपोषक आ जाता है तब स्थिति में अन्तर पड़ जाता है। करार, जिसमें अन्तर का विवरण नहीं होता, दो स्वरूपों में से किसी एक न एक स्वरूप का होता है (1) जब स्वामी क्रय की शेष राशि की अदायगी के लिए क्रेता से नहीं कहता और वित्त पोषण जो शेष राशि का संदाय करता है राशि की वसूली करता है। इस प्रकार से करार में वस्तुएं वित्तपोषण द्वारा क्रय की जाती हैं। और वित्तपोषक उपभोक्ता से अवक्रय करार करती है जिसके अधीन उपभोक्ता निर्धारित किराये की सभी किस्तों का संदाय करके और विक्रय के लिए नाममात्र के मूल्य के संदाय पर वस्तुओं के विक्रय के विकल्प का प्रयोग करके वस्तुओं का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार के संव्यवहार में न्यायालय का निर्णय ए०आई०आर० 1965 सु० को 1082। (2) दूसरे प्रकार के संव्यवहार में वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाती हैं जो अवक्रय करार अन्य तथा संबंधित दस्तावेज सम्पन्न करके स्वामी को उसकी ओर से वित्तपोषक द्वारा संदाय की गई राशि का संदाय करने के दायित्व के अध्यधीन वस्तुओं को अपने कब्जे में रखता है और वित्तपोषक अवक्रय करार प्राप्त कर लेता है जो उसे अवक्रय करार की शर्तों का उपभोक्ता द्वारा पालन न किए जाने पर वस्तुओं का जब्त करने का अधिकार (प्रदान करता है)।"

"किसी संव्यवहार का सही प्रभाव चारों ओर की परिस्थितियों पर विचार करके करार की शर्तों से सुनिश्चित किया जा सकता है। जब तक संविधि द्वारा निषिद्ध न हो, न्यायालय को दस्तावेजों की जांच करने और संव्यवहार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार है, दस्तावेजों का स्वरूप चाहे जैसा भी हो। वस्तुओं का कोई स्वामी जिसका अभिप्राय वस्तुओं को देना अथवा यह स्वीकार करना है कि उसने वस्तु दे दी है और बाद में उसका आशय अवक्रय करार के अधीन उन वस्तुओं को किराये पर देना होता है वह प्रमाणित करने से नहीं रुक जाता है कि वास्तविक सौदा वस्तुओं की प्रतिभूति पर ऋण देना था। यदि वस्तुओं का विक्रय सही और पूर्ण है, जो पूर्वकालिक और विक्रेता के साथ बाद में किए गए भाड़े के करार से भिन्न स्वतंत्र दस्तावेजों से प्रमाणित हो जाता है, वहां वह संव्यवहार ऋण संव्यवहार नहीं समझा जाएगा, चाहे यह धनराशि जुटाने के कारणों से ही किया गया हो। यदि वास्तविक संव्यवहार जब्ती का अधिकार देकर ऋण राशि प्राप्त करना है, तो संपत्ति संव्यवहार जब्ती का अधिकार देकर ऋण राशि प्राप्त करना है, तो संपत्ति संव्यवहार के दस्तावेजों के अधीन, परन्तु किराये के करार की शर्तों के अध्यधीन, जो क्रेता के हक का एक भाग बन जाता है और जब्ती का लाइसेंस भी देता है, संक्रान्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति वस्तुओं का क्रय करना चाहता है और उसके पास उस समय इसके लिए पर्याप्त धन राशि नहीं होती है तब वह अवश्य धन राशि तीसरे पक्ष से उधार लेता है और विक्रेता को संदाय करता है तब धनराशि उधार देने वाले तथा उपभोक्ता के बीच का संव्यवहार निर्विवाद रूप से ऋण का संव्यवहार होगा। संव्यवहार का वास्तविक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा चाहे ऋण दाता वस्तुओं का स्वामी ही क्यों न हो और स्वामी मूल्य का संदाय करने के क्रेता के वायदे को स्वीकार कर ले तथा वस्तुओं को सुपुर्दगी के समय सक्षम प्रमाणित कराना शेष भी रहे। परन्तु अवक्रय करार का एक जटिल संव्यवहार है। अवक्रय करार के अधीन स्वामी करार में निर्धारित शर्तों पर वस्तुएं किराये पर देने का संव्यवहार करता है और उपभोक्ता द्वारा क्रय करने के विकल्प का उपयोग सभी किस्तों का संदाय पूरा हो जाने पर ही किया जा सकता हैं उससे पूर्व नहीं। इस प्रकार के अवक्रय करार में वस्तुओं का क्रय करने का करार नहीं है, वस्तुएं वापस लौटाने में यहां उल्लिखित किराये का संदाय पूरा करने पर तथा विकल्प प्रयोग करने का मूल्य देकर स्वामी बन जाने का विकल्प रहता है। इस वर्ग का अवक्रय करार इस संव्यवहार से भिन्न है जिसमें उपभोक्ता वस्तु का स्वामी है और अपने क्रय के वित्तपोषण के लिए वह एक करार करता है जो वित्तपोषक के साथ अवक्रय करार के स्वरूप का होता है परन्तु सार रूप में ऋण संव्यवहार के रूप में ही प्रमाणित है जिसके अन्तर्गत ऋण दाता को वस्तुओं की जब्ती का लाईसेंस दिया जाता है।

1.5.8 दी **इन्स्टालमेंट सप्लाई लिमिटेड** बनाम **एस०टी०ओ० अहमदाबाद**[18] मामले में याचिका दाता एक लिमिटेड कंपनी है जो मोटर गाड़ियों के वितपोषण का कारोबार करती है। मोटरगाड़ी क्रय करने के इच्छुक

व्यक्ति ने याचिकादाता कंपनी के साथ कतिपय शर्तों पर एक करार किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि अवक्रय करार के अधीन विक्रय लगाने के उद्देश्य से विक्रय कब होता है। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 7 में टिप्पणी की है:—

> "विक्रय की संविदा अवक्रय संविदा से भिन्न समझी जानी चाहिए। अवक्रय संविदा वास्तव में भाड़े की संविदा है जिसके द्वारा अवक्रेता को क्रय करने का एक विकल्प दिया जाता है, परन्तु ऐसा करने के लिए विधिक दायित्व नहीं है जैसाकि विक्रय संविदा में है। अवक्रय संविदा उपनिधान संविदा एक भिन्न रूप में, परन्तु यह वाणिज्यिक जीवन का आधुनिक विकास है, और उपनिधानों से संबंधित नियम, जो अवक्रय की किसी संविदा की अवधारणा से पूर्व निर्धारित किए गए थे, सरलता से लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि ऐसी संविदा में न केवल उपनिधान का अपितु विक्रय का तत्व भी है। सामान्य विधि में "अवक्रय" शब्द उपभोक्ता से भाड़े की संविदाओं के लिए जिनमें क्रयता विकल्प प्रदान किया जाता है, लागू होती है परन्तु इसका प्रयोग अकसर ऐसी संविदाओं के लिए होता है जो वास्तव में इस शर्त पर किस्तों में सम्पत्ति क्रय करने के करार होते हैं कि सम्पत्ति सभी किस्तों का संदाय पूरा होने तक संक्रान्त नहीं की जाएगी। इन दोनों प्रकार की अवक्रय संविदाओं के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्तर है। क्योंकि बाद वाली संविदा में अवक्रेता पर क्रय करने का बाध्यकारी दायित्व है और अवक्रेता सम्पत्ति का हक क्रेता अथवा अपने साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करने वाले गिरवीदार को, असली मालिक के अधिकारों के बिना ही, संक्रान्त कर सकता है जबकि एक ऐसी संविदा में जो मात्र क्रय का विकल्प प्रदान करती है, अवक्रेता पर क्रय करने का बाध्यकारी दायित्व नहीं है और क्रेता अथवा गिरवीकार अवक्रेता से बेहतर हक प्राप्त नहीं कर सकता। (हेल्स बरीज लाज आफ इंग्लैंड, तीसरा संस्करण, खंड 19, पैरा 823, पृष्ठ 510-511) विधि की ये स्थितियां पीछे निर्देशित दो निर्णयों में न्यायालय की अनुमति से उद्धृत की गयी है।"

1.5.9 इस प्रकार हमारे देश में अवक्रय की अवधारणा को न्यायालयों द्वारा संदेह की परिधि से दूर रखा गया है। तथापि, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अवक्रय संव्यवहारों को नियमित करने के लिए एक पृथक अधिनियम अधिनियमित किया जाना चाहिए। हम अब हमारे द्वारा परिचालित की गई प्रश्नावली पर प्राप्त विचारों का अध्ययन करेंगे।

पाद टिप्पण तथा संदर्भ

अध्याय - एक

1. आठवीं रिपोर्ट, पृष्ठ 4, पैरा 12
2. भारत की संसद, राज्य सभा की गृहकार्य संबंधी समिति, इक्कीसवीं रिपोर्ट, अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 (राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, जुलाई 1995) पृष्ठ 2
3. एच० सिम्पसन कुक: ज० एण्डरसन हर्मन एण्ड एच० पीयर्स ह्वायर पर्चेस एकाऊन्टस एण्ड फाइनेंस (लन्दन 1959 संस्करण) पृष्ठ 17
4. ए० आर० बिस्वास, मित्राज लीगल एण्ड कामर्शियल डिक्शनरी, दूसरा संस्करण, पृष्ठ 367
5. वेंकटरमैयाज लॉ लैक्सीकन, खण्ड 1, 1971 संस्करण, पृष्ठ 551
6. हेल्सबरीन लॉज ऑफ इंग्लैण्ड (चतुर्थ संस्करण, लंदन 1979) खण्ड 22, पैरा 37, पृष्ठ 34
7. वही, पैरा 209, पृष्ठ 173
8. पी० एस० अतिय्या, दी सेल आफ गुड्स (दिल्ली, 1995) पृष्ठ 12
9. ए० आई० आर० 1925 बम्बई 18
10. ए० आई० आर० 1925 मद्रास 884
11. वही, पृष्ठ 886
12. ए० आई० आर० 1934 नागपुर 151
13. ए० आई० आर० 1934 अवध 133

14. ए० आई० आर० 1960 मद्रास 328
15. ए० आई० आर० 1961 सु० को० 440
16. ए० आई० आर० 1965 सु० को० 1087
17. ए० आई० आर० 1966 सु० को 1178
18. ए० आई० आर० 1974 सु० को० 1105

अध्याय - दो

भाग - एक

प्रश्नावली पर विचारों का विश्लेषण

2.1 **प्रत्यर्थियों के विचारों का अध्ययन किया गया:—** विधि आयोग द्वारा 18 मई, 1998 को जारी की गई प्रश्नावली के अनुसरण में बहुत सी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, असम सरकार, हरियाणा सरकार, औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड, मद्रास उच्च न्यायालय, बार एसोसियेशन, कर्नाटक के लोकायुक्त, कर्नाटक केडर के बहुत से जिला न्यायाधीशों तथा इस विषय में रूचि रखने वाले कतिपय व्यक्तियों तथा संगठनों ने इस प्रश्नावली के उत्तर भेजे हैं। लगभग सभी ने 1989 के संशोधन विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों तथा विधि आयोग द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का समर्थन किया है। एक व्यक्ति जो अपने को "लीज फाइनेंसिंग एण्ड हायर पर्चेज" नामक 2000 पृष्ठों की पुस्तक का लेखक होने का दावा करता है, यह विचार व्यक्त किया है कि अवक्रय अधिनियम का विचार ही छोड़ देना चाहिए और ब्रिटिश तथा आस्ट्रेलियायी अधिनियमितियों की पद्धति पर उपभोक्ता ऋण अधिनियम बनाया जाना चाहिए। एक अन्य महापुरूष ने भी ऐसी ही आपत्ति की है जिसका पत्र हमें फैडरेशन ऑफ आल इंडिया हायर पर्चेस फाईनेंसर्स ने भेजा है। यह आपत्ति/सुझाव कई कारणों से स्वीकार्य नहीं है परन्तु उन कारणों को अभिलिखित करने से पूर्व हमें इस विषय पर इंग्लिश विधि और ब्रिटेन के अधिनियमों और ब्रिटेन के उपभोक्ता ऋण अधिनियम, 1974 पर विचार करना है क्योंकि उपर्युक्त आपत्तियों/सुझाव यू० के० अधिनियमों पर ही आधारित है।

2.2 **अवक्रय अधिनियम को छोड़ने और ब्रिटिश तथा आस्ट्रेलियायी अधिनियमितियों की पद्धति पर उपभोक्ता ऋण अधिनियम अन्तःस्थापित करने पर विचार किया गया:**

ब्रिटेन में अवक्रय संव्यवहार वर्ष 1938 तक विधि द्वारा विनियमित नहीं किए गए। उस वर्ष अवक्रय अधिनियम, 1938 अधिनियमित किया गया जिसमें अवक्रय करार को वस्तुओं के अपनिधान करार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अधीन उपनिहिती वस्तुओं का क्रय कर सकता है अथवा जिसके अधीन वस्तुओं की सम्पत्ति उपनिहिती को संक्रान्त की जा सकती है। तथापि, इस अधिनियम के अन्तर्गत सशर्त विक्रय करार नहीं आते थे। यह कार्य अवक्रय अधिनियम, 1964 द्वारा पूरा किया गया जिसमें सशर्त विक्रय करारों को वस्तु विक्रय ऐसे करारों के रूप में परिभाषित किया गया जिनके अधीन क्रय मूल्य अथवा उसके किसी भाग का संदाय किस्तों में किया जायेगा और वस्तुओं की सम्पत्ति तब तक विक्रेता में निहित रहेगी जब तक संदाय अथवा किस्तों संबंधी सभी शर्तें अथवा अन्यथा, जैसा करार में विनिर्दिष्ट हो, पूरा न हो।

2.2.1 1938 के अधिनियम को 1954 के और इसके पश्चात 1964 के अवक्रय अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया और विस्तृत बनाया गया। वर्ष 1964 के अधिनियम का एक विशिष्ट भाग था अर्थात् भाग तीन जिसमें अवक्रय करार/सशर्त विक्रय करार के अन्तर्गत आने वाले मोटर गाड़ियों के वास्तविक क्रेताओं को संरक्षण प्रदान किया गया।

2.2.2 वर्ष 1965 में, ब्रिटिश संसद ने 1938, 1954 तथा (1964 के अधिनियम का भाग-तीन छोड़कर) अवक्रय अधिनियम, 1965 अधिनियमित किया। यह यूनाइटेड किंग्डम में करारों के विषय पर एक संघटनकारी अधिनियम था। धारा 1 में "अवक्रय करार", "उधार विक्रय करार" और "सशर्त विक्रय करार" नामक अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया:—

> "अवक्रय करार से वस्तुओं के उपनिधिनिधान का एक ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन उपनिहिती वस्तुओं का क्रय कर सकता है अथवा जिसके अधीन वस्तुओं की सम्पत्ति उपनिहिती को संक्रान्त होगी अथवा हो सकेगी"
>
> "उधार विक्रय करार से वस्तु विक्रय का ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन वस्तु के मूल्य का संदाय पांच अथवा अधिक किस्तों में किया जा सकेगा, यह सशर्त विक्रय करार नहीं होगा।"
>
> "सशर्त विक्रय करार से वस्तुओं के विक्रय का ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन क्रय मूल्य अथवा

किसी भाग का संदाय किस्तों में किया जाएगा और वस्तुओं की सम्पत्ति (इस बात के होते हुए भी कि वस्तुएं क्रेता के कब्जे में रहेंगी) किस्तों का संदाय अथवा अन्यथा जैसा करार में विनिर्दिष्ट हो, पूरा होने तक विक्रेता में निहित रहेगा"

2.2.3 1965 का अधिनियम ऐसे अवक्रय करारों/सशर्त विक्रय करारों पर लागू होगा जहां अवक्रय मूल्य अथवा कुल क्रय मूल्य, यथास्थिति, 2000 पौण्ड से अनधिक होगा। सरकार इस सीमा को धारा 3 में विहित रूप में बढ़ा सकेगी। धारा 4 अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से वस्तुओं के अवक्रेता अथवा क्रेता के रूप में निगमित निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से है कि अवक्रय करार/उधार विक्रय करार/सशर्त विक्रय करार तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि इन पर अवक्रेता/क्रेता द्वारा हस्ताक्षर न किए जाएँ और धारा 6, 7, 8 और 9 की अपेक्षाएं पूरी न हों। धारा 6 में अपेक्षा की गई है कि करार करने से पूर्व क्रेता को वस्तुओं के नकद मूल्य के बारे में, अर्थात जिस नकद मूल्य पर वस्तु का क्रय किया जा सकता है, सूचित किया जाना चाहिए। धारा 7 में करारों के प्ररूप और विषय-वस्तु का प्रावधान है। धारा 8 में करार की एक प्रति अवक्रेता को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। धारा 9 में यह व्यवस्था दी गई है कि जहां करार पर हस्ताक्षर "उपर्युक्त व्यापार परिसर" में न किए जाएँ वहां अवक्रेता अथवा क्रेता को करार की प्रतियां एक विशिष्ट अवधि में उपलब्ध करा दी जानी चाहिएँ। धारा 10 न्यायालय को वहां धारा 6, 7, 8 और 9 की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है जहां वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इनमें से किसी भी धारा की अपेक्षा पूरी न होने पर अवक्रेता/क्रेता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 11 अवक्रेता/क्रेता को करार को रद्द करने का अधिकार देती है और धारा 12 में वह पद्धति दी गई है जिसके अनुसार रद्द करने का नोटिस तामील कराया जा सकता है धारा 13 में संबंधित वस्तुओं की पुनर्सुपुर्दगी और अन्तरिम देखभाल सहित करार के रद्द हो जाने के बाद की स्थिति का उल्लेख है। धारा 14 और 15 में अवक्रेता द्वारा करार के रद्द किए जाने के कतिपय अन्य पहलुओं का उल्लेख है।

2.2.4 धारा 16 से 20 अन्यावेदनों, शर्तों और वारंटियों के बारे में है। धारा 16 में यह व्यवस्था है कि वस्तुओं के बारे में उनके स्वामी/विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया अभ्यावेदन, चाहे मौखिक हो अथवा लिखित, स्वामी/विक्रेता के अभिकर्ता के रूप में उसके द्वारा दिया गया अभ्यावेदन समझा जाएगा। धारा 17 में अन्तर्निहित शर्तें और वारंटिया निर्धारित की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक करार में स्वामी/विक्रेता की ओर से ऐसा उल्लेख निहित समझा जाएगा कि उसे वस्तुओं का विक्रय करने का अधिकार है, यह कि अवक्रेता/क्रेता वस्तुओं का निर्विवाद कब्जा रखेगा और उसका उपयोग कर सकेगा और यह कि वस्तुएं किसी तीसरे पक्ष के प्रभार अथवा भार से मुक्त हैं। यह इस राइडर के अध्यधीन था कि विक्रेता/क्रेता को विशेष रूप से लिखित में जहां किसी ऐसे दोष का पता चले वहाँ धारा 18 पक्षकारों को धारा 17 में उल्लिखित वारंटियों का अपवर्जन करने की अनुमति देती है। धारा 19 में ऐसे मामलों के लिए निहित शर्तें दी गई हैं जहां वस्तुओं का थोक विक्रय नमूने के आधार पर अथवा वस्तु वर्णन के आधार पर किया जाए। धारा 20 में सशर्त विक्रय करारों के बारे में कतिपय विशिष्ट प्रावधान अन्तर्विष्ट है।

2.2.5 धारा 21 से 24 अवक्रेता/क्रेता को जानकारी देने तथा अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के बारे में स्वामी/विक्रेता के कर्तव्यों के बारे में है। धारा 21 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि करार में अवक्रेता/क्रेता द्वारा संदाय की गई राशि, करार अन्तर्गत देय शेष राशि, प्रत्येक किस्त देय होने की तारीख तथा ऐसी किस्त की राशि आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहने पर करार जब तक यह असफलता रहती है अप्रवर्तनीय रहेगा। धारा 22 और 23 करार के साथ गारंटी की संविदा तथा गारंटी दाता को उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों के बारे में है। धारा 24 के अनुसार अवक्रेता/क्रेता पर यदि स्वामी/विक्रेता अनुरोध करता है, तो किराये पर ली गयी वस्तुएँ कहां पर हैं इस बारे में जानकारी देने और वस्तुओं का निरीक्षण करने का दायित्व होगा। धारा 25 में यह व्यवस्था दी गई है कि करार की शर्तों के अनुसार किस्तों के संदाय का दोषी होने पर स्वामी/विक्रेता करार को रद्द करने के अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि वह अवक्रेता/क्रेता को इस आशय का नोटिस तामील नही करा देता। धारा 26 में कतिपय अनुपूरक प्रावधान धारा 25 में अवधारित दोष संबंधी नोटिसों से संबंधित हैं। धारा 27 अवक्रेता/क्रेता को करार के अधीन अन्तिम किस्त का संदाय करने से पूर्व किसी भी समय करार को रद्द करने का अधिकार देती है। धारा 28 अवक्रेता/क्रेता द्वारा करार रद्द कर दिए जाने पर उसकी देयताओं से संबंधित है।

2.2.6 धारा 29 मे यह स्पष्ट किया गया है कि धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय अनुबंध करार का भाग नहीं होंगे और यदि ऐसा किया जाता है तो वे शून्य होंगे।

2.2.7 धारा 30 अवक्रेता/क्रेता की मृत्यु के बारे में है जहां किसी करार में ऐसी अथवा कोई अन्य विशिष्ट घटना घटित होने पर करार को रद्द करने का प्रावधान है। ऐसे अनुबंध की अनुपस्थिति में अवक्रेता/क्रेता के अधिकार को उत्तराधिकार में दिए जाने योग्य बनाया गया है। धारा 31 और 32 में कतिपय अनुपूरक प्रावधान हैं जिनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

2.2.8 भाग-तीन में "संरक्षित वस्तुओं" को परिभाषित किया गया है और कतिपय परिस्थितियों में वस्तुओं को अपने कब्जे में वापस लेने के किसी स्वामी के अधिकार पर प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है। धारा 41 में यह व्यवस्था दी गई है कि जहां वस्तुओं का स्वामी धारा 35 के अधीन वस्तुओं की वापसी के लिए कार्यवाही आरम्भ करता है वहां वह करार के अधीन अथवा उस करार से संबंधित गारंटी की संविदा के अधीन किसी देय राशि का संदाय किए जाने के लिए कोई कदम नहीं उठायेगा। धारा 42 वस्तुओं की विशिष्ट सुपुर्दगी के आदेशों का अनुपालन न किए जाने के लिए मामले में न्यायालय को उपयुक्त आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 45 सशर्त विक्रय करारों के लिए भी धारा 35 से 44 तक के प्रावधानों को लागू करती है। धारा 46 से 50 तक में कतिपय अनुपूरक प्रावधान दिए गए हैं जिनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

2.2.9 धारा 51 ही स्वामी/विक्रेता के साथ दो या अधिक करार करने वाले अवक्रेता/क्रेता द्वारा किए गए संदायों के विनियोग के बारे में है। धारा 51 में कहा गया है कि जहां वस्तुओं का कब्जा वापस लेने के स्वामी/विक्रेता के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध है और वह प्रतिबंध विद्यमान है वहां वस्तुओं को लौटाने से इन्कार करने को संपरिवर्तन नहीं समझा जायेगा। धारा 57 से 62 में कतिपय अनुपूरक प्रावधान अन्तर्विष्ट हैं। इस तथ्य का फिर से उल्लेख किया जा सकता है कि जहां 1965 का अधिनियम 1964 के अधिनियम का निरसन करता है वहां 1964 के अधिनियम के भाग तीन का निरसन नहीं किया गया है।

2.2.10 ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने वर्ष 1974 में उपभोक्ता ऋण अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया। यह अधिनियम उपभोक्ता ऋणों के बारे मे क्राउदर समिति (1971) की बहुत सी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम समस्त ब्रिटेन में व्यक्तियों को 5000/- पौण्ड से अनधिक राशि का ऋण उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विनियम संहिता सुस्थापित करता है। इसमें उन लोगों के लिए लाईसेन्स लेने की व्यवस्था है जो व्यक्तियों को (एकमात्र व्यापारियों तथा उनके भागीदारों सहित) उपभोक्ता ऋण और आनुषंगिक ऋण देने का कारोबार करते हैं। इसके अन्तर्गत वे सभी संव्यवहार आ जाते हैं जो पहले किसी भी अधिनियमिति से विनियमित नहीं थे। यह, बैंकर्स, वित्तीय गृह, आवास समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों, जीवनबीमा कार्यालयों साहूकारों, पण्यमकारों, चैक तथा बाउचरों के व्यापारियों, ऋणपत्र जारी करने वालों, मेल आर्डर कम्पनियों, फुटकर विक्रेताओं, सेवा उद्योगों, बन्धक रखने वाली कम्पनियों तथा वित्तीय प्रबन्ध करने वाले अन्य कारोबारियों पर लागू होता है। यह बन्धक रखने वालों, वित्त तथा बीमा ब्रोकरों, सालिसीटरों, एस्टेट ऐजेन्टों, ऋण कलक्टरों, ऋण बीमा कर्ताओं तथा क्रेडिट रेफ्रेंस ब्यूरोओं को भी प्रभावित करता है। यह अधिनियम न केवल अवक्रय संव्यवहारों पर लागू होता है अपितु पट्टे के संव्यवहारों पर भी लागू होता है। अधिनियम के कतिपय उपबन्ध अर्थात् ऋण लेने वाले संव्यवहारों से संबंधित, ऋण संबंधी उन सभी करारों पर लागू होते हैं जहां ऋणी कोई व्यक्ति है चाहे ऋण की राशि कोई भी हो। यह अवक्रय अधिनियम (भाग-तीन के अतिरिक्त) 1964 और अवक्रय अधिनियम, 1965 का निरसन करता है। वास्तव में, इस अधिनियम की अनुसूची चार अवक्रय अधिनियम, 1964 के भाग तीन, जो अवक्रय करार अथवा सशर्त विक्रय आधार पर ली गयी मोटर गाडियों के हक से संबंधित है, का प्रतिस्थापन करती है। इसमें मोटर गाडी के वास्तविक क्रेता को ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है जिसने इसे अवक्रय करार पर अथवा सशर्त विक्रय करार पर प्राप्त किया है परन्तु जो इसे सम्पत्ति अपने नाम में होने से पूर्व ही बेचना चाहता है। इसमें कतिपय अनुपूरक प्रावधान भी अन्तर्विष्ट हैं।

2.2.11 अधिनियम के प्रारूपकार ने नई अवधारणाएं विकसित किए बिना व्यापक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना असंभव पाया है और इसी के परिणामस्वरूप पूर्णतया नई और कहीं कहीं जटिल परिभाषिक शब्दावली में अधिनियम का भाग दो पुरःस्थापित किया। तथापि, अपने आकार के उपरान्त भी (193 धारायें) अधिनियम जो

विनियमन और लाइसेंस प्रणाली यह स्थापित करता है उसका ब्लूप्रिंट मात्र ही है। यह अनेकों विनियमों, आदेशों और अन्य अधीनस्थ विधानों से परिपूर्ण होगा। यह अधीनस्थ विधान अवश्य ही अधिनियम से भी आकार में बहुत व्यापक होगा"।

2.2.12 उपभोक्ता ऋण अधिनियम, 1974 में 193 धाराएं है जो 12 भागों में दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पांच अनुसूचियाँ हैं जो पर्याप्त विस्तृत हैं। भाग-एक (धारा 1 से 7) में महानिदेशक, उचित व्यापार के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उसका मुख्य कार्य अधिनियम द्वारा स्थापित लाईसेंस प्रणाली को लागू करना और लाईसेंस जारी करने उनका नवीकरण करने, उनमें परिवर्तन करने उन्हें निलम्बित करने और रद्द करने के संबंध में अधिनियम द्वारा प्रदत्त न्यायनिर्णयन कृत्यों का उपयोग करना है। उसें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमयों के कार्यकरण तथा प्रवर्तन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखने की शक्ति प्राप्त है। धारा 2 के अनुसार सैक्रेटरी आफ स्टेट को निदेशक की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने की शक्ति दी गई है। निदेशक के न्यायनिर्णयन कृत्य अधिकरण तथा जांच अधिनियम, 1971 के अधीन गठित की गई अधिकरण परिषद के पर्यवेक्षण के अध्यधीन है। धारा 4 से 7 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक जनता को ऐसी जानकारी तथा परामर्श देने के लिए जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, तथा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध है। इनमें वह फ़ार्म भी दिया गया है जिसमें उसे आवेदन किया जायेगा। धारा 7 में अधिनियम के अधीन दिए गए किसी भी आवेदन में गलत जानकारी देने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

2.2.13 अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लेख करने से पूर्व यह बताना उचित होगा कि धारा 189 में अधिनियम में आने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। इसमें अन्य के साथ-साथ "सशर्त विक्रय करार", "उपभोक्ता ऋण करार", "उपभोक्ता भाडा करार", "उधार विक्रय करार", "ऋणी-ऋणदाता-सप्लाईकर्ता करार", "अवक्रय करार", "ऋणी", "अवक्रेता", "स्वामी", "ऋणदाता", "संरक्षित वस्तुएं", "विनियमित करार", "सीमित उपयोग ऋण करार", "श्योरिटी", "सप्लाईकर्ता", तथा कुलमूल्य जैसी अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है।

2.2.14 भाग-दो ऋण करारों, भाड़े के करारों तथा उनसे जुड़े संव्यवहारों से संबंधित है। धारा 8 में व्यक्तिगत ऋण करार और उपभोक्ता ऋण करार को परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्तिगत करार का अर्थ राशि की सीमा के बिना ऋण प्रबन्ध मात्र से है, जबकि उपभोक्ता ऋण करार का अर्थ 5000 पौण्ड से अनधिक ऋण की शर्त निर्दिष्ट करने वाले व्यक्तिगत ऋण करार से है। किसी उपभोक्ता ऋण करार को अधिनियमित के अभिप्राय के अन्तर्गत विनियमित करार कहा जाता है परन्तु यह कि वह धारा 16 में उपबंधित उन्मुक्तियों के अन्दर न आता हो। धारा 9 में "ऋण" को परिभाषित किया गया है जबकि धारा 10 में कहा गया है कि ऋण करार को "ऋण सुविधा चालू खाता" अथवा "नियत राशि ऋण सुविधा" कहा जा सकता है। धारा 11 में प्रतिबंधित उपयोग ऋण करार तथा अप्रतिबंधित उपयोग ऋण करार को परिभाषित किया गया है। प्रतिबंधित उपयोग ऋण करार एक विनियमित उपभोक्ता ऋण करार है जिसमें ऋणी तथा लेनदार के बीच, वित्तपोषण का संव्यवहार चाहे वह करार का भाग हो अथवा नहीं अथवा ऋणी अथवा लेनदार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के बीच वित्तपोषण का संव्यवहार है। अप्रतिबंधित उपयोग ऋण करार प्रतिबंधित उपयोग ऋण करार के क्षेत्राधिकार से परे उपभोक्ता ऋण करार है। धारा में विनिर्दिष्ट है कि "ऋण-लेनदार-सप्लाईकर्ता करार" से क्या अभिप्रेत है। धारा 13 में "ऋणी-लेनदार करार" को परिभाषित किया गया है। धारा 14 में "उधार-प्रतीक करार" का अभिप्राय बताया गया है और धारा 15 में "उपभोक्ता भाड़ा करारों" को परिभाषित किया गया है। धारा 15 के अनुसार उपभोक्ता भाड़ा करार किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति (अवक्रेता) के साथ उपनिधान के लिए किया गया करार है अथवा (स्काटलैण्ड में) एक ऐसे करार के अधीन अवक्रेता को वस्तुएं भाड़े पर देना जो (क) अवक्रय करार नहीं है (ख) तीन माह से अधिक अवधि तक जीवंत है (ग) अवक्रेता से 5000 पौण्ड से अनधिक संदाय की अपेक्षा करता है" —दूसरे शब्दों में इसका अपवर्जन नहीं है तो उपभोक्ता भाड़ा करार भी एक विनियमित करार है। इस स्तर पर यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि "अवक्रय करार" नामक अभिव्यक्ति (धारा 189 में परिभाषित रूप में) से सशर्त विक्रय करार से भिन्न ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन (क) वस्तुएं अपनिहित की जाती हैं अथवा (स्काटलैण्ड में) उपनिहिती द्वारा आवधिक संदाय पर भाड़े पर ली जाती हैं और (ख) वस्तुओं की सम्पति करार की शर्तों के पूरा होने पर उस व्यक्ति को सक्रान्त की जाएगी अथवा निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक घटित हो:

(एक) उस व्यक्ति द्वारा क्रय के विकल्प का प्रयोग किया गया हो,

(दो) करार के किसी पक्षकार द्वारा कोई अन्य विशिष्ट कार्य करना,

(तीन) कोई अन्य विशिष्ट घटना का घटित होना

2.2.15 धारा 16 में छूट का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार अधिनियम किसी ऐसे उपभोक्ता ऋण करार को विनियमित करता है जहां लेनदार स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई बिल्डिंग सोसाइटी सैक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा विनिर्दिष्ट कोई बीमा कम्पनी, फ्रैन्डली सोसाइटी नियोक्ता अथवा कर्मचारी संगठन, कोई चैरिटी, कोई भूमि सुधार कम्पनी, अथवा किसी लोक अथवा सामान्य अधिनियम में उल्लिखित अथवा निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय हो। इस धारा में ऐसे करार विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिन्हें उसके अधीन छूट प्राप्त है। धारा 17 के ऋण करार के रूप में ऐसे लघु करार विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिनमें अन्तर्ग्रस्त राशि 30 पौण्ड से अनधिक है और धारा 18 में अन्य बहुत से करार परिभाषित किए गए हैं। धारा 19 में परस्पर संबंधित करार परिभाषित किए गए हैं, जबकि धारा 20 में उपभोक्ता ऋण करार के अधीन दिए गए ऋण दिए जाने वाले ऋणों की ऋणी के लिए सही राशि निश्चित करने के लिए सैक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा विनियम बनाने की अवधारणा है।

2.2.16 भाग-तीन ऋण तथा भाड़े के कारोबार के लिए लाईसेंस देने के बारे में है। धारा 21 में बताया गया है कि उपभोक्ता ऋण अथवा उपभोक्ता भाड़ा कारोबार करने के लिए लाईसेंन्स लेना आवश्यक है (जैसा कि बताया जा चुका है, उपभोक्ता ऋण कारोबार ऋण प्रावधानों से संबंधित है जबकि उपभोक्ता भाड़ा करार पट्टे से संबंधित करार है जैसा कि धारा 15 में परिभाषित किया गया है) धारा 22 में कहा गया है कि धारा 21 के अन्तर्गत लाईसेन्स स्टैन्डर्ड लाईसेन्स हो सकते हैं अथवा ग्रुप लाईसेंस, जैसी भी स्थिति हो। धारा 23 से 28 लाईसेंसों में दिए जाने वाले मामलों, लाईसेंसों के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के स्वरूप के बारे में है। धारा 29 से 42 लाईसेंसों की अवधि, अन्तर, निलम्बन तथा रद्द किए जाने से संबंधित है। इन धाराओं में ऐसी स्थितियों का भी उल्लेख है जिनमें कोई लाईसेंस समाप्त अथवा उसका शोधन अक्षम हो जाता है। लाईसेंस के संबंध में कोई मंत्रणा करने अथवा अन्य किसी प्रकार से उसकी अधिकारिता कम करने से संबंधित किसी निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

2.2.17 भाग-चार, जिसमें धारा 43 से 54 तक अन्तर्विष्ट है, विज्ञापनों अथवा विज्ञापन कारोबार के बारे में है। यह भाग प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों से संबंधित है जिनमें यह दर्शाया जाता है कि विज्ञापनदाता ऋण उपलब्ध कराने अथवा वस्तुओं के उपनिधान अथवा भाड़े पर देने के लिए करार करने का इच्छुक है। धारा 44 विज्ञापनों के स्वरूप और विषय-वस्तु के बारे मे है। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि सैक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसे विज्ञापनों के स्वरूप और विषय-वस्तु के बारे में विनियम बनाएगा। धारा 45, 46 और 47 के असत्य और भ्रामक अथवा अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए विनियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों का निषेध है। धारा 48 में व्यापार परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर विनियमित करारों का प्रचार करने अथवा उनके बारे में कोई याचना करना निषेध है। धारा 49 में ऋणी-लेनदार करारों के बारे में ऐसा ही निषेध अन्तर्विष्ट है। धारा 50 में अवयस्कों को ऐसी सामग्री भेजने के लिए दण्ड का प्रावधान है। धारा 53 उपभोक्ता ऋण/भाड़ा कारोबार करने वाले को विहित सूचना विहित रूप से प्रकाशित करने के लिए बाध्य करती है।

2.2.18 भाग-पांच, जिसमें धारा 55 से 74 तक अन्तर्विष्ट है, ऋण अथवा भाड़ा करार करने तथा उनके रद्द किए जाने से संबंधित है। धारा 55 ऋणी/अवक्रेता को लेनदार द्वारा सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी बनाती है जबकि धारा 56 अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पूर्वगामी वार्ता को भी ले आती है। धारा 57 में किसी पक्षकार को भावी करार से अर्थात करार सम्पन्न होने से पूर्व, अपने को अलग करने की व्यवस्था है। धारा 59 में यह उद्घोषणा की गई है कि ऋणी/अवक्रेता के विरुद्ध भावी विनियमित करार शून्य हो जाता है। धारा 60 में 'विनियमित करारों' के स्वरूप और विषयवस्तु का प्रावधान है और इस अभिव्यक्ति को धारा 189 में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है: "विनियमित करार से छूट प्राप्त करार से भिन्न उपभोक्ता ऋण करार अथवा उपभोक्ता भाड़ा करार अभिप्रेत है और "विनियमित" और अविनियमित" करार का तदनुसार पृथक अर्थ लगाया जायेगा। इस धारा में यह अवधारित किया गया है कि सैक्रेटरी ऑफ स्टेट इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाएगा कि ऋणी अवक्रेता को करार से संबंधित सभी जानकारी दे दी गयी है। धारा 61 में करार पर दोनों पक्षों द्वारा अर्थात

अवक्रेता/ऋणी तथा लेनदार/स्वामी हस्ताक्षर किए जाने का प्रावधान है। इसमें उल्लिखित है कि दस्तावेज में विवक्षित शर्तों के अतिरिक्त सभी शर्तें अन्तर्विष्ट होनी चाहिएं। जो दस्तावेज धारा 61 के प्रावधान के अनुसार सम्पन्न नहीं हुआ है उसे "समुचित रूप से निष्पादित नहीं "घोषित किया जाएगा। धारा 63 के अनुसार स्वामी/लेनदार ऋणी /विक्रेता को करार की प्रति सप्लाई करना बाध्यकर होगा। धारा 64 में यह प्रावधान है कि रद्द किए जाने वाले करार के मामले में, करार के साथ विहित प्रपत्र में उन शर्तों को बताते हुए जिनमें करार रद्द किया जाएगा। एक नोटिस संलग्न किया जाएगा। धारा 65 में यह घोषित किया गया है कि समुचित रूप से निष्पादित न किया गया करार ऋणी/अवक्रेता के विरुद्ध अप्रवर्तनीय होगा। धारा 67 में बताया गया है कि रद्द किए जाने वाला करार क्या है। धारा 69 रद्द करने के नोटिस से संबंधित है और 70 उन परिणामों और परिस्थितियों का उल्लेख है जो विनियमित करार के रद्द किए जाने के बाद उत्पन्न होगी। धारा 71, 72 और 73 भी इसी विषय से संबंधित है। धारा 74 में कतिपय करारों का अवर्जन किया गया है। (भाग पांच को अधिकार क्षेत्र से गैर वाणिज्यिक करार, अध्यादान करार आदि।)

2.2.19 भाग-छः में 75 से 86 तक धाराएं अन्तर्विष्ट है जिनमें ऋण अथवा भाड़ा करार के चलते उत्पन्न होने वाले मामलों का उल्लेख है धारा 75 में यह उद्घोषणा की गई है कि यदि ऋणी को धारा 12(ख) अथवा 12(ग) किसी करार के अधीन वित्तपोषित संव्यवहार के संबंध में सप्लाईकर्ता के विरुद्ध दुर्व्यपदेशन अथवा संविदा के उल्लंघन का कोई दावा है, तो यह दावा लेनदार पर भी, जो सप्लाईकर्ता के साथ साथ संयुक्त रूप से ऋणी के प्रति जिम्मेदार है, उसी रूप में लागू होगा। धारा 76 में कहा गया है कि लेनदार/स्वामी द्वारा ऋणी/विक्रेता के विरुद्ध किसी उल्लंघन के लिए अथवा कोई अन्य प्रकार की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस संबंध में 7 दिन पहले कोई नोटिस नहीं दे दिया जाता। धारा 77 में किसी निर्धारित राशि ऋण के विनियमित करार के अधीन लेनदार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 79 स्वामी को, विनियमित भाड़ा करार के अधीन करार के संबंध में तथा उससे संबंधित मामलों के बारे में ऋणी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी बनाने का प्रावधान करती है। ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने में स्वामी की असफलता करार को प्रभावी बनाने से स्वामी को अनधिकृत करती है। धारा 81 ऐसे ऋणी/अवक्रेता द्वारा किए गए संदायों के बारे में हैं जिसके उसी स्वामी/लेनदार के साथ दो या दो से अधिक विनियमित करार हैं। यह ऋणी/अवक्रेता को अपने संदायों की राशि का विनियोग करने के लिए निदेश देने हेतु अधिकृत करती है तथा इसमें ऐसी परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जहां ऐसा निदेश नहीं दिया जा सकेगा। धारा 82 में लेनदार/स्वामी द्वारा करारों में, ऋणी/अवक्रेता को उसके परिणामों की सूचना देते हुए, रूपभेद करने की व्यवस्था है। धारा 83, 84 और 85 में ऋणी के लिए ऋण संबंधी करारों में कतिपय सुरक्षोपाय अन्तर्विष्ट हैं। धारा 86 में ऐसी परिस्थितियों के बारे में व्यवस्था है जहां ऋणी/अवक्रेता की मृत्यु हो जाती है।

2.2.20 भाग-सात, जिसमें धारा 87 से 104 तक अन्तर्विष्ट है, करारों के व्यतिक्रम और पर्यवसान के बारे में है। धारा 87 में घोषणा की गई है कि किसी विनियमित करार के अधीन ऋणी/अवक्रेता द्वारा किसी प्रकार के व्यतिक्रम अथवा उल्लंघन के लिए स्वामी कोई कार्यवाही करने से पूर्व इस संबंध में पहले नोटिस देगा। धारा 88 में ऐसे नोटिस की विषय-वस्तु विहित की गई है और धारा 89 में कहा गया है कि यदि विहित अवधि के पूर्व ऋणी व्यतिक्रम अथवा उल्लंघन को ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही कर लेता है तो स्वामी/लेनदार को प्रस्तावित कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

2.2.21 धारा 90 "संरक्षित अवक्रम करारों" और संरक्षित सशर्त विक्रय करारों" के बारे में है। इसमें कतिपय परिस्थितियों में ऐसे किसी करार (विनियमित करार) के अधीन वस्तुएं वापस लेने के लिए स्वामी के अधिकार पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। धारा 91 में घोषणा की गई है कि लेनदार द्वारा धारा 90 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए वस्तुएं वापस ले ली जाती हैं तो करार समाप्त समझा जाएगा और ऋणी उसके अधीन अपनी देयताओं से मुक्त होगा। इसकी उपधारा (1) में कहा गया है कि लेनदार अथवा स्वामी को न्यायालय के आदेश के सिवाय, "विनियमित उपभोक्ता भाड़ा करार" के अधीन वस्तुओं का कब्जा लेने के लिए किसी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होगा। धारा 93 अवक्रेता के किसी दोष के मामले में स्वामी द्वारा ब्याज में वृद्धि करने का निषेध करती है। धारा 94 ऋणी को समय से पूर्व संदायों के पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है और धारा 95 ऐसी स्थिति में ऐसी छूट (रिबेट) का प्रावधान करती है जिसे पाने का वह हकदार है। धारा 97 के अनुसार लेनदार ऐसी सभी जानकारी देने के लिए बाध्यकारी है जो करार के संबंध में ऋणी द्वारा मांगी जाए। धारा 99 ऋणी को विहित नोटिस देकर अवक्रय अथवा सशर्त विक्रय करार का

पर्यवसान करने का (उन मामलों को छोड़कर जहां भूमि का हक सशर्त विक्रय करार के अधीन ऋणों को संक्रान्त हो गया हो) अधिकार देती है और धारा 100 में इस प्रकार के पर्यवसान के मामले में अवक्रेता की देयताओं का प्रावधान है। धारा 100 की उपधारा (1) का पाठ इस प्रकार है: "जहां विनियमित अवक्रय करार अथवा विनियमित सशर्त विक्रय करार का धारा 99 के अधीन पर्यवसान हो जाता है वहां ऋणी, जब तक करार में अपेक्षाकृत लघु संदाय का प्रावधान न हो अथवा किसी भी संदाय का प्रावधान न हो, लेनदार को ऐसी राशि का (यदि कोई हो) संदाय करने का दायी होगा जिससे उसके संदत्त राशि और कुल मूल्य के संबंध में शेष देय राशि का कुल जोड़ वस्तु के कुल मूल्य के आधे से अधिक हो"। अन्य उपधारा करार के पर्यवसान से संबंधित अनुषंगी मामलों के लिए उपबंध दिए गए है। इसी प्रकार धारा 101 अवक्रेता को भाड़ा का पर्यवसान करने की शक्ति प्रदान करती है।

2.2.22 भाग-आठ, जिसमें 105 से 120 तक धारायें अन्तर्विष्ट हैं, प्रतिभूतियों, गिरवियों, परकाम्य लिखतों और भूमि बन्धकों के प्ररूप और विषय-वस्तु के बारे में है। धारा 105 में उद्घोषित किया गया है कि किसी विनियमित करार के संबंध में दी जाने वाली प्रतिभूति लिखित में होगी और उसका प्ररूप और विषय वस्तु विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप होगा। धारा 107 में नियत राशि ऋण के लिए किए गए विनियमित करार के अधीन, जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है, लेनदार ऐसे करार तथा प्रतिभूति के संबंध में ऋणी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी होगा। धारा 108 में भी "चालू खाता ऋण करार" के अधीन लेनदार प्रतिभू को जानकारी देने के लिए, बाध्यकर है। धारा 109 में भी स्वामी उपभोक्ता भाड़ा करार के अधीन प्रतिभू को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। लेनदार/स्वामी का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह ऋणी/अवक्रेता को करार के संबंध में निष्पादित प्रतिभूति के बारे में सभी संगत जानकारी उपलब्ध करायेगा I धारा III में कहा गया है कि जहां स्वामी ने किसी प्रकार के व्यतिक्रम का नोटिस दिया है, वहां उसकी एक प्रति प्रतिभू को भी दी जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा निष्पादित प्रतिभूति के कारण उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।

2.2.23 धारा 114 से 122 बन्धकों के बारे में है जिसमें पण्यम करार भी सम्मिलित है। धारा 123 लेनदार/स्वामी के लिए किसी विनियमित करार के अधीन ऋणी/अवक्रेता द्वारा अथवा ऐसे करार के संबंध में प्रतिभू द्वारा देय किसी राशि के संदाय के लिए बैंक नोट अथवा चैक के अतिरिक्त किसी पराकाम्य लिखित को स्वीकार करने का निषेध करती है। इसमें लेनदार/स्वामी द्वारा प्रतिभूति के रूप में किसी देय राशि के भुगतान के लिए कोई पराकाम्य लिखित स्वीकार करने का भी निषेध किया गया है। धारा 124 में धारा 123 में अन्तर्विष्ट निषेध के उल्लंघन के परिणाम दिए गए हैं। धारा 125 "सम्यक् अनुक्रम धारक" के बारे में है।

2.2.24 भाग-नौ अधिनियम से शासित करारों पर न्यायिक नियंत्रण के बारे में है। उक्त भाग में न्यायालयों को उपर्युक्त परिस्थितियों में करार की शर्तों में संशोधन करने और उनका विस्तार करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। यदि कोई करार अवैध अपग्रहण ऋण का सौदा पाया जाता है तो न्यायालय को उसमें संशोधन करने और उसके अधीन ऋणी की देयताओं को पुनर्निश्चित करने का अधिकार है।

2.2.25 भाग-दस, जिसमें 145 से 160 तक धारायें अन्तर्विष्ट हैं, अनुषंगिक ऋण कारोबार, उसकी लाईसेन्स व्यवस्था, निष्पादित करार की विषय-वस्तु तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में है। भाग-ग्यारह में प्रवर्तन प्राधिकरणों, उनकी शक्तियों तथा अन्य संबंधित मामलों का प्रावधान है। धारा 173 अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के विपरीत विनियमित करारों में किसी अनुबंध को सम्मिलित करने का निषेध करती है। भाग-बारह में कतिपय अनुपूरक प्रावधान अन्तर्विष्ट हैं। इसमें धारा 189 सम्मिलित है जिसमें अधिनियम में आयी विभिन्न अभिव्यक्तियां दी गयी हैं।

2.2.26 इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता ऋण अधिनियम 1974 मुख्यतया ऋण संव्यवहारों (साहूकारी तथा ऋण संव्यवहार) और भाड़े के करारों (पट्टा करार) से संबंधित है। यह सच है कि यह अवक्रय तथा सशर्त विक्रय करारों से भी संबंधित है परन्तु इसमें मुख्यतया ऋण तथा भाड़ा करारों को महत्व दिया गया है। इसके विपरीत अवक्रय अधिनियम, 1965 पूर्णतया अवक्रय करारों से (विस्तृत रूप में) संबंधित था। भारतीय अधिनियम (अवक्रय अधिनियम, 1972) का प्रारूप ब्रिटेन के उक्त 1965 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उसके अतिरिक्त, 1989 का विधेयक भी प्रारूपित किया

गया। इस दृष्टि से, यह सुझाव देना (जैसा कि कुछ प्रत्यार्थियों ने सुझाया है) उचित नहीं होगा कि 1972 का अधिनियम बहुत पुराना हो गया है, आज की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, अतः संसद को ब्रिटेन के अधिनियम की भांति उपभोक्ता ऋण अधिनियम अधिनियमित करना चाहिए। इन महापुरूषों ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि "साहूकारिता" विषय हमारे संविधान के अधीन राज्य का विषय है (अनुसूची-सात सूची-दो प्रविष्टि 30) और इसलिए संसद इस विषय में विधि नहीं बना सकती। जहां तक पट्टे के संव्यवहारों का संबंध है, इस विषय पर एक पृथक विधान के बारे में विचार किया जा सकता है परन्तु इस कारण से अवक्रय अधिनियम को, जो 1972 में अधिनियमित किया गया था, कम से कम अब 1989 के संशोधन विधेयक में और इस रिपोर्ट में सुझाए गए उपर्युक्त संशोधनों के साथ, क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए उपभोक्ता संगठन, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, निरन्तर मांग कर रहे हैं।

2.2.27 अब हम अवक्रय वित्तपोषक संघ द्वारा उठाई गयी प्रमुख तथा विस्तृत आपत्तियों, सुझावों और सुझाये गए संशोधनों पर विचार करेंगे।

2.3 अखिल भारतीय अवक्रय वित्तपोषक संघ (यहां इसके बाद संघ कहा जाएगा) ने, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय सिकन्दराबाद में है, आपत्तियों/सुझावों के दो सैट प्रस्तुत किए हैं। संघ ने अपने दिनांक 13 जुलाई, 1998 के पत्र के साथ अवक्रय अधिनियम और संशोधन विधेयक पर अपने अभ्यावेदन संलग्न करे तो इन्हें तत्कालीन प्रधान मंत्री, विधि मंत्री, वित्त मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, विधि सचिव और वर्तमान प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा कुछ अन्य लोगों को भेजे हैं। विशेष रूप से, अपने पत्र के अनुबंध नौ में विस्तृत तालिका में संघ द्वारा सुझाए गए विभिन्न संशोधन, परिवर्तन और ऐसे प्रत्येक सुझाव, संशोधन और आपत्ति के समर्थन में कारण दिए गए हैं। दिनांक 28 अगस्त, 1998 के बाद के एक पत्र में संघ ने अपने दिनांक 13 जुलाई, 1998 के पत्र/अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुबंध नौ की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया है कि यह शुद्ध किया गया नहीं था और गलती से विधि आयोग को भेज दिया गया था। इसमें कहा गया है संघ उक्त अनुबंध की शुद्ध और पुनरीक्षित, प्रति संलग्न कर रहा है।

2.3.1 दोनों अनुबंधों (यहां इसके पश्चात आपत्तियों का पहला सैट और पुनरीक्षित सैट के रूप में उल्लिखित) को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ ने जिन आपत्तियों और सुझावों के विषय में आग्रह किया है वे न केवल 1989 के संशोधन विधेयक से संबंधित हैं अपितु संसद द्वारा 1972 में पारित मूल अधिनियम तथा विधि आयोग द्वारा अपनी प्रश्नावली में प्रस्तावित सुझावों, परिवर्तनों तथा परिवर्धनों से भी संबंधित हैं।

2.4 विधि आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली 1989 के संशोधन विधेयक तथा विधि आयोग द्वारा सुझाये गए संशोधनों, परिवर्तनों तक सीमित थी। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मूल अधिनियम के बारे में इस कारण से कोई आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं कि मूल अधिनियम का प्रारूप स्वर्गीय न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर की अध्यक्षता में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात विधि आयोग ने तैयार किया था। इस पर भी, संघ की उक्त आपत्तियां प्राप्त होने के पश्चात, आयोग ने निर्णय किया है कि ऐसी किसी भी शिकायत को दूर करने के विचार से कि संघ की सभी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया था आयोग मूल अधिनियम से संबंधित आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों पर विचार करेगा। तद्नुसार आयोग ने संघ द्वारा अपने दोनों सैटों में की गई आपत्तियों पर और दिए गए सुझावों में से प्रत्येक पर विचार किया है। यह निष्पक्षता की दृष्टि से तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि मूल विचार विमर्श 26 वर्ष पूर्व हुआ था।

2.5 हमने, तद्नुसार, मूल अधिनियमिति, 1989 के संशोधन विधेयक तथा प्रश्नावली में अन्तर्निहित विधि आयोग के सुझावों के बारे में प्राप्त हुई सभी आपत्तियों पर विचार किया है, जैसा कि भाग-दो के परिशीलन से स्पष्ट हो जाएगा।

2.6 जैसा कि विधि आयोग ने प्रश्नावली में स्पष्ट किया है, यह 1989 के संशोधन विधेयक में सुझाए गए सभी संशोधनों को, प्रश्नावली में पूर्णरूप से अवगीत अपने प्रस्तावित परिवर्तनों, संशोधनों के अध्यधीन, स्वीकार कर रहा है। भाग-दो में की गई चर्चा को इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकेगा।

भाग-दो

निष्कर्ष तथा सिफारिशें

2.7 धारा 2 (ख) "अवक्रय करार" की परिभाषा:

संघ ने आग्रह किया है कि इस धारा को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए कारण आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट के साथ 24 अगस्त, 1998 के उनके पत्र में अन्तर्निहित हैं। यह आग्रह किया गया है कि अवक्रय संव्यवहार वह है जहां "वस्तुएं (अवक्रेता के अनुरोध पर क्रय की गयी) क्रय के विकल्प के साथ भाड़े पर परिदत्त की जाती हैं (वस्तुओं की प्रतिभूति पर कोई अधिदाय नहीं किया जाता है, जैसा कि अभी तक उपलब्ध है, जो वर्तमान अधिनियम के पाठ में स्पष्ट रूप से दर्शायी गयी है)"। विधि आयोग की राय में यह आग्रह परिभाषा के अपूर्ण वाचन पर आधारित है। जिस परिभाषा का यहां सुझाव दिया गया है और जिसे विधि आयोग ने पूर्णतया एक नया स्वरूप दिया है उसके अन्तर्गत वे सभी संव्यवहार आ जाते हैं जो संघ ने निर्दिष्ट किए हैं। इस प्रकार जिस आपत्ति का आग्रह किया गया है उसमें कोई सार नहीं रह जाता है। अपने 13 जुलाई, 1998 के पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी आपत्तियों में संघ ने परिभाषा में "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और खर्चों के साथ जो देय हो" शब्द जोड़ने का सुझाव दिया था। संघ ने परिभाषा में खण्ड (ii) के अन्त में इन शब्दों को जोड़े जाने की इच्छा व्यक्त की थी। विधि आयोग का मत है कि उसके द्वारा अब जिस परिभाषा का सुझाव दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए यह सुझाव अनावश्यक और असंगत है। "अवक्रय करार" की परिभाषा का पाठ अब निम्नलिखित होगा:—

> "(ग) "अवक्रय करार" से अभिप्रेत है
>
> (एक) ऐसा करार जिसके अधीन माल भाड़े पर दिया जाता है और अवक्रेता को यह विकल्प रहता है कि वह उस करार के निबन्धनों के अनुसार उस माल को क्रय कर ले, और
>
> (दो) माल के विक्रय का ऐसा करार जिसके अधीन क्रय मूल्य अथवा उसके भाग का संदाय किस्तों में किया जाएगा और माल की सम्पत्ति, (माल का कब्जा अवक्रेता के पास होते हुए भी) किस्तों का संदाय अथवा अन्य शर्त, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाएं पूरी होने तक स्वामी में निहित रहेगी।"

इस परिभाषा की दृष्टि से "स्वामी" शब्द की परिभाषा में भी थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है यद्यपि "अवक्रेता" शब्द की परिभाषा में ऐसे किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। "स्वामी" शब्द की परिभाषा का पाठ निम्नलिखित होगा:—

> "(च) स्वामी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अवक्रय करार के अधीन किसी अवक्रेता को भाड़े पर माल देता है या जिसने दिया है या जो माल के कब्जे का परिदान करता या जिसने परिदान किया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसको स्वामी के माल में सम्पत्ति, या उस करार के अधीन, स्वामी के अधिकारों या दायित्वों में से कोई अधिकार या दायित्व समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त हो गए हैं"।

2.8 धारा 2 (घ): अवक्रय मूल्य की परिभाषा:

संघ ने आपत्तियों के अपने मूल सैट में केवल एक परिवर्धन की मांग की है कि "स्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को" शब्दों के पश्चात और "किया जाना है या कर दिया गया है" शब्दों से पूर्व "स्वामी द्वारा प्राधिकृत" शब्द और जोड़े जाएं। विधि आयोग को ऐसे शब्दों के परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है जो केवल स्पष्टकारी स्वरूप के हैं। संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि "अवक्रय प्रभारों" शब्दों के स्थान पर "भाड़ा प्रभारों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। इस परिवर्तन के समर्थन में कारण "अवक्रय करार" अभिव्यक्ति की परिभाषा के प्रति अपनी आपत्ति का विस्तार करना है जो अस्वीकार्य पाया गया है।

2.8.1 यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि विधि आयोग ने परिभाषा को सरल बनाने की दृष्टि से इसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया था परन्तु आगे विचार करने के पश्चात आयोग ने मूल अधिनियम में अन्तर्विष्ट परिभाषा को अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 में दर्शाए गए संशोधन के साथ बनाये रखने का निर्णय किया। तद्नुसार धारा 2 खण्ड (घ) में "अवक्रय मूल्य" की परिभाषा का पाठ निम्नलिखित होगा:—

> "(घ) "अवक्रय कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को

या उस माल में निहित सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय करार के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरंभिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय में अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य किसी तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि भी नहीं है जो—

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसी को प्रतिष्ठापित करने के लिए करार के निबन्धनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है; अथवा

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अथवा फीस के रूप में संदेय है; अथवा

(iii) बीमे के प्रीमियम के रूप में संदेय है, और

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है।"

2.9 1989 के (संशोधन) विधेयक में धारा 3 की उपधारा (1) में खण्ड (ग) जोड़ा गया है जिसमें अवक्रय करार की अपेक्षायें उपवर्णित की गई हैं। अखिल भारतीय अवक्रय संघ ने इस खण्ड को निकालने का प्रस्ताव किया है। साथ ही वे चाहते हैं कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्त में "जिसमें उसके पक्षकारों के मुख्य अधिकार और दायित्व अन्तर्विष्ट हैं" शब्द जोड़े जाएं। विधि आयोग को उक्त सुझाव से सहमत होने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संघ ने उपधारा (1) में कतिपय शब्दों को जोड़ने का भी सुझाव दिया है जिसे विधि आयोग ने इस धारा में उपधारा (4) अन्तःस्थापित करके पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया है। एक अन्य आपत्ति यह है कि "प्रतिभू" शब्द के स्थान पर "प्रत्याभूति-दाता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता है। मूल अधिनियम में अन्तर्विष्ट धारा 3 और 1989 के (संशोधन) विधेयक द्वारा प्रस्तावित धारा उपयुक्त है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार धारा 3 का पाठ इस प्रकार होगा:

"3 अवक्रय करारों का लिखित रूप में और उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना:—

(i) प्रत्येक अवक्रय करार—

(क) लिखित होगा,

(ख) उस पर उनके सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे, और

(ग) उसके साथ विहित रूप में एक और घोषणा होगी जिसमें अवक्रेता के मुख्य अधिकार और बाध्यताएं अन्तर्विष्ट होंगी और उस पर करार के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन अवक्रय करार के बारे में नहीं किया गया है तो वह अवक्रय करार शून्य होगा।

(3) जहां प्रत्याभूति की संविदा है वहां प्रतिभू भी अवक्रय करार पर हस्ताक्षर करेगा और यदि उसने अवक्रय करार पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो अवक्रय करार स्वामी के विकल्प पर शून्य किया जा सकेगा।

2.10 विधि आयोग ने धारा 4 में उपधारा (1क) जोडने का सुझाव दिया था संघ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है परन्तु यह आग्रह किया है कि यह उपबंध धारा 3 में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तदनुसार यह सिफारिश की जाती है कि धारा 3 में एक निम्नलिखित नई उपधारा अर्थात् उपधारा (4) जोड़ी जानी चाहिए:

"(4) अवक्रय करार और घोषणा, पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित दो प्रतियों (सैटों) में निष्पादित होंगे। करार निष्पादित होने के तुरन्त पश्चात ऐसी एक प्रति अवक्रेता को दी जाएगी और जहां प्रतिभू है, वहां एक अन्य प्रति प्रतिभू को दी जाएगी।"

2.11 **धारा 4:** संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए आपत्तियों के परवर्ती सैट में धारा 4 के बारे में कोई विशिष्ट आपत्ति

अथवा सुझाव नहीं दिए गए हैं। जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है वे वाक्य रचना संबंधी विधेयक 1989 में प्रस्तावित संशोधनों के अतिरिक्त अन्य परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है।

2.12 **धारा 7:** आपत्तियों के पहले सैट में संघ ने प्रथम आपत्ति में धारा 7 के शीर्षक को प्रतिस्थापित करने का आग्रह किया। धारा 7 का वर्तमान शीर्षक "अवक्रय-प्रभारों" पर निर्बन्धन। है। संघ ने इच्छा व्यक्त की है कि इसे "कानूनी अवक्रय-प्रभार" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। हमें इस परिवर्तन का कोई कारण नहीं दिखता है।

1.12.1 1989 के (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के अनुरूप धारा (7) की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट परिभाषाओं के प्रति कोई आपत्ति नहीं की गई है। विधि आयोग द्वारा अपनी प्रश्नावली के पैरा 6 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार उक्त परिभाषाओं के प्रतिस्थापन पर, कतिपय वाक्य रचना संबंधी परिवर्तनों के सिवाय, कोई आपत्ति नहीं की गई है (देखे संघ की आपत्तियों का पुनरीक्षित सैट)। तदनुसार, धारा 7 की उपधारा (1) का पाठ इस प्रकार होगा:

"(1) इस धारा में:

(क) "माल की नकद कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है जिस पर कोई भावी क्रेता, अवक्रय करार की तिथि को, नकद राशि पर माल का क्रय कर सकेगा",

(ख) "निक्षेप" से वह राशि अभिप्रेत है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य प्रारम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन किसी ऐसे निक्षेप या संदाय के सम्बन्ध अवक्रेता के नाम में जमा की गई या जमा की जाने वाली है चाहे वह राशि धन के संदाय अथवा माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या किसी अन्य तरीके से चुकाई जानी है या चुका दी गई है"।

(ग) "अवक्रय प्रभारों" के माल की शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है,

(घ) "माल की शुद्ध नकद कीमत" से किसी निक्षेप की राशि को घटाकर माल की नकद कीमत अभिप्रेत है,

(ङ) "शुद्ध अवक्रय कीमत" से किसी निक्षेप राशि को घटाकर आयी अवक्रय कीमत अभिप्रेत है,

(च) "कानूनी अवक्रय प्रभारों" से उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र के अनुसार विनिश्चित राशि अभिप्रेत है"।

2.12.2 1989 के (संशोधन) विधेयक में धारा 7 की उपधारा (2) का पूर्णरूप से प्रतिस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग इस प्रकार के प्रतिस्थापन से सहमत है जैसा कि "प्रश्नावली" में दर्शाया गया है। विधि आयोग ने उपधारा में दिए गए सूत्र को स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा में एक दृष्टांत जोड़ने का भी प्रस्ताव किया है। संघ ने आपत्तियों के पहले सैट में केवल यह सुझाव दिया है कि उक्त उपधारा से "अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अथवा यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर विनिर्दिष्ट है तो उस निम्नतर दर से" शब्द निकाल दिए जाएं और उनके स्थान पर "पारस्परिक सहमति प्रतिशत पर प्रतिवर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट में न केवल ब्याज की दोनों दरें (नए माल के लिए 18 प्रतिशत और पुराने माल के लिए 24 प्रतिशत अपितु अन्य वाक्य रचना संबंधी बहुत से परिवर्तनों के सुझाव दिए गए हैं। वास्तव में संघ ने उपधारा (2) को इस आधार पर पूरी तरह से निकालने के लिए आग्रह किया है कि इससे कारोबार करने का नागरिकों का मूल अधिकार प्रभावित होता है। इस सुझाव से सहमत होना संभव नहीं है क्योंकि इससे अधिनियम तथा संशोधन विधेयक के एक प्रमुख उद्देश्य को आघात पहुंचेगा। ब्याज की दरों की सीमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अन्तर्गत न्यायोचित है। बाजार में चल रहीं वर्तमान ब्याज दरों के संदर्भ में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वामी को अपने कारोबार के प्रयोजन से एक स्थापन तथा कर्मचारी रखने होते हैं, विधि आयोग का मत है कि 18 प्रतिशत की प्रस्तावित दर न्यायोचित है। नए तथा पुराने दोनों प्रकार के माल के लिए एक ही दर होगी। तदनुसार धारा 7 की उपधारा (2) का, दृष्टांत सहित पाठ निम्नलिखित होगा:—

"(2) कानूनी अवक्रय प्रभार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर संगणित रकम होगी, या, यदि उपधारा (3)

के अधीन निम्नतर दर विनिर्दिष्ट है, तो उस निम्नतर दर से निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी:—

$$\text{का} = \frac{\text{शु} \times \text{द} \times \text{स}}{100}$$

इस सूत्र में—

का=कानूनी अवक्रय प्रभार है;

शु=शुद्ध नकद कीमत है;

द=दर है;

स=समय है जो वर्ष में वर्ष के भागों में अभिव्यक्त वह समय है जो करार की तारीख में उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को अन्तिम अवक्रय किस्त करार के अधीन संदेय है;

उपधारा (1) और (2) के लिए दृष्टांत:—"क" एक अवक्रेता है जो (ख) स्वामी से अवक्रय आधार पर एक कार खरीदता है। कार की नकद कीमत 65,000/ रुपये है। "क" अवक्रय करार की तारीख को 15,000/- रुपये निक्षेप की राशि का संदाय करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कार की शुद्ध नकद कीमत 50,000/ रुपये है। इस धारा के अनुसार ब्याज की अनुमन्य दर 18 प्रतिशत है। पक्षकारों के बीच करार की अवधि पांच वर्ष है और शुद्ध अवक्रय कीमत का संदाय 60 समान मासिक किस्तों में किया जाना है। तदनुसार, उक्त सूत्र को लागू करते हुए इस मामले में कानूनी अवक्रय प्रभार की राशि निम्नलिखित रूप में 45,000/- रु० बन जायेगी—

$$\frac{50{,}000 \times 18 \times 5}{100} = 45{,}000/\text{- रु०}$$

अवक्रय प्रभार कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक नहीं हो सकते।

इस प्रकार इस दृष्टांत में, अवक्रय कीमत 1,10,000/- रु० अर्थात 65,000/- रु० जमा 45,000/- रु०। शुद्ध अवक्रय कीमत 95,000/- रु० अर्थात 1,10,000/-रु० — 15,000/- रु० निक्षेप राशि 95,000/- रु० की राशि का संदाय 60 मासिक किस्तों में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 45,000/- रु० की यह राशि क्योंकि कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि है, इसकी संगणना पक्षकारों द्वारा अवक्रय करार करने की तारीख को कर ली जानी चाहिए और करार में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.13 **प्रस्तावित धारा 7 क:** विधि आयोग ने अपनी प्रश्नावली में यह सुझाव दिया था कि धारा 7 के पश्चात एक नई धारा 7क जोड़ी जानी चाहिए और धारा 7 की उपधारा 4, 5 और 6 का लोप कर दिया जाना चाहिए। इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। तदनुसार, यह सिफारिश की गई है कि धारा 7 की उपधारा 4,5 और 6 का लोप किया जाए और धारा 7 के पश्चात निम्नलिखित धारा 7क अन्तःस्थापित की जाए:—

"धारा 7क—अवक्रय प्रभार कानूनी अवक्रय प्रभारों से

अनधिक होंगे: अवक्रय करार में कोई अनुबंध, जिसके अधीन अवक्रेता धारा 7 की उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक राशि अवक्रय प्रभार के रूप में देने के लिए बाध्यकर है वहां वह करार शून्य हो जायेगा और प्रवर्तनीय नहीं होगा। स्वामी जो अवक्रय प्रभार के रूप में कानूनी अवक्रय प्रभार से अधिक राशि वसूल कर लेता है वह ऐसी वसूली के तुरन्त पश्चात, या जब कभी अवक्रेता द्वारा मांगी जाए, अधिक वसूल की गई राशि को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करेगा। यदि स्वामी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो अवक्रेता उक्त राशि की वसूली के लिए न्यायालय में जा सकेगा।

2.14 1989 के (संशोधन) विधेयक अधिनियम की धारा 9 में जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है उनके

बारे में संघ के आपत्तियों के दोनों सैटों में कुछ छोटे मोटे वाक्य रचना संबंधी परिवर्तनों को छोड़कर कोई अन्य आपत्ति नहीं उठायी गई है। धारा 9 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र का स्पष्टीकरण करने की दृष्टि से धारा 9 की उपाधारा (2) के पश्चात् एक दृष्टांत जोड़ने के बारे में भी कोई आपत्ति नहीं की गई है। तदनुसार, धारा 9 का पाठ निम्नलिखित होगा:—

"9. **किसी भी समय रिबेट पर क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार:** (1) अवक्रेता अवक्रय करार के विद्यमान रहते किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उस माल का क्रय, स्वामी को ऐसे अनुषंगिक प्रभारों और ब्याजों सहित जो करार के निबंधनों के अधीन संदेय हो, उस अवक्रय कीमत या उसके अतिशेष का जो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से रिबेट को उसमें से काटकर हो, संदाय या निविदान करके पूरा कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट की राशि की संगणना उस तारीख को जिस पर अवक्रेता वस्तुओं का क्रय पूरा करना चाहता है अतिशेष राशि पर 18 प्रतिशत की दर से (अथवा ब्याज की ऐसी कम दर पर जो करार में दी जाएं) की जाएगी।

दृष्टांत:इस दृष्टांत के प्रयोजनों के लिए धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित आंकड़ों को ही अपनाया गया है। अवक्रेता इस धारा में अवधारित वस्तुओं के क्रय का विकल्प तीन वर्ष के अन्त में अर्थात् 36 माह पश्चात् प्रयोग करना चाहता है। चौबीस माह अभी शेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में अवक्रेता 6,840/- रु० की राशि के रिबेट का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित रूप में की गई है:—

"इस दृष्टांत में (जैसा कि धारा 7 में अन्तर्विष्ट है) मासिक किस्त 1583.33 पैसे हैं अर्थात् 95,000/- रु० की राशि को 60 से भाग देने पर यह राशि आती है। अवक्रेता ने 36 किस्तों का संदाय किया है जिसका अर्थ है कि वह 56,999.88 पैसे का संदाय कर चुका है और देय अतिशेष 38,000/- रु० रहता है। परन्तु क्योंकि वह 36 माह के अन्त में क्रय करना चाहता है वह 6,840/- रु० का रिबेट पाने का हकदार है जिसका अर्थ यह होगा वस्तुओं के क्रय करने के लिए 31,160/ रु० की राशि का संदाय करना होगा।"

(3) अवक्रय करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध लागू होंगे किन्तु जहां करार के निबंधन अवक्रेता को इस धारा द्वारा अनुज्ञात रिबेट से अधिक रिबेट का हकदार बनाते हैं वहां अवक्रेता करार में उपबंधित रिबेट का हकदार होगा।"

(संशोधन विधेयक में दर्शाया गया सूत्र सरलता से समझने और सरलीकरण की दृष्टि से उक्त सरल सूत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2.15 **धारा 10:**— संघ ने धारा 10 के बारे में आपत्ति उठायी है। वे चाहते हैं कि "माल की मरम्मत और पुनर्नवन पर व्यय की गई राशियों" शब्द जोडे जाएं। (आपत्तियों के पहले सैट में ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई थी। हमने इस सुझाव पर विचार किया है और यह पाया है कि इसका उपधारा (3) के साथ कोई संबंध नहीं है जिसमें केवल अवक्रय करार के पर्यवसान से पूर्व अवक्रेता की देयता का ही उल्लेख है। जिन शब्दों के जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है वे संदिग्धार्थी हैं। तदनुसार उक्त सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

2.16 **धारा 11:**— धारा 11 के बारे में कई आपत्तियां की गई हैं। धारा 11, जिसमें 1989 के (संशोधन) विधेयक द्वारा किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है, अवक्रेता को दो या अधिक करारों के बारे में संदत्त राशि को विनियोजित करने का हक प्रदान करती है। धारा अवक्रेता को उन करारों को विनिर्दिष्ट करने का हक देती है जिनके बारे में उसके द्वारा संदत्त राशि को विनियोजित कराना चाहता है तथा इसमें ऐसी परिस्थिति का भी प्रावधान किया गया है जहां वह अपनी ऐसी प्राथमिकता नहीं दर्शाता है। संघ ने इच्छा व्यक्त की है कि धारा 11 को पूरी तरह से निकाल दिया जाए। इस धारा को निकालने से संघ का तात्पर्य स्वामी वित्तपोषक को अवक्रेता द्वारा संदत्त राशि को स्वामी द्वारा जैसा वह उचित समझे विनियोजित करने का अविनियमित स्वविवेकाधिकार देना है। संघ द्वारा यह बताया गया है कि यदि राशि विनियोजित करने का हक अवक्रेता को दिया जाता है तो इससे कतिपय परिस्थितियों में स्वामी के हितों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह आग्रह किया गया कि "ऐसी संभावना है कि किसी समय अवक्रेता जिसके किसी अवक्रय वित्तपोषक के साथ तीन या चार अवक्रय करार हैं, एक या दो लेखाओं में बहुत अधिक राशि बकाया हो सकती है, जबकि दूसरे लेखाओं

में अपेक्षाकृत बहुत कम राशि बकाया हो। ऐसी स्थिति में, यदि या तो अवक्रेता को उसकी इच्छानुसार संदत्त राशि विनियोजित कराने का अधिकार दिया जाता है अथवा यदि वित्तपोषक को जिस क्रम में करार किए गए हैं उसी क्रम से लेखाओं में राशि विनियोजित करनी पड़े तो ऐसी स्थिति में वे लेखे शीघ्र बन्द हो जायेंगे जिनमें बहुत कम राशि बकाया है और वे लेखे जिनमें बकाया राशि बहुत अधिक है उसी प्रकार बने रहेंगे (आपत्तियों के प्रथम सैट से उद्धृत) विधि आयोग को इस आपत्ति में कोई ठोस आधार प्रतीत नहीं होता है। धारा 11 संविदा विधि के सुविख्यात सिद्धान्त को (भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 59 और 60 द्वारा) मान्यता देती है और प्रभावी बनाती है और उससे विलग होने का कोई कारण नहीं है। संघ द्वारा आधारित स्थिति काल्पनिक अधिक है वास्तविक कम। इसलिए हम धारा 11 में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं करते हैं।

2.17 **धारा 12:—** अधिनियम की धारा 12 में 1989 के संशोधनन विधेयक द्वारा उपधारा (4) में अवक्रय करारों के अधीन" शब्दों के पश्चात् "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अधीन देय है" शब्द अन्तः स्थापित करने के प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, संघ ने धारा 12 के प्रति कई आपत्तियां की हैं जो निम्नलिखित हैः—

(क) उपधारा (1) के अन्त में "या यदि उसकी सहमति अनुचित रूप से विधारित की जाती है तो उसकी सहमति के बिना" शब्द हटा दिए जाने चाहिएं।

(ख) उपधारा (2) पूरी तरह से हटा दी जानी चाहिए उपधारा (3) और उसका स्पष्टीकरण भी हटा दिया जाना चाहिए।

2.17.1 संघ की आपत्तियां निम्नलिखित कारणों पर आधारित हैः "अवक्रय करार मूलतः उपनिधान की संविदा की भांति है जहां अवक्रय वित्तपोषक की परिसम्पत्ति सद्भाव से अवक्रेता को वाहन को अपने उपयोग में लाने के बहुत ही सीमित अधिकारों के साथ इस कठोर शर्त पर कि जब तक सम्पत्ति उसके नाम में संक्रान्त नहीं हो जाती तब तक वह उसे विलग नहीं करेगा, सौंप दी जाती है। अवक्रेता का चयन करने से पूर्व वित्तपोषक उसकी विश्वसनीयता तथा पुनर्भुगतान क्षमता की विस्तृत जांच करता है और केवल उसके पश्चात् ही वाहन खरीदा जाता है और उसे भाड़े पर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अस्वीकार्य व्यक्ति, जिसके लिए वित्तपोषक ने वित्तपोषण से इन्कार कर दिया गया है, किसी वर्तमान अवक्रेता को न्यायोचित से अधिक मूल्य देकर वाहन को चोरी से अपने कब्जे में ले सकता है। एक बार वाहन उसके कब्जे में आ जाने पर वह उसे अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है, यहां तक कि उसके पुर्जे आदि खोलकर उसका विघटन कर सकता है और इस प्रकार वित्तपोषक के साथ ठगी कर सकता है। यदि वित्तपोषक संविदा समनुदेशित करने से इन्कार करता है तो अवक्रेता को मामले को न्यायालय में ले जाने की अनुमति है जिसका तात्पर्य यह होगा कि मामला कई वर्षों के लिए लटक जाएगा और इस बीच कोई संदाय भी नहीं होगा——(आपत्तियों के पहले सैट से लिया गया जो सार रूप में पुनरीक्षित सैट की आपत्तियों/सुझावों के समान ही है)।

2.17.2 इस आपत्ति में कुछ सार नजर आता है। संघ द्वारा उठायी गयी आपत्तियों और व्यक्त की गयी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए तथा अवक्रेताओं तथा स्वामियों वित्तपोषकों दोनों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उपधारा (2) को एतद् द्वारा पुनर्गठित किया गया है जबकि धारा की किसी अन्य उपधारा में किसी संशोधन की सिफारिश नहीं की गई है। उपधारा (2) इस प्रकार पुनर्गठित की गई हैः—

"(2) (क) ऐसे समनुदेशन के लिए सहमति देने हेतु प्रत्येक अनुरोध लिखित में किया जाएगा और स्वामी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर उसका लिखित उत्तर देगा।

(ख) अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार, हक और हित के समनुदेशन के लिए यदि स्वामी अपनी सहमति इस आधार पर विधारित करता है कि किसी संदाय की उसकी मांग अथवा उस पर विचारण, जिसका अवक्रय करार में कोई उल्लेख नहीं है, पूरी नहीं हुई अथवा उस पर सहमति नहीं हुई है, तो वहां सहमति अनुचित रूप से विधारित समझी जाएगी।"

2.17.3 उपधारा (2) के उपर्युक्त प्रतिस्थापन में स्वामियों/वित्तपोषकों की आशंकाओं को ध्यान में रखा गया है 2 इस धारा में अवधारणा यह है कि जहां अवक्रय करार के अधीन स्वामी अवक्रेता के अधिकार, हक और हित के समनुदेशन के लिए अपनी सहमति अनुचित रूप से विधारित करता है यहां अवक्रेता को स्वामी की सहमति के बिना ही अपने अधिकार, हक और हित को समनुदिष्ट करने की अनुमुक्ति है। इस प्रयोजन से धारा में यह

परिभाषित किया गया है कि स्वामी द्वारा सहमति का अनुचित विधारण क्या है। यदि धारा के अर्थानुसार सहमति अनुचित रूप से विधारित नहीं की गई है तो अवक्रेता अपना अधिकार, हक और हित स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना समनुदेशित नहीं कर सकेगा। विधि आयोग द्वारा पुनर्गठित उपधारा (2) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल वहां जहां सहमति स्वामी की अधिक राशि की मांग पूरी न होने के कारण जो करार में निर्दिष्ट नहीं है, विधारित की जाती है वहां उसे उपधारा (1) में आशय के अन्तर्गत अनुचित समझा जाएगा और अवक्रेता को स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना ही करार के अधीन अपने अधिकार, हक और हित को समनुदेशित करने का हक प्राप्त होगा।

2.18 **धारा 13:** धारा 13 के बारे में कोई आपत्ति नहीं है और संशोधन विधेयक 1989 में इस धारा के लिए किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।

2.19 **धारा 14: संशोधन, 1989** में धारा 14 के विषय में भी कोई संशोधन प्रावधान नहीं है। इस धारा में माल की देख-रेख करने के बारे में अवक्रेता की बाध्यताएं दी गयी हैं। तथापि, संघ ने कतिपय आपत्तियां की हैं। ये हैं- (I) उपधारा (1) का खण्ड (ख) निकाल दिया जाए और (II) उपधारा (2) के अन्त में" या माल की हानि के कारण" शब्द अन्तः स्थापित किए जायें। आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट में इस आशय का एक नया सुझाव दिया गया है कि उपधारा (1) के खण्ड (क) में "न्यायोचित अवक्षयण के अध्यधीन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाने चाहिए।

2.19.1 हमने संघ के सुझावों तथा उनके समर्थन में दिए गए कारणों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है (आपत्तियों के दोनों सैटों में उल्लिखित) किन्तु हम इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। धारा 14 में वर्तमान स्थिति में, अवक्रेता तथा स्वामी के अधिकारों और बाध्यताओं के बीच एक संतुलन बनाए रखा गया है। उपधारा (1) के खण्ड (ख) को निकालने से बहुत ही विसंगत स्थिति हो जाएगी और जो ऐसे करारों के संदर्भ में अन्यायोचित होने के साथ साथ अवक्रेता के लिए अत्यन्त अनुचित होगी। उपधारा (2) के अन्त में शब्दों का प्रस्तावित अन्तःस्थापना उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुरूप होगा। उपधारा (1) के खण्ड (क) के बारे में नई आपत्ति का भी कोई आधार नहीं है। तदनुसार, धारा 14 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2.20 **धारा 16, माल जहां पर है यह जानकारी देने की अवक्रेता की बाध्यता के बारे में है।** संघ ने सुझाव दिया कि उपधारा (1) के अन्त में "जानकारी देने के समय या यदि जानकारी डाक से भेजी जाती है तो डाक में डालने के समय माल जहां पर है" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय, तिथि तथा स्थानीय जानकारी देगा जिस पर स्वामी अवक्रेता के जानकारी प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन के भीतर माल का निरीक्षण कर सके" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट में अवक्रेता के लिए एक और बाध्यता का प्रस्ताव किया गया है अर्थात स्वामी द्वारा निरीक्षण के लिए माल को प्रस्तुत करना। हमारे विचार में पहली आपत्ति तर्कसंगत है और तदनुसार स्वीकार की जाती है परन्तु दूसरी आपत्ति अस्वीकार्य है (आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट में दी गई)

2.21.1 संघ का दूसरा सुझाव धारा 16 की उपधारा (2) के बारे में है। संघ ने सुझाव दिया है कि उपधारा (2) के अन्त में आए शब्दों "वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा" दण्डनीय होगा, के स्थान पर "स्वामी धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तथापि, विधि आयोग इस सुझाव से सहमत नहीं है। स्वामी के अधिकारों की धारा 18 की उपधारा (2) के द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षा की गई है और धारा 16 की उपधारा (2) के रूप में करार समाप्त करने का एक और अधिकार जोड़ना अनावश्यक है। तदनुसार, धारा 16 का पाठ इस प्रकार होगाः

"(1) जहां किसी अवक्रय करार के आधार पर अवक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह करार से संबंधित माल को अपने कब्जे या नियन्त्रण में रखे वहां अवक्रेता स्वामी से लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर स्वामी को ऐसे समय, तिथि तथा स्थान की जानकारी देगा जिस पर वह अवक्रेता द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन की अवधि के भीतर माल का निरीक्षण कर सकेगा।"

"(2) यदि अवक्रेता सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उक्त जानकारी देने में किसी उचित कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

2.22 **धारा 17:** धारा 17 में स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण कर लिए जाने की दशा में अवक्रेता के

अधिकारों का प्रावधान है। इस धारा में 1989 के संशोधन विधेयक द्वारा कई प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से, उक्त धारा में उपधारा (5) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है। ये प्रस्तावित संशोधन स्वीकार्य हैं और तदनुसार विधि आयोग ने इन्हें स्वीकार कर लिया है।

2.22.1 यद्यपि, संघ ने पहले सैट में कोई आपत्तियां नहीं की थीं, पुनरीक्षित सैट में इस धारा की उपधारा (1), (2) और (3) के बारे में आपत्तियां की गई हैं। यह आग्रह किया गया है कि उपधारा (1) में आये "कम है" शब्दों के स्थान पर "अधिक है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। इस परिवर्तन के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया गया है अतः विधि आयोग इस सुझाव पर विचार करने में असमर्थ है। इस उपधारा के खण्ड (1) में कतिपय शब्दों का अन्तः स्थापन अनावश्यक है क्योंकि संशोधन विधेयक में मुख्य उपधारा में उन शब्दों को पहले ही अन्तःस्थापित कर दिया है। उपधारा (2) में सुझाया गया कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन भी इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि जिन शब्दों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है वे उपधारा की संरचना अथवा स्कीम में उपयुक्त नहीं बैठते। जहां तक उपधारा (3) में कतिपय शब्द प्रतिस्थापित करने का संबंध है, इसके समर्थन में संघ ने कोई कारण नहीं बताया है। तदनुसार, उपधारा (2) और (3) के बारे में दिए गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जा सकते।

2.22.2 संघ ने सुझाव दिया है कि धारा 17 की उपधारा (4) में, "जो उसके द्वारा उचित रूप से अभिप्राप्त की जा सकती थी" शब्दों के पश्चात् "उन मामलों में जहां तत्समय प्रवृत विधि द्वारा माल का स्वामी के नाम में रजिस्ट्री होना अपेक्षित हो, ऐसी रजिस्ट्री की तिथि को और अन्य मामलों में " शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। हम यह नहीं समझ पाए हैं कि किन कारणों से इन शब्दों के प्रतिस्थापन का सुझाव दिया गया है। आपत्तियों के अपने पहले सैट में संघ ने एक मात्र यह कारण बताया है कि "उस माल के अतिरिक्त जिसकी रजिस्ट्री सरकार द्वारा की जानी है, स्वामी के नाम में रजिस्ट्री करने की तारीख आने वाले विधेयक की उपधारा (2) के अधीन, ऐसे मूल्यांकन की तारीख मानी गई है। इस प्रकार उक्त धारा के अनुपालन में, उपधारा (4) में भी समान रूप से तदनुसार ऐसे माल के लिए संशोधन अपेक्षित है। संघ द्वारा उपधारा (2) के प्रावधन में तथा उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट प्रावधान में निहित उद्देश्य को नहीं समझा गया है। अतः उपधारा (4) में सुझाया गया प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं है।

2.22.3 जहां तक धारा 17 में संशोधन विधेयक द्वारा उपधारा (5) अन्तःस्थापित करने का संबंध है, संघ ने आपत्तियों के अपने पहले सैट में सुझाव दिया था कि उपधारा के अन्तिम चरण में "स्वामी स्वविवेक पर" शब्दों के पश्चात् "भाड़े का यथापूर्वकरण करने पर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाने चाहिएं। आगे यह सुझाव दिया गया है कि उपधारा में आये शब्दों "मानों करार समाप्त नहीं हुआ था और स्वामी ने माल का कब्जा नहीं लिया था" निकाल दिए जाने चाहिए। इन सुझावों के समर्थन में दिए गए कारण स्वीकार्य नहीं हैं। उपधारा (5) में स्वामी द्वारा धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन किए गए माल के अभिग्रहण के मामले में अवक्रेता को राहत देने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा रखे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जा सकते। आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट में जबकि उपर्युक्त सुझावों की पुनरावृत्ति नहीं की गई है, एक नया सुझाव अर्थात उपधारा (5) में खण्ड (III) का प्रतिस्थापन करने का दिया गया है। वास्तव में, संघ इस प्रतिस्थापन के द्वारा "भाड़े के यथापूर्वकरण" की अवधारणा को अवक्रय करार के अधीन लाना चाहता है। "करार" और "भाड़े पर देने" के बीच अन्तर करने का प्रयास किया गया है, सिद्धान्त रूप में जिसका कोई आधार नहीं है। हम इन सुझावों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

2.22.4 हरियाणा सरकार ने सुझाव दिया है कि "स्वामी अपने विवेक से कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "स्वामी करेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। इस परिवर्तन के पीछे जो आशय है विधि आयोग उसे भलि-भांति समझता है। अवक्रेता द्वारा एक बार अपना व्यतिक्रम ठीक कर लिए जाने पर जिसके कारण माल का अभिग्रहण किया गया स्वामी में माल वापस करने या न करने का कोई स्वविवेक नहीं रह जाएगा। उसे माल वापस करना चाहिए जब तक कि उसने अवक्रेता के संदाय करने अथवा इस धारा में अवधारित उल्लंघन का अवक्रेता द्वारा उपचार के लिए जाने से पूर्व माल

का निपटान न कर दिया हो। तदनुसार, धारा 17 की उपधारा (5) का अन्तिम पैरा इस प्रकार पुनर्शब्दांकित होगाः—

> "तो स्वामी, अवक्रेता द्वारा संदाय करने अथवा इस उपधारा द्वारा अवधारित उल्लंघन का उपचार किए जाने से पूर्व माल का विक्रय द्वारा अथवा अवक्रय द्वारा निपटान कर दिया गया है
> उन मामलों के सिवाय, अवक्रेता को माल वापस करेगा और माल अवक्रेता द्वारा अवक्रय करार के निबंधनों के अनुसार इस प्रकार से प्राप्त और धारित किया जाएगा मानों करार समाप्त नहीं हुआ था और स्वामी ने माल का कब्जा नहीं लिया था"।

2.23 **धारा 18:** धारा 18, जो अध्याय पांच की पहली धारा है, स्वामी के अधिकारों और बाध्यताओं के बारे में है और स्वामी को भाड़े के संदाय में व्यतिक्रम या अप्राधिकृत कार्य या अध्यव्यक्त शर्तें भंग होने पर अवक्रय करार को समाप्त करने का हक प्रदान करती है। उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि जब अवक्रेता अवक्रय करार में उपबंधित भाड़े का संदाय करने में एक से अधिक व्यतिक्रम करता है तब स्वामी धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और अवक्रेता को, उस दशा में, जिसमें भाड़ा प्रति सप्ताह या इससे कम के अन्तरालों पर संदेय है, एक सप्ताह की तथा किसी अन्य दशा में, दो सप्ताह की लिखित सूचना देने के पश्चात करार को समाप्त करने का हकदार होगा। पहले चरण की आपत्तियों में संघ ने कहा है कि एक व्यतिक्रम होने की दशा में भी, स्वामी करार को समाप्त करने का हकदार होगा। संघ ने अवक्रेता को उपधारा (1) में उपबंधित, एक सप्ताह अथवा दो सप्ताह की, यथास्थिति, लिखित सूचना देने का भी विरोध किया है। इसके लिए एकमात्र यह कारण दिया गया है कि क्योंकि अवक्रेता को वे तिथियां ज्ञात होने पर स्वामी को धारा 21 के अधीन ही करार समाप्त कर देने का हक होना चाहिए। आपत्तियों के पुनरीक्षित सैट में एक व्यक्तिक्रम के तर्क को छोड दिया गया है परन्तु सूचना देने की अपेक्षा पर आपत्ति को दोहराया गया है संघ के इस सुझाव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप उपधारा (1) का उपबंध बहुत कठोर हो जायेगा। विधि को वास्तविक रूप से व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। अतः धारा 18 की उपधारा (1), संशोधन विधेयक, 1989 में प्रस्तावित संशोधन के रूप में, पर्याप्त रूप से न्यायोचित है और अपरिवर्तित रहनी चाहिएं।

2.23.1 धारा 18 की उपधारा (2) में जिन संशोधन का सुझाव दिया गया है वे केवल औपचारिक हैं। संघ चाहता है कि जहां भी "करार" शब्द आया है उसके स्थान पर "भाड़ा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस वाक्य रचना संबंधी परिवर्तन के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। 1989 के संशोधन विधेयक में एकमात्र इस आशय के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है कि उपधारा (1) के परन्तुक में "उसके साथ उस पर ऐसे ब्याज का" शब्दों के स्थान पर "उसके साथ ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों का" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। यह संशोधन पूर्णतया न्यायोचित है और स्वीकार किया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 18, 1989 के संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के सुझाव के सिवाय अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

2.24 **धारा 19:** धारा 19 में, जो अवक्रय करार की समाप्ति पर स्वामी के अधिकारों का प्रावधान करती है, 1989 के (संशोधन) विधेयक द्वारा निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है:—

> (i) धारा 19 के खण्ड (क) में "देय भाड़े की बकाया" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार देय है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए; और
>
> (ii) खण्ड (ग) में "अवक्रेता के परिसर में प्रवेश करे और माल का अभिग्रहण कर" शब्दों के स्थान पर "माल का अभिग्रहण करे" शब्द रखे जाने चाहिएं।

यद्यपि, संघ ने इस संबंध में वाक्य संरचना संबंधी कतिपय परिवर्तनों का सुझाव दिया है किन्तु उनके समर्थन में कोई तर्कसंगत कारण नहीं दिए हैं। तदनुसार (संशोधन) विधेयक, 1989 के प्रस्तावित संशोधनों को छोड़कर जिन्हें विधि आयोग ने स्वीकार कर लिया है, धारा 19 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिएं।

2.25 **धारा 20:** धारा 20 में न्यायालय से भिन्न माध्यम द्वारा माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार पर निर्बन्धन है। 1989 के (संशोधन) विधेयक में अधिनियम की उपधारा (1) के साथ जुड़े "स्पष्टीकरण" में दिए गए अंकों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, "पन्द्रह हजार रुपये" और "पांच हजार रुपये" जहां जहां वे आते हैं उनके स्थान पर क्रमशः "पच्चीस हजार रुपये" और दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। इस धारा के प्रति संघ की प्रमुख और एकमात्र आपत्ति (जो आपत्तियों के प्रथम चरण के सैट में प्रस्तुत की गई यह है कि जहां जहां इसमें "अवक्रय कीमत" शब्द आए हैं उनके स्थान पर "शुद्ध अवक्रय कीमत"

शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। संघ के अनुसार, क्योंकि निक्षेप का संदाय प्रारंभ में ही कर दिया जाता है इसलिए "कानूनी अनुपात" सुनिश्चित करने में उसकी गणना नहीं की जानी चाहिए। तथापि, पुनरीक्षित इस धारा के बारे में आपत्तियों में कई आपत्तियां की गई हैं। सर्वप्रथम, यह आग्रह किया गया है कि सम्पूर्ण धारा 20 अनुचित है क्योंकि इससे स्वामी के मूल अधिकारों का हनन होता है। विकल्पस्वरूप, यह सुझाव दिया गया है कि "स्पष्टीकरण" विभिन्न खण्डों उल्लिखित राशियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस नए सुझाव के समर्थन में वे कारण दिये गए हैं कि "अवक्रय करार" करने पर स्वामी को बहुत बड़ा जोखिम होता है और यह धारा स्वामी को न्यायालय में लेजाने का प्रावधान करती है जहां वर्षों तक कार्यवाही चलती रहती है और इससे वामी को और अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। यह आग्रह किया गया है कि यह धारा पूर्णतया अवक्रेता के पक्ष में है और स्वामी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विधि आयोग इनमें से किसी भी सुझाव से सहमत नहीं हो सकता। सर्वप्रथम, यह बात नोट की जा सकती है कि निक्षेप भी "अवक्रय कीमत" का ही एक भाग है। दूसरे जिस अनुपात में कानूनी अनुपात निश्चित किया जाता है वह निष्पक्ष तथा न्यायोचित है। स्वामी का कब्जा वापस लेने के अधिकार में केवल वहीं हस्तक्षेप होता है जहां "कानूनी अनुपात" का या तो संदाय कर दिया गया है अथवा अवक्रेता द्वारा या उसकी ओर से निविदान कर दिया गया—सभी मामलों में नहीं। स्वामियों द्वारा अनुचित और अन्यायपूर्ण अधिग्रहण को रोकने के लिए इस प्रकार का उपबंध आवश्यक है। अतः जो सुझाव दिए गए हैं वे स्वीकार्य नहीं हैं। तदनुसार, 1989 (संशोधन) विधेयक में दर्शाए गए परिवर्तनों के सिवाय, धारा 20 अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए।

2.26 **धारा 21:** धारा 21 भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति का प्रावधान करती है। संघ ने वाक्यसंरचना संबंधी कतिपय परिवर्तनों के सुझावों के अतिरिक्त इस उपबंध के बारे में कोई गम्भीर आपत्ति नहीं की है। यह बात नोट की जा सकती है कि 1989 के (संशोधन) विधेयक में "उस पर ऐसे ब्याज सहित" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित" शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विधि आयोग को यह संशोधन स्वीकार्य है। संघ द्वारा सुझाव दिए गए संशोधनों में कोई सार नहीं है। तदनुसार, धारा 21, 1989 के (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को छोड़कर, अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए।

2.27 **धारा 22:** धारा 22 में अप्राधिकृत कार्य के कारण या अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति का प्रावधान है। संशोधन विधेयक में इस धारा में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। संघ ने भी कतिपय वाक्य संरचना संबंधी परिवर्तन के अतिरिक्त, जिस प्रकार के परिवर्तन को हम पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं, कोई अन्य विशिष्ट आपत्ति नहीं की है। तदनुसार धारा 21 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2.28 **धारा 23:** धारा 23 में प्रतिलिपियां और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यता दी गई है। 1989 के (संशोधन) विधेयक में न केवल उपधारा (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है अपितु उपधारा (1) के पश्चात् उपधारा (1क) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। उपधारा (3) में भी पारिणामिक संशोधन का सुझाव दिया गया है। धारा 23 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) का पाठ, 1989 (संशोधन) विधेयक द्वारा प्रस्तावित संशोधन के रूप में, इस प्रकार होगा:—

"धारा 23: **प्रतिलिपियां और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यता:**

(1) स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह अवक्रय करार की एक सही प्रतिलिपि और धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट घोषणा की अपने द्वारा हस्ताक्षरित सही प्रतिलिपि कोई खर्चा लिए बिना—

(क) अवक्रेता का करार के निष्पादन के पश्चात् अविलम्ब दे, तथा

(ख) जहां कोई प्रत्याभूति की संविदा है, वहां करार के अधीन अंतिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिभू को खर्चा लेकर दे।

(1क) अवक्रय करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी समय स्वामी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह अवक्रेता को इस निमित्त अवक्रेता से लिखित रूप में स्वामी द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने और अवक्रेता द्वारा स्वामी को व्ययों के लिए विहित फीस निविदत्त करने के पश्चात् चौदह दिन

के भीतर, धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अवक्रय करार और घोषणा की अतिरिक्त प्रतियां दे।

2.28.1 धारा 23 की उपधारा (1) के बारे में संघ की आपत्तियां केवल वाक्य संरचना स्वरूप संबंधी हैं। संक्षेप में, संघ चाहता है कि "प्रतिभू" शब्द के स्थान पर "प्रत्याभूति-दाता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए जिसे रिपोर्ट के पूर्ववर्ती भाग में पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है। तथापि, विधि आयोग की धारा 3 में उपधारा (4) अन्तःस्थापित करने की सिफारिश की दृष्टि से धारा 23 की उपधारा (1) निरर्थक हो जाती है और इसे निकाल दिया जाना चाहिए। जहां तक संशोधन विधेयक द्वारा धारा (1क) अन्तःस्थापित करने का संबंध है, संघ ने इस विषय में दो आपत्तियां की हैं: (i) "धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट घोषणा" शब्दों को निकाल दिया जाए और (ii) "अवक्रेता द्वारा स्वामी को व्ययों के लिए विहित फीस निविदत्त करके" शब्दों के स्थान पर "व्ययों के लिए विहित फीस के साथ" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें। इन आपत्तियों में हमें कोई सार नजर नहीं आता। धारा 3 की अपेक्षा के अनुसार एक बार घोषणा निष्पादित हो जाने पर यह अवक्रय करार के साथ हो जाती है अतः उपधारा (1क) में इसका समाविष्ट किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार संघ ने जिन शब्दों के प्रतिस्थापन के विषय में आग्रह किया है उनका भी कोई महत्व नहीं है। तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि 1989 के (संशोधन) विधेयक द्वारा प्रस्तावित उपधारा (1क) धारा 23 में अन्तःस्थापित की जानी चाहिए परन्तु उपधारा (1) को निकालने की दृष्टि से प्रस्तावित धारा (1क) की धारा 23 में उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

2.28.2 उपधारा (2), (3) और (4) के बारे में संघ की आपत्तियां वाक्य संरचना के स्वरूप संबंधी हैं और उन पर पृथक-पृथक रूप में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

संघ, अन्य बातों के साथ-साथ यह चाहता है कि उपधारा (2) में "एक रुपया" शब्द के स्थान पर "दो सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। इतनी बड़ी राशि के लिए हमें कोई आधार नहीं दिखता है। तथापि, उपधारा में आया "एक रुपया" क्योंकि बहुत कम है अतः उपधारा (2) में "एक रुपया" शब्द के स्थान पर "दस रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं। उपधारा (2) में इस लघु परिवर्तन के साथ उपर्युक्त उपधारायें संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित रूप में, अपरिवर्तनीय रहेगी। तथापि, संशोधन विधेयक की धारा 14 के खण्ड (ग) द्वारा प्रस्तावित संशोधन अपेक्षित नहीं है। क्योंकि उपधारा (1क) को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

2.29 **धारा 24:** धारा 24 में न तो संशोधन विधेयक में किसी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और न ही संघ अथवा किसी अन्य स्रोत से कोई आपत्ति की गई है। तदनुसार, धारा 24 अपरिवर्तित रहेगी।

2.30 **धारा 25:** धारा 25 में ऐसी स्थिति दर्शायी गई है जहां अवक्रेता दिवालिया हो गया है। संशोधन विधेयक में धारा 25 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है:—

> "परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा दिए जाने के पूर्व, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय, या वह न्यायालय जिसमें परिसमापन कार्यवाही लम्बित है, स्वामी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा"

2.30.1 जहां संघ ने धारा 25 की उपधारा (1) के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है वहीं उसने उपधारा (2) तथा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित परन्तुक के अन्तःस्थापन के बारे में पर्याप्त परिवर्तनों के लिए आग्रह किया है। वर्तमान उपधारा (2) का पाठ इस प्रकार है:

"शासकीय रिसीवर या समापक, यथास्थिति, दिवाला न्यायालय की या उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिसमें परिसमापन कार्यवाही चल रही हो, अवक्रेता के उन अधिकारों का, जो उस करार के अधीन थे, समनुदेशन किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकता है और समनुदेशिती को वे सब अधिकार होंगे जो करार के अधीन अवक्रेता के थे और वह उन सभी बाध्यताओं के अधीन होगा जिनके अधीन अवक्रेता था।" संघ पूरी उपधारा (2) का प्रतिस्थापन चाहता है। संघ द्वारा सुझाव दिए गए और प्रतिस्थापन किए जाने वाले उपबन्धों में न्यायालय को कोई निर्देश नहीं है। साथ ही ये, शासकीय रिसीवर या परिसमापक को, चार्ज लेने के 7 दिन के भीतर स्वामी को अवक्रेता के दिवाले के बारे में सूचित करने और स्वामी को यह सूचना देने के लिए बाध्यकर बनाते हैं कि क्या वह करार के अधीन कालिक संदाय जारी रखना चाहता है अथवा धारा 9 में रिबेट के उपबंध के अनुसार माल वापस करना चाहता है। जबकि संघ द्वारा दिए गए प्रतिस्थापन के सुझाव को पूर्णरूप से

स्वीकार नहीं किया जा सकता फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि उनके आग्रह में बल है। यह सिफारिश की जाती है कि उपधारा (1) के पश्चात् एक नई उपधारा अर्थात् उपधारा (1क) अन्तःस्थापित की जाए जिसका पाठ इस प्रकार होगाः—

"(1क) "शासकीय रिसीवर या परिसमापक, यथास्थिति, दिवाला न्यायालय या न्यायालय, यदि कोई हो, के आदेशों के अधीन भाड़े के माल को अपने कब्जे में लेने के तथ्य की सूचना देगा और स्वामी को यह सूचना भी देगा कि क्या वह अवक्रय करार के अनुसार संदाय जारी रखना चाहता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्वामी दिवाला न्यायालय या न्यायालय, यथास्थिति, में उपयुक्त निदेशों के लिए जा सकेगा।"

2.30.1 उपर्युक्त उपधारा (1क) अन्तःस्थापित करने के धारा 25 के संबंध में संघ की आपत्तियों का पर्याप्त रूप से समाधान हो जाएगा।

तद्नुसार उपधारा (2) संशोधन विधेयक द्वारा परन्तुक में प्रस्तावित संशोधन के और स्पष्टीकरण के साथ अपरिवर्तित रहेगी।

2.31 **धारा 26 और 27:** संशोधन विधेयक ने धारा 26 और 27 में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। इन धाराओं के बारे में कोई आपत्तियां भी नहीं उठायी गई हैं। तद्नुसार, धारा 26 और 27 अपरिवर्तित रहेंगी।

2.32 **धारा 28:** धारा 28 में एक ऐसी स्थिति की अवधारणा है जहां अवक्रेता से माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार के प्रवर्तन, निर्बन्धन के अधीन हैं और ऐसे निर्बन्धन के चलते अवक्रेता स्वामी को माल का अन्यर्पण करने से इन्कार कर देता है। धारा में कहा गया है कि अवक्रेता द्वारा इस प्रकार के इन्कार से माल का संपरिवर्तन नहीं माना जाएगा। संशोधन विधेयक में इस धारा में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, संघ ने शीर्षक सहित इस पूरी धारा के प्रतिस्थापन की मांग की है। संघ द्वारा दिए गए प्रतिस्थापन संबंधी सुझावों के अनुसार माल का अध्यर्पण करने से इन्कार न करने और कब्जा प्राप्त करने के लिए स्वामी के अधिकार पर किसी निर्बन्धन की मांग न करने के लिए अवक्रेता को बाध्यकर बनाया गया है। यह स्पष्ट है कि संघ द्वारा जिस प्रतिस्थापन का सुझाव दिया गया है वह धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंध से भिन्न प्रतिपादन है। वास्तव में धारा 28 में जो कुछ कहा गया है वह स्पष्टकारी है यदि कब्जा वापस लेने का स्वामी का अधिकार निर्बन्धन के अधीन है तो निर्बन्धन के विद्यमान रहते अवक्रेता द्वारा माल के अध्यर्पण से इन्कार माल का संपरिवर्तन नहीं समझा जाएगा। तदनुसार, हमें धारा 28 में परिवर्तन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

2.33 **धारा 29:** धारा 29 सूचना की तामील के बारे में है। संघ द्वारा दिए गए सुझाव वाक्य संरचना संबंधी संशोधन के लघु प्रस्ताव हैं और उनसे कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं होता है अतः धारा 29 अपरिवर्तित रहेगी।

2.34 **धारा 30:** धारा 30 कतिपय श्रेणियों के मालों के संबंध में अवक्रय करारों को धारा 6, 9, 10, 12 और 17 के उपबंधों से छूट देने की केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करती है। संघ ने यह आग्रह किया है कि इस धारा को पूरी तरह से निकाल दिया जाना चाहिए। हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं। छूट की शक्ति भविष्य में पैदा होने वाली विभिन्न आकस्मिकताओं तथा अत्यावश्यकताओं को, जिनके लिए विशेष व्यवहार की आवश्यकता है, पूरा करने के लिए दी गई है। धारा 30 में न केवल वे धारायें दी गई हैं जिनसे छूट दी जा सकती है अपितु इसमें वे परिस्थितियां भी विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार यह सुपरिभाषित उपबंध है जिसमें पर्याप्त मार्ग निर्देश अन्तर्विष्ट है। यह विधान का भी सुस्थापित तत्व है जिस पर वैध आपत्ति नहीं उठायी जा सकेगी। अतः धारा 30 अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

2.35 **धारा 31 :** धारा 31 में मात्र यह उल्लेख है कि यह अधिनियम इस अधिनियम के पूर्व किए गए किसी अवक्रय करार के संबंध में लागू नहीं होगा। इस धारा पर भी कोई आपत्ति नहीं की गई है। इसी प्रकार धारा 32 और 33 के बारे में भी, जिनका अन्तःस्थापन के प्रस्ताव 1989 के (संशोधन) विधेयक में किया गया है किन्हीं आपत्तियों का आग्रह नहीं किया गया है। धारा 32 में सरकार को नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं और धारा 33 में कठिनाइयां दूर करने का खण्ड अन्तर्विष्ट है। स्पष्ट कारणों से, संघ ने इन धाराओं के बारे में कोई आपत्तियां नहीं की हैं। इन उपबंधों के बारे में विधि आयोग को कोई टिप्पणियां देने की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व, विधि आयोग का मत है कि अधिनियम में नई धाराएं अन्तःस्थापित की जानी चाहिएं। पहली, अवक्रय करार की विषय-वस्तु के अन्तर्गत आने वाले माल के बीमे से संबंधित और दूसरी

अवैध संविदाओं पर विधि के लागू होने से संबंधित है। नई धाराओं का पाठ, जिन्हें 28क और 28ख के रूप में संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित हैः—

"28क बीमा—(1) स्वामी, अवक्रय करार में समाविष्ट किसी माल की जोखिम के लिए, जैसे बीमा कराने और करार के दौरान सभी समय माल को बीमाकृत रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जहां अवक्रय करार में समाविष्ट माल के बीमे के बारे में, बीमाकर्ता कोई दावा विहीम रिबेट अथवा इसी प्रकार का कोई रिबेट अनुज्ञात करता है, वहां करार के अधीन अवक्रेता रिबेट का लाभ पाने का हकदार होगा और कोई व्यक्ति जो करार के अधीन स्वामी को जानबूझकर ऐसे किसी रिबेट का संदाय करता है अथवा अनुज्ञा देता है, अवक्रेता के प्रति अपनी बाध्यता से मुक्त नहीं होगा।

(3) इस धारा की कोई भी बात बिना खर्चे के अवक्रेता को बीमा उपलब्ध कराने के स्वामी के अधिकार को सीमित अथवा निर्बन्धित नहीं करेगी।

आयोग, अवक्रेता तथा स्वामी दोनों के हित में इसे इतना ही उपयुक्त मानता है कि अधिनियम में करारों की प्रवर्तनीयता के बारे में विशिष्ट उपबंध होने चाहिएं जिनमें अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन होता हो। तद्नुसार, धारा 28ख के रूप में निम्नलिखित उपबंध अन्तःस्थापित किया जाना चाहिएः—

"28(ख) **अवैध संविदाओं के संबंध में विधि का लागू होनाः—** यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई करार किया गया है अथवा करार के पालन के अनुक्रम में इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है तो, इससे करार अवैध नहीं होगा और करार, अधिनियम से असंगत उपबंधों के सिवाय, आबद्धकर और प्रवर्तनीय होगा और रहेगा।"

हम, तद्नुसार, सिफारिश करते हैं। सुविधा की दृष्टि से संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाला संशोधन विधेयक एतद् द्वारा संलग्न किया जा रहा है (अनुबंध-क)। संलग्न विधेयक में अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 के तथा वे उपबंध समाविष्ट हैं जिनका सुझाव विधि आयोग ने अवक्रय अधिनियम, 1972 तथा अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 के बारे में दिया है। सुविधा तथा तत्काल संदर्भ की दृष्टि से हमने अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1999 (अनुबंध-क) में प्रस्तावित संशोधनों को समाविष्ट करते हुए अवक्रय अधिनियम, 1972 अनुबंध-ख दिया है। दूसरे शब्दों में, यदि विधि आयोग द्वारा दिए गए सभी सुझाव संसद द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो अवक्रय अधिनियम, 1972 का पाठ अनुबंध-ख में दिए गए अधिनियम के अनुरूप होगा।

ह०
(न्यायमूर्ति, श्री बी०पी० जीवन रेड्डी)
(सेवानिवृत)
अध्यक्ष

ह०
(न्यायमूर्ति, श्रीमती लीला सेठ) (सेवानिवृत)
सदस्य

ह० (डा० एन० एम० घटाटे)
सदस्य

ह०
(डा० सुभाष सी० जैन)
सदस्य—सचिव

दिनांकः 17 मार्च, 1999

पाद टिप्पण तथा संदर्भ

अध्याय-दो

1. श्री विनोद कुमार कोठारी
2. श्री सुनिल कनोरिया
3. देखें, **करैंट ला स्टेट्स एन्नोटेटिड, 1965,** स्वीट एण्ड मैक्सवैल, लन्दन के अधिनियम पर "सामान्य टिप्पण" पृष्ठ 39
4. श्री विनोद कुमार कोठारी और श्री सुनिल कनोरिया जिनके विचारों को अखिल भारतीय अवक्रय वित्तपोषक संघ ने अभिव्यक्ति दी है।

अनुबंध-क

अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1999
अवक्रय अधिनियम, 1972 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—** (i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अवक्रय (संशोधन) अधिनियम, 1999 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **धारा 2 का संशोधन:—** अवक्रय अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में—

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(ग) "अवक्रय करार से अभिप्रेत है—

(i) ऐसा करार जिसके अधीन माल भाड़े पर दिया जाता है और अवक्रेता को यह विकल्प रहता है कि वह उस करार के निबंधनों के अनुसार उस माल का क्रय कर ले, और

(ii) माल के विक्रय का ऐसा करार जिसके अधीन क्रय मूल्य और उसके भाग का संदाय किस्तों में किया जाएगा और माल की सम्पत्ति (माल का कब्जा अवक्रेता के पास होते हुए भी) किस्तों का संदाय अथवा अन्य शर्त जो करार में निर्दिष्ट की जाएं, पूरी होने तक स्वामी में निहित रहेगी।"

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(घ) "अवक्रय कीमत से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस माल में निहित सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय करार के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय मद्दे अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य किसी तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि भी नहीं है जो—

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए करार के निबंधनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है, अथवा

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अन्यथा फीस के रूप में संदेय है, अथवा

(iii) बीमे के प्रीमियम के रूप में संदेय है, अथवा

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है;

(ग) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(च) "स्वामी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अवक्रय करार के अधीन किसी अवक्रेता को माल भाड़े पर देता है या जिसने दिया है या जो माल के कब्जे का परिदान करता है या जिसने परिदान किया

है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसको स्वामी के माल में सम्पत्ति या उस करार के अधीन स्वामी के अधिकारों या दायित्वों में से कोई अधिकार या दायित्व समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त हो गए हैं"

(घ) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(चच) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

2. **धारा 3 का संशोधनः**— धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्—

"3 अवक्रय करारों का लिखित रूप में तथा उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होनाः—

(1) प्रत्येक अवक्रय करार—

(क) लिखित होगा

(ख) उस पर उसके सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे, और

(ग) उसके साथ विहित रूप में ये और घोषणा होगी जिसमें अवक्रेता के मुख्य अधिकार और बाध्यताएं अन्तर्विष्ट होंगी और उस पर करार के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन अवक्रय करार के बारे में नहीं किया गया है तो वह अवक्रय करार शून्य होगा।

(3) जहां प्रत्याभूति की संविदा है वहां प्रतिभू भी अवक्रय करार पर हस्ताक्षर करेगा और यदि उसने अवक्रय करार पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो वह अवक्रय करार स्वामी के विकल्प पर शून्य किया जा सकेगा।

(4) अवक्रय करार और घोषणा, पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित दो प्रतियों (सैटों) में निष्पादित होंगे। करार निष्पादित होने के तुरन्त पश्चात् ऐसी एक प्रति अवक्रेता को दी जाएगी और जहां प्रतिभू है वहां एक अन्य प्रति प्रतिभू को दी जाएगी।

3. **धारा 4 का संशोधनः**—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (घ) में अन्त में आने वाले शब्द "तथा" का लोप किया जाएगा,

(ख) खण्ड (ङ) में "तथा" शब्द अन्त में जोड़ा जाएगा,

(ग) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(च) ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां जो विहित की जाएं"

(घ) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्

"(2) जहां अवक्रय कीमत के किसी भाग का संदाय नकद या चैक से न करके अन्यथा किया जाता है या किया जाना है वहां अवक्रय करार में अवक्रय कीमत के उस भाग का वर्णन होगा और उसमें उस तारीख का जिसको इस माल का संदाय किया जाना है या दिया जाना है और पक्षकारों द्वारा विभिन्न तारीखों को संदाय किया जाना है या दिया जाना है वहां उस तारीख का जिसको ऐसे प्रत्येक प्रभाग का संदाय किया जाना है या दिया जाना है और पक्षकारों द्वारा करार पाई गई उसकी कीमत का भी कथन होगा"

4. **धारा 7 का संशोधनः**—मूल अधिनियम की धारा में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

(1) इस धारा में:

(क) "माल की नकद कीमत से वह कीमत अभिप्रेत है जिस पर कोई भावी क्रेता, अवक्रय करार की तिथि को, नकद राशि पर माल का क्रय कर सकेगा;"

(ख) "निक्षेप से वह राशि अभिप्रेत है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य प्रारम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन किसी ऐसे निक्षेप या संदाय के मद्दे अवक्रेता के नाम से जमा की गई है या जमा की जाने वाली है

चाहे वह राशि धन के संदाय अथवा माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य तरीके से चुकाई जानी है या चुका दी गई है"

(ग) "अवक्रय प्रभारों से माल की शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है"

(घ) "माल की शुद्ध नकद कीमत" से किसी निक्षेप की राशि को घटाकर माल की नकद कीमत अभिप्रेत है,"

(ङ) "शुद्ध अवक्रय कीमत से किसी निक्षेप राशि को घटाकर अवक्रय कीमत अभिप्रेत है,"

(च) "कानूनी अवक्रय प्रभारों से उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र के अनुसार विनिश्चित राशि अभिप्रेत है,"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) कानूनी अवक्रय प्रभार अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम होगी, या यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर निर्दिष्ट है, तो उस निम्नतर दर से निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगीः—

$$\text{का} = \frac{\text{शु} \times \text{द} \times \text{स}}{100}$$

इस सूत्र में—

का = कानूनी प्रभार है

शु = शुद्ध नकद कीमत है

द = दर है

स = समय है जो वर्षों में और वर्षों के भागों में अभिव्यक्त वह समय है जो करार की तारीख से उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को अन्तिम अवक्रय किस्त करार के अधीन संदेय है।"

उपधारा (1) और (2) के लिए दृष्टांतः "क" एक अवक्रेता है जो "ख" स्वामी से अवक्रय आधार पर एक कार खरीदता है। कार की नकद कीमत 65,000/- रु० है। "क" अवक्रय करार की तारीख को 15,000/- रु० निक्षेप की राशि का संदाय करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कार की शुद्ध नकद कीमत 50,000/- रु० है। इस धारा के अनुसार व्याज की अनुमत्य दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। पक्षकारों के बीच करार की अवधि पांच वर्ष है और शुद्ध अवक्रय कीमत का संदाय 60 समान मासिक किस्तों में किया जाना है। तद्नुसार, उक्त सूत्र को लागू करते हुए इस मामले में कानूनी अवक्रय प्रभार की राशि निम्नलिखित रूप में 45,000/- रु० बन जाएगी।

$$\frac{50{,}000 \times 18 \times 5}{100} = 45{,}000/-$$

अवक्रय प्रभार कानूनी प्रभारों से अधिक नहीं हो सकते। इस प्रकार इस दृष्टांत में अवक्रय कीमत 1,10,000/- रु० अर्थात् 65,000/- रु० + 45,000/- रु० शुद्ध अवक्रय कीमत, 95,000/- रु० अर्थात् 1,10,000/- रु० - 15,000/- रु० (निक्षेप राशि) इस 95,000/- रु० की राशि का संदाय 60 मासिक किस्तों में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 45,000/- रु० की यह राशि क्योंकि कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि है, इसकी संगणना पक्षकारों द्वारा अवक्रय करार करने की तारीख को कर ली जानी चाहिए और करार में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ग) उपधारा (3) में —

(i) "यह दर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ii) "कानूनी प्रभार" शब्दों के स्थान पर "कानूनी अवक्रय प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे,

(घ) उपधारा (4), (5) और (6) का लोप किया जाएगा।

5. **नई धारा 7-क का अन्तःस्थापन** — मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् "धारा 7-क : अवक्रय प्रभार कानूनी प्रभारों से अनधिक होंगे: अवक्रय करार में कोई अनुबंध, जिसके अधीन अवक्रेता धारा 7 की उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक राशि अवक्रय प्रभार के रूप में देने के लिए बाध्यकर है वहां वह करार शून्य हो जाएगा और प्रवर्तनीय नहीं होगा। स्वामी, जो अवक्रय प्रभार के रूप में कानूनी अवक्रय प्रभार से अधिक राशि वसूल कर लेता है, ऐसी वसूली के तुरन्त पश्चात् या जब कभी अवक्रेता द्वारा मांगी जाए, अधिक वसूल की गई राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करेगा। यदि स्वामी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो अवक्रेता इस राशि की वसूली के लिए न्यायालय में जाएगा।"

6. **धारा 9 का संशोधन:**— उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्—

(1) अवक्रेता अवक्रय करार के विद्यमान रहते किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उस माल का क्रय, स्वामी को ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अधीन संदेय हो, उस अवक्रय कीमत या उसके अतिशेष का जो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से रिबेट को उसमें से काटकर हो, संदाय या निविदान करके, पूर्ण कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट की राशि की संगणना उस तारीख को जिस पर अवक्रेता वस्तुओं का क्रय पूरा करना चाहता है अतिशेष राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अथवा ब्याज की ऐसी कम दर पर जो करार में दी जाए, की जाएगी।

दृष्टांत: इस दृष्टांत के प्रयोजनों के लिए धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित आंकड़ों को ही अपनाया गया है। अवक्रेता इस धारा में अवधारित वस्तुओं के क्रय का विकल्प तीन वर्ष के अन्त में अर्थात् 36 माह पश्चात् प्रयोग करना चाहता है। चौबीस माह अभी शेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में अवक्रेता 6,840/- रु० की राशि के रिबेट का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित रूप मे की गई है:—

"इस दृष्टांत में (जैसा कि धारा 7 में अन्तर्विष्ट है) मासिक किस्त 1583.33 पैसे है अर्थात् 95,000/- रु० की राशि को 60 से भाग देने पर यह राशि आती है। अवक्रेता ने 36 किस्तों का संदाय किया है जिसका अर्थ है कि वह 56,999.88 पैसे का संदाय कर चुका है और देय अतिशेष 38,000/- रु० रहता है। परन्तु क्योंकि वह 36 माह के अन्त में क्रय करना चाहता है वह 6,840/- रु० का रिबेट पाने का हकदार है जिसका अर्थ यह होगा कि वस्तुओं के क्रय करने के लिए 31,160/- रु० की राशि का संदाय करना होगा।"

(3) अवक्रय करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध लागू होंगे किन्तु जहां करार के निबंधन अवक्रेता को इस धारा द्वारा अनुज्ञात रिबेट से अधिक रिबेट का हकदार बनाते हैं वहां अवक्रेता करार में उपबंधित रिबेट का हकदार होगा।"

(संशोधन विधेयक में दर्शाया गया सूत्र सरलता से समझने और सरलीकरण की दृष्टि से उक्त सरल सूत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है)

7. **धारा 10 का संशोधन:**— मूल अधिनियम की धारा में—

(क) उपधारा (1) के अन्त में आए शब्द "उपधारा (9)" के स्थान पर "धारा 9" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के अन्त में "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों के साथ जो करार के निबंधनों के अनुसार संदेय हो" शब्द जोड़े जाएंगे।

8. **धारा 12 का संशोधन:**— मूल अधिनियम की धारा 12 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) (क) ऐसे समनुदेशन के लिए सहमति देने हेतु प्रत्येक अनुरोध लिखित में किया जाएगा और स्वामी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर उसका लिखित उत्तर देगा।

(ख) अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार, हक और हित के समनुदेशन के लिए यदि स्वामी अपनी सहमति इस आधार पर विधारित करता है कि किसी संदाय की उसकी मांग अथवा उस पर विचारण, जिसका अवक्रय करार में कोई उल्लेख नहीं है, पूरी नहीं हुई अथवा उस पर सहमति नहीं हुई है, तो वहां सहमति अनुचित रूप से विधारित समझी जाएगी।"

9. **धारा 16 का संशोधन:**— उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

(1) जहां किसी अवक्रय करार के आधार पर अवक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह करार से संबंधित माल को अपने कब्जे या नियंत्रण में रखे वहां अवक्रेता स्वामी से लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर स्वामी को ऐसे समय, तिथि तथा स्थान की जानकारी देगा जिस पर वह अवक्रेता द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन की अवधि के भीतर माल का निरीक्षण कर सकेगा।"

10. **धारा 17 का संशोधन:**— मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "अवक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार संदेय है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ii) में "अभिग्रहण की तारीख पर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, "किसी माल के अभिग्रहण की तारीख पर मूल्य वह रकम है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी मामले में किसी माल का मूल्य जहां माल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्वामी के नाम में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख पर और किसी अन्य मामले में अभिग्रहण की तारीख पर मूल्य वह रकम है" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) जहां स्वामी अवक्रय करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल का अभिग्रहण धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन कर लेता है और ऐसे अभिग्रहण की तारीख से 14 दिन के भीतर अवक्रेता—

(i) स्वामी को, संदाय या निविदा की तारीख तक ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो अवक्रय करार के निबंधनों के अधीन संदेय हों, बकाया भाड़ा संदत्त या निविदत्त कर देता है;

(ii) करार के किसी भंग का उपचार करता है या (जहां वह इस तथ्य के कारण भंग का उपचार करने में असमर्थ है कि स्वामी ने माल का अभिग्रहण कर लिया है) वहां वह स्वामी को भंग का उपचार करने के लिए आवश्यक कोई कार्य, बात या चीज करने के लिए उसके द्वारा उचित रूप से और वास्तव में उपगत लागत और व्यय को स्वामी को संदत्त या परिदत्त कर देता है;

(iii) माल का अभिग्रहण करने के और उसके आनुषंगिक या उसको, अवक्रेता को या उसके आदेश पर लौटाने के लिए स्वामी की उचित लागत और व्यय को स्वामी को संदत्त या परिदत्त कर देता है।

तो स्वामी, अवक्रेता द्वारा संदाय करने अथवा इस उपधारा में अवधारित का उपचार किये जाने से पूर्व यदि माल का विक्रय द्वारा, अवक्रय द्वारा निपटान कर दिया गया हो उन मामलों के सिवाय, क्रेता को माल वापस कर सकेगा और माल अवक्रेता द्वारा अवक्रय करार के निबंधनों के अनुसरण इस प्रकार में प्राप्त और धारित किया जाएगा मानों करार समाप्त नहीं हुआ था और स्वामी ने माल का कब्जा नहीं लिया था।"।

11. **धारा 18 का संशोधन:**— मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के परन्तुक में "उस पर ऐसे ब्याज सहित" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. **धारा 19 का संशोधनः—** मूल अधिनियम की धारा 19 में—

(i) धारा 19 के खण्ड (क) में "देय भाड़े की बकाया" शब्द जहां भी आते हैं उन शब्दों के स्थान पर, "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार देय है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ग) में "अवक्रेता के परिसर में प्रवेश कर और माल का अभिग्रहण कर" शब्दों के स्थान पर "माल का अभिग्रहण करे" शब्द रखे जाएंगे।

13. **धारा 20 का संशोधनः—** मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) जहां भी "पन्द्रह हजार रुपये" और "पांच हजार रुपये" शब्द आते हैं उनके स्थान पर क्रमशः "पच्चीस हजार रुपये" और "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. **धारा 21 का संशोधनः—** मूल अधिनियम की धारा 21 में "उस पर ऐसे ब्याज सहित" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

15. **धारा 23 का संशोधनः—** मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) मूल अधिनियम की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(1) "अवक्रय करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी समय स्वामी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह अवक्रेता को इस निमित्त अवक्रेता से लिखित रूप में स्वामी द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने और अवक्रेता द्वारा स्वामी को व्ययों के लिए विहित फीस निर्दिष्ट करने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अवक्रय करार और घोषणा की अतिरिक्त प्रतियां दे।"

(ख) मूल अधिनियम की उपधारा (2) में "एक रुपया" शब्द के स्थान पर "दस रुपये" शब्द रखे जायेंगे।

16. **धारा 25 का संशोधनः—**

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(1क) "शासकीय रिसीवर या परिसमापक, यथास्थिति, दिवाला न्यायालय या न्यायालय, यदि कोई हो, के आदेश के अधीन भाड़े के माल को अपने कब्जे में लेने के तथ्य की सूचना देगा और स्वामी को यह सूचना भी देगा कि क्या वह अवक्रय करार के अनुसार संदाय जारी रखना चाहता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्वामी दिवाला न्यायालय या न्यायालय, यथास्थिति, में उपयुक्त निदेशों के लिए जा सकेगा"

(2) उपधारा (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा दिए जाने से पूर्व, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय, या वह न्यायालय जिसमें परिसमापन कार्यवाही लंबित है, स्वामी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा।"

17. **नई धारायें 28-क तथा 28-ख का अन्तःस्थापनः—** मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्—

"28क बीमा— (1) स्वामी, अवक्रय करार में समाविष्ट किसी माल की जोखिम के लिए, जिसे बीमा कराने और करार के दौरान सभी समय माल को बीमाकृत रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जहां अवक्रय करार में समाविष्ट माल के बीमे के बारे में, बीमाकर्ता कोई दावा नहीं रिबेट अथवा इसी प्रकार का कोई रिबेट अनुज्ञात करता है, वहां करार के अधीन अवक्रेता रिबेट का लाभ पाने का हकदार होगा और कोई व्यक्ति जो करार के अधीन स्वामी को जानबूझकर ऐसे किसी रिबेट का संदाय करता है अथवा अनुज्ञा देता है, अवक्रेता के प्रति अपनी बाध्यता से मुक्त नहीं होगा।

(3) इस धारा की कोई भी बात बिना खर्च के अवक्रेता को बीमा उपलब्ध कराने के स्वामी के अधिकार को समिति अथवा निर्बन्धित नहीं करेगी।

"28(ख) **अवैध संविदाओं के संबंध में विधि का लागू होनाः—**

क. यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई करार किया गया है अथवा करार के

पालन के अनुक्रम में इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है तो, इससे करार अवैध नहीं होगा और करार, अधिनियम से असंगत उपबंधों के सिवाय, आबद्धकर और प्रवर्तनीय होगा और रहेगा।"

नई धारा 32 और 33 का अन्तःस्थापनः— मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

"32 नियम बनाने की शक्तिः—

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) जहां प्ररूप और रीति जिसमें सभी या किन्ही विशिष्टियों को धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रत्येक अवक्रय करार में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां, जिन्हें धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन प्रत्येक अवक्रय करार में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना है, या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

33. कठिनाइयां दूर करने की शक्तिः—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम से असंगत न हों, बना सकेगी जैसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।"

अनुबन्ध-ख

अवक्रय अधिनियम, 1972

[अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1999 के संशोधनों को सम्मिलित करके]

विषय-सूची

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

अवक्रय-करारों का प्ररूप और विषय-वस्तु

3. अवक्रय-करारों का लिखित रूप में और उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना।

4. अवक्रय-करारों की विषय-वस्तु।

5. दो या अधिक करार कब एकल अवक्रय-करार समझे जाएंगे।

अध्याय 3

वारण्टियां और शर्तें, अवक्रय प्रभार की सीमा तथा सम्पत्ति का संक्रमण

6. वारण्टियों और शर्तों का अवक्रय-करारों में विवक्षित होना।

7. अवक्रय-प्रभारों पर निर्बन्धन।

7क. अवक्रय प्रभारों का कानूनी अवक्रय प्रभारों से अनधिक होना।

8. सम्पत्ति का संक्रमण।

अध्याय 4

अवक्रेता के अधिकार और बाध्यताएं

धाराएं

9. किसी भी समय रिबेट पर क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार।

10. किसी भी समय करार समाप्त कर देने का अवक्रेता का अधिकार।

11. दो या अधिक करारों की बाबत संदाय विनियोजित करने का अवक्रेता का अधिकार।

12. अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के हित या अधिकार का समनुदेशन और पोषण।

13. करार का अनुपालन करने की अवक्रेता की बाध्यताएं।

14. माल की देख-रेख करने के संबंध में अवक्रेता की बाध्यताएं।

15. माल के उपयोग की बाबत अवक्रेता की बाध्यता।

16. यह जानकारी देने की अवक्रेता की बाध्यता कि माल कहां पर है।

17. स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण कर लिए जाने की दशा में अवक्रेता के अधिकार।

अध्याय 5

स्वामी के अधिकार और बाध्यताएं

18. भाड़े के संदाय में व्यतिक्रम या अप्राधिकृत कार्य या अभिव्यक्त शर्तें भंग करने पर अवक्रय-करार समाप्त करने का स्वामी का अधिकार।

19. अवक्रय-करार की समाप्ति पर स्वामी के अधिकार।

20. न्यायालय से भिन्न माध्यम द्वारा माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार पर निर्बन्धन।

21. भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।

22. अप्राधिकृत कार्य के कारण या अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।

23. प्रतिलिपियां और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यता।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

24. घन के संदाय से भिन्न रूप में कीमत का चुकाया जाना।

25. अवक्रेता का दिवाला, आदि।

26. एक ही पक्षकारों के बीच आनुक्रमिक अवक्रय-करार।

27. माल का कब्जा वापस लेने के बाद या आवेदन में प्रतिकूल निरोध का साक्ष्य।

28. अवक्रेता द्वारा माल का अभ्यर्पण इंकार करने से कुछ दशाओं में माल का संपरिवर्तन न होना।

28क. बीमा।

28ख. अवैध संविदाओं के संबंध में विधि का लागू होना।

29. सूचना की तामील।

30. कुछ दशाओं में धारा 6, 9, 10, 12 और 17 के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति।

31. अधिनियम का विद्यमान् करारों पर लागू न होना।

32. नियम बनाने की शक्ति।

33. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

अवक्रय अधिनियम, 1972

[अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1999 के संशोधनों को सम्मिलित करके]

अवक्रय-करार के पक्षकारों के अधिकार और कर्त्तव्य, परिनिश्चित तथा विनियमित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक् विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अवक्रय अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं:**— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) किसी अवक्रय-करार के संबंध में "प्रत्याभूति की संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति (जिसे इस अधिनियम में प्रतिभू कहा गया है। अवक्रेता को अवक्रय-करार के अधीन सभी या किन्हीं बाध्यताओं का पालन किया जाना प्रत्याभूत करता है;

(ख) "भाड़ा" के अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा कालिक रूप से संदेय राशि अभिप्रेत है;

(ग) "अवक्रय-करार" से अभिप्रेत है—

(1) ऐसा करार जिसके अधीन माल भाड़े पर दिया जाता है और अवक्रेता को यह विकल्प रहता है कि वह उस करार के निबन्धनों के अनुसार उस माल को क्रय कर ले; और "(घ) "अवक्रय कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस माल में निहित सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय करार के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निषेध या अन्य आर्थिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय में अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य किसी तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि भी नहीं है जो —

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए करार के निबन्धनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है; अथवा

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अथवा फीस के रूप में संदेय है; और

(iii) बीमें के प्रीमियम के रूप में संदेय है, और

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर

(ङ) "अवक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अवक्रय-करार के अधीन किसी स्वामी से माल का कब्जा अभिप्राप्त करता है या जिसने ऐसा कब्जा अभिप्राप्त कर लिया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे उस करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार का दायित्व समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त हो गए हैं;

(च) "स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अवक्रय-करार के अधीन किसी अवक्रेता को भाड़े पर माल देता है या जिसने दिया है या जो माल के कब्जे का परिदान करता है या जिसने परिदान किया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसको स्वामी के माल में सम्पत्ति, या उस करार के अधीन स्वामी के अधिकारों या दायित्वों में से कोई अधिकार या दायित्व समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त हो गया है;

(चच) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) ऐसे प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, 1872 का 9 या माल विक्रय अधिनियम, 1930, 1930 का 3 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

अध्याय 2

अवक्रय-करारों का प्ररूप और विषय-वस्तु

3. **अवक्रय-करारों का लिखित रूप में और उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना:**—

(1) प्रत्येक अवक्रय-करार—

(क) लिखित होगा, तथा

(ख) उस पर उनके सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे।

(ग) उसके साथ विहित प्ररूप में एक और घोषणा होगी जिसमें अवक्रेता के मुख्य अधिकार और बाध्यताएं अन्तर्विष्ट होंगी और उस पर करार के सभी पक्षों के हस्ताक्षर होंगे।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है, वहां अवक्रेता अवक्रय-करार का विखण्डन कराने के लिए वाद संस्थित कर सकता है, और यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के कारण विक्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो वह करार विखण्डन ऐसे निबन्धनों पर कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत समझे या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।

5. **दो या अधिक करार कब एकल अवक्रय-करार समझे जाएंगे:**—

जहां ऐसे दो या अधिक लिखित करारों के आधार पर, जिनमें से कोई भी अपने आप में अवक्रय-करार नहीं है, माल का उपनिधान है और उपनिहिती को माल क्रय करने का विकल्प प्राप्त है और ऐसे करारों के संबंध में धारा 3 और धारा 4 की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, वहां उन करारों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस समय किया गया एकल अवक्रय-करार समझा जाएगा जिस समय उन करारों में से अन्तिम करार किया गया था।

अध्याय 3

वारण्टियां और शर्तें, अवक्रय प्रभार की सीमा तथा सम्पत्ति का संक्रमण

6. **वारण्टियां और शर्तों का अवक्रय-करारों में विवक्षित होना:**—

(1) किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अवक्रय-करार में यह विवक्षित वारण्टी होगी कि—

(क) माल अवक्रेता के निर्बाध कब्जे और उपभोग में रहेगा; तथा

(ख) जिस समय सम्पत्ति संक्रान्त होनी है उस समय माल किसी पर-व्यक्ति के पक्ष में किए गए किसी भार या विल्लंगम से मुक्त रहेगा।

(2) किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अवक्रय-करार में—

(क) स्वामी पर यह विवक्षित शर्त होगी कि जिस समय सम्पत्ति संक्रान्त होनी है उस समय उसे उस माल का विक्रय करने का अधिकार है;

(ख) यह विवक्षित शर्त होगी कि माल वाणिज्यिक क्वालिटी का होगा, किन्तु इस खण्ड के आधार पर निम्नलिखित के बारे में ऐसी कोई भी शर्त विवक्षित नहीं होगी,—

(i) ऐसी त्रुटियों के बारे में, जिनकी जानकारी स्वामी को करार किए जाने के समय उचित रूप से नहीं हो सकती थी; अथवा

(ii) ऐसी त्रुटियों के बारे में, जो करार में विनिर्दिष्ट है (चाहे वे करार में त्रुटियों के रूप में या तत्समान भाव के किसी अन्य अभिवर्णन द्वारा निर्दिष्ट की गई हों);

(iii) जहां अवक्रेता ने माल या, उसके नमूने की परीक्षा कर ली है वहां उन त्रुटियों के बारे में, जो उस परीक्षा से प्रकट हो जानी चाहिए थी; अथवा

(iv) यदि माल इस्तेमाल किया हुआ है और करार में इस भाव का कथन है।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन अवक्रय-करार के बारे में नहीं किया गया है तो वह अवक्रय-करार शून्य होगा।

(3) जहां प्रत्याभूति की संविदा है, वहां प्रतिभू भी अवक्रय-करार पर हस्ताक्षर करेगा और यदि उसने अवक्रय-करार पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो अवक्रय-करार स्वामी के विकल्प पर शून्य किया जा सकेगा।

4. अवक्रय करार और घोषणा पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित दो प्रतियों (सैटों) में निष्पादित होंगे। करार निष्पादित होने के तुरन्त पश्चात् ऐसी एक प्रति अवक्रेता को दी जाएगी और जहां प्रतिभू है वहां एक अन्य प्रति प्रतिभू को दी जाएगी।

4. अवक्रय-करारों की विषय-वस्तु:—

(1) प्रत्येक अवक्रय-करार में निम्नलिखित कथन होगा,—

(क) करार से संबंधित माल की अवक्रय-कीमत;

(ख) माल की नकद कीमत, अर्थात् वह कीमत जिसे अवक्रेता नकद देकर माल क्रय कर सकता है;

(ग) वह तारीख जिसको करार प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा;

(घ) कितनी किस्तों में अवक्रय-कीमत का संदाय किया जाना है; उन किस्तों में से प्रत्येक किस्त की रकम, और वह तारीख या ऐसी तारीख के अवधारण का ढंग, जब किस्त का संदाय किया जाना है तथा वह व्यक्ति जिसे और वह स्थान जहां किस्त का संदाय किया जाना है; तथा

(ङ) जिस माल के संबंध में करार है उसका वर्णन ऐसी रीति से किया जाएगा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो; तथा

(च) ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) जहां अवक्रय-कीमत के किसी भाग का संदाय नकद में या चैक से न करके अन्यथा किया जाता है या किया जाना है, वहां अवक्रय-करार में अवक्रय-कीमत के उस भाग का वर्णन होगा। और उसमें उस तारीख का जिसको उस माल का संदाय किया जाना या दिया जाना है और पक्षकारों द्वारा सहमत उसकी कीमत का या जहां ऐसे भाग के विभिन्न प्रभागों का विभिन्न तारीखों को संदाय किया जाना है या दिया जाना है वहां उस तारीख का जिसको ऐसे प्रत्येक भाग का संदाय किया जाना है या दिया जाना है और पक्षकारों द्वारा करार पायी गई उसकी कीमत का भी कथन होगा।

(3) जहां अवक्रेता ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से—

(क) स्वामी को यह बता दिया है कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए माल अपेक्षित है, अथवा

(ख) किसी पूर्ववर्ती बातचीत के अनुक्रम में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके द्वारा बातचीत की गई है, वह प्रयोजन बता दिया है,

वहां यह विवक्षित शर्त होगी कि माल ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगा।

(4) जहां माल अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर उसके नमूने के प्रति निर्देश करके दिया जाता है वहां—

(क) स्वामी पर यह विवक्षित शर्त होगी कि थोक माल नमूने की क्वालिटी के समान होगा, और

(ख) स्वामी पर यह विवक्षित शर्त होगी कि अवक्रेता को नमूने से थोक माल की तुलना करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(5) जहां माल अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर वर्णनानुसार दिया जाता है वहां यह विवक्षित शर्त होगी कि माल वर्णन के अनुरूप होगा, और यदि माल अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर उसके नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार दिया जाता है तो थोक माल का नमूने के अनुरूप होना ही पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप भी न हो।

(6) स्वामी किसी अवक्रय-करार के किसी ऐसे उपबन्ध पर, जिससे उपधारा (3) में उपवर्णित शर्त का अपवर्जन या उपान्तरण होता है, निर्भर करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि करार के लिए जाने के पूर्व वह उपबन्ध अवक्रेता को सूचित कर दिया गया था और उसका प्रभाव उसे स्पष्ट कर दिया गया था।

(7) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अन्य अधिनियमित या विधि के नियम के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिससे किसी अवक्रय-करार में कोई शर्त या वारण्टी विवक्षित मानी जानी है।

7. अवक्रय-प्रभारों पर निर्बन्धन: (1) इस धारा में—

(क) "माल की नकद कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है जिस पर कोई भावी अवक्रेता, अवक्रय-करार की तिथि को, नकद राशि पर माल का क्रय कर सकता है;

(ख) "निक्षेप" से वह राशि अभिप्रेत है जो अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य प्रारम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन किसी ऐसे निक्षेप या संदाय के मद्धे अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है, चाहे वह राशि धन के संदाय अथवा माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या किसी अन्य तरीके से चुकाई जानी है या चुका दी गई है;

(ग) अवक्रय प्रभारों से माल की शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है;

(घ) "माल की शुद्ध नकद कीमत" से किसी निक्षेप की राशि को घटाकर माल की नकद कीमत अभिप्रेत है;

(ङ) "शुद्ध अवक्रय कीमत" से किसी निक्षेप राशि को घटाकर अवक्रय कीमत अभिप्रेत है;

(च) "कानूनी अवक्रय प्रभारों" से उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र के अनुसार विनिश्चित राशि अभिप्रेत है।

2. कानूनी अवक्रय प्रभार अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम होगी, या यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर निर्दिष्ट है, तो उस निम्नतर दर से निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी:—

$$\text{का} = \frac{\text{शु} \times \text{द} \times \text{स}}{100}$$

इस सूत्र में—

का = कानूनी प्रभार है
शु = शुद्ध नकद कीमत है
द = दर है
स = समय है जो वर्षों में और वर्षों के भागों में अभिव्यक्त वह समय है जो करार की तारीख से उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को अन्तिम अवक्रय किस्त करार के अधीन संदेय है।"

उपधारा (1) और (2) के लिए दृष्टांत: "क" एक अवक्रेता है जो "ख" स्वामी से अवक्रय आधार पर एक कार खरीदता है। कार की नकद कीमत 85,000/- रु० है। "क" अवक्रय करार की तारीख को 15,000/- रु० निक्षेप की राशि का संदाय करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कार की शुद्ध नकद कीमत 50,000/- रु० है। इस धारा के अनुसार ब्याज की अनुमन्य दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। पक्षकारों के बीच करार की अवधि पांच वर्ष है और शुद्ध अवक्रय कीमत का संदाय 60 समान मासिक किस्तों में किया जाना है। तदनुसार, उक्त सूत्र को लागू करते हुए इस मामले में कानूनी अवक्रय प्रभार की राशि निम्नलिखित रूप में 45,000/- रु० बन जाएगी।

$$\frac{50{,}000 \times 18 \times 5}{100} = 45{,}000/-$$

अवक्रय प्रभार कानूनी प्रभारों से अधिक नहीं हो सकते। इस प्रकार इस दृष्टांत में अवक्रय कीमत 1,10,000 रु० अर्थात 65,000/- रु० + 45,000/- रु० शुद्ध अवक्रय कीमत, 95,000/- रु० अर्थात 1,10,000/- रु० 15,000/- रु० (निक्षेप राशि) इस 95,000/- रु० की राशि का संदाय 60 मासिक किस्तों में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 45,000/- रु० की यह राशि क्योंकि कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि है, इसकी संगणना पक्षकारों द्वारा अवक्रय करार करने की तारीख को कर ली जानी चाहिए और करार में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, प्रतिवर्ष प्रतिशत की वह दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिस पर कानूनी प्रभार उपधारा (2) के अधीन संगणित किए जा सकेंगे। यह

दर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से कम न होगी और माल के विभिन्न वर्गों या उपवर्गों से सम्बन्धित अवक्रय करारों के बारे में विभिन्न दरें इसी प्रकार विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

धारा 7-क: अवक्रय प्रभार कानूनी प्रभारों से अनधिक होंगे: अवक्रय करार में कोई अनुबंध, जिसके अधीन अवक्रेता धारा 7 की उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक राशि विक्रय प्रभार के रूप में देने के लिए बाध्यकर है वहां वह करार शून्य हो जाएगा और प्रवर्तनीय नहीं होगा। स्वामी, जो अवक्रय प्रभार के रूप में कानूनी अवक्रय प्रभार से अधिक राशि वसूल कर लेता है, ऐसी वसूली के तुरन्त पश्चात या जब सभी अवक्रेता द्वारा मांगी जाए, अधिक वसूल की गई राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करेगा। यदि स्वामी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो अवक्रेता इस राशि की वसूली के लिए न्यायालय में जाएगा।

8. सम्पत्ति का संक्रमण:—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस माल में की सम्पत्ति जिसके संबंध में अवक्रय करार है, करार में संबंधित रीति से क्रय पूरा हो जाने पर ही अवक्रेता को संक्रान्त होगी।

अध्याय—चार

अवक्रेता के अधिकार और बाध्यताएं

9. किसी भी समय रिबेट पर क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार:—

(1) अवक्रेता अवक्रय करार के विद्यमान रहते किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात उस माल का क्रय, स्वामी को ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अधीन संदेय हो, उस अवक्रय कीमत या उसके अतिशेष का जो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से रिबेट को उसमें से काटकर हो, संदाय या निविदान करके, पूर्ण कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट की राशि की संगणना उस तारीख को जिस पर अवक्रेता वस्तुओं का क्रय पूरा करना चाहता है अतिशेष राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अथवा ब्याज की ऐसी कम दर पर जो करार में दी जाए, की जाएगी।

दृष्टांत: इस दृष्टांत के प्रयोजनों के लिए धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित आंकड़ों को ही अपनाया गया है। अवक्रेता इस

धारा में अवधारित वस्तुओं के क्रय का विकल्प तीन वर्ष के अन्त में अर्थात 36 माह पश्चात प्रयोग करना चाहता है। चौबीस माह अभी शेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में अवक्रेता 6,840/- की राशि के रिबेट का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित रूप में की गई है:—

"इस दृष्टांत में (जैसा कि धारा 7 में अन्तर्विष्ट है) मासिक किस्त 1583.33 पैसे है अर्थात 95,000/- रू० की राशि को 60 से भाग देने पर यह राशि आती है। अवक्रेता ने 36 किस्तों का संदाय किया है जिसका अर्थ है कि वह 56,999.88 पैसे का संदाय कर चुका है और देय अतिशेष 38,000/- रहता है। परन्तु क्योंकि वह 36 माह के अंत में क्रय करना चाहता है वह 6,840/-रू० का रिबेट पाने का हकदार है जिसका अर्थ यह होगा वस्तुओं के क्रय करने के लिए 31,160/-रू० की राशि का संदाय करना होगा।"

(3) अवक्रय करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध लागू होंगे किन्तु जहां करार के निबंधन अवक्रेता को इस धारा द्वारा अनुज्ञात रिबेट से अधिक रिबेट का हकदार बनाते हैं वहां अवक्रेता करार में उपबंधित रिबेट का हकदार होगा।"

10. किसी भी समय करार समाप्त कर देने का अवक्रेता का अधिकार:—

(1) अवक्रेता करार के अधीन अन्तिम संदाय देय होने के पूर्व किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने तथा स्वामी को माल का पुनः परिदान या निविदान करने के पश्चात, उन रकमों का संदाय या निविदान करके अवक्रय-करार समाप्त कर सकता है जो अवक्रय-कीमत मद्धे देय हो गई है और जिनका उसने संदाय नहीं किया है और यदि वह धारा 9 के अधीन किसी राशि का संदाय करने का दायी है तो वह राशि

भी ऐसे अनुभागिक प्रभारों और व्ययों के साथ जो करार के निबंधनों के अनुसार संदेय हो, इसके अन्तर्गत है।

(2) जहां अवक्रेता करार को उपधारा (1) के अधीन समाप्त कर देता है और करार में यह उपबंध है कि ऐसी समाप्ति के कारण उसमें उल्लिखित राशि का संदाय किया जाना है, वहां उस राशि का संदाय करने के लिए अवक्रेता का दायित्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्-

(क) जहां संदत्त रकमों का और समाप्ति के ठीक पूर्व अवक्रय कीमत की संदाय रकमों का कुल जोड़ अवक्रय कीमत के आधे से अधिक है वहां अवक्रेता ऐसी उल्लिखित राशि का संदाय करने का दायी नहीं होगा;

(ख) जहां संदत्त रकमों का और समाप्ति के ठीक पूर्व अवक्रय कीमत की बाबत देय रकमों का कुल जोड़ अवक्रय कीमत के आधे से अधिक नहीं है वहां अवक्रेता उक्त कुल जोड़ और उक्त आधे के बीच के अन्तर का या करार में उल्लिखित रकम का, इनमें से जो भी कम हो, संदाय करने का दायी होगा।

(3) उपधारा (2) की कोई भी बात कोई ऐसा भाड़ा देने के दायित्व से अवक्रेता को अवमुक्त नहीं करेगा जो समाप्ति से पूर्व देय हो गया हो।

(4) किसी करार का ऐसा कोई भी उपबंध शून्य होगा जो अवक्रय-करार समाप्त करने के उस अधिकार को अपवर्जित या निर्बन्धित करता है जो इस धारा द्वारा अवक्रेता को प्रदान किया गया है या जो अवक्रेता पर इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित दायित्व के अतिरिक्त कोई और दायित्व इसलिए अधिरोपित करता है कि उसने अवक्रय करार को इस धारा के अधीन समाप्त कर दिया है।

(क) ऐसे समनुदेशन के लिए सहमति देने हेतु प्रत्येक अनुरोध लिखित में किया जाएगा और स्वामी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर देगा।

(ख) अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार तक और हित के समनुदेशन के लिए यदि स्वामी इस आधार पर अपनी सहमति विधारित करता है कि किसी संदाय की उसकी मांग अथवा उस पर विचारण, जिसका अवक्रय करार में कोई उल्लेख नहीं है, पूरी नहीं हुई है अथवा उस पर सहमति नहीं हुई है तो वह सहमति अनुचित रूप से विधारित समझी जाएगी।

(5) इस धारा की कोई भी बात किसी अवक्रेता के किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो अवक्रय-करार को इस धारा के आधार पर समाप्त करने से भिन्न रूप में समाप्त करने के लिए है।

11. दो या अधिक करारों की बाबत संदाय विनियोजित करने का अवक्रेता का अधिकार:—

ऐसा अवक्रेता, जो दो या अधिक अवक्रय-करारों की बाबत एक ही स्वामी को संदाय करने का दायी है, किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, उन करारों की बाबत कोई ऐसा संदाय करने पर, जो सभी करारों के अधीन उस समय देय कुल रकम चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, अपने द्वारा इस प्रकार संदत्त राशि को उन करारों में से किसी एक के अधीन देय राशि की तुष्टि में या तुष्टि मद्धे, अथवा उनमें से किन्हीं दो या अधिक के अधीन देय राशियों की तुष्टि में या तुष्टि मद्धे, ऐसे अनुपातों में, जो वह ठीक समझे, विनियोजित करने का हकदार होगा और यदि वह यथापूर्वोक्त कोई विनियोग करने में असफल रहता है तो इस प्रकार संदत्त राशि अवक्रय-करारों के अधीन क्रमशः देय राशियों की तुष्टि मद्धे इस धारा के आधार पर उसी क्रम से विनियोजित हो जाएगी जिस क्रम से करार किए गए थे।

12. अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के हित या अधिकार का समनुदेशन और परिवेषण:—

(1) अवक्रेता अवक्रय-करार के अधीन अपने अधिकार, हक और हित को स्वामी की सहमति से या यदि उसकी सहमति अनुचित रूप से विधारित की जाती है तो उसकी सहमति के बिना समनुदिष्ट कर सकेगा।

(क) ऐसे समनुदेशन के लिए सहमति देने हेतु प्रत्येक अनुरोध लिखित में किया जाएगा और स्वामी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर देगा।

(ख) अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार, हक और हित के समनुदेशन के लिए यदि स्वामी

इस आधार पर अपनी सहमति विधारित करता है कि किसी संदाय की उसकी मांग अथवा उस पर विचारण, जिसका अवक्रय करार में कोई उल्लेख नहीं है, पूरी नहीं हुयी है अथवा उस पर सहमति नहीं हुई है तो वहां सहमति अनुचित रूप से विधारित समझी जाएगी।

(3) जहां स्वामी अवक्रेता द्वारा इस निमित्त प्रार्थना की जाने पर उपधारा (1) के अधीन समनुदेशन के लिए अपनी सहमति देने में असफल रहता है या देने से इन्कार करता है, वहां अवक्रेता न्यायालय से यह घोषित करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकता है कि उस समनुदेशन के बारे में स्वामी की सहमति अनुचित रूप से विधारित की गई है, और जहां ऐसा आदेश किया जाता है वहां सहमति अनुचित रूप से विधारित की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "न्यायालय" से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस अनुतोष के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता हो जिसके लिए आवेदन में दावा किया गया है।

(4) स्वामी ऐसी सहमति देने की शर्त के रूप में यह अनुबन्ध कर सकता है कि अवक्रय-करार के अधीन जितने व्यतिक्रम हुए हैं उन सब की प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी और वह अवक्रेता तथा समनुदेशिती से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे स्वामी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक ऐसा समनुदेशन-करार का निष्पादन और स्वामी को उसका परिदान करें, जिसके द्वारा समनुदेशिती, अवक्रेता के तत्सम्बन्धी सतत वैयक्तिक दायित्व पर प्रभाव डाले बिना, स्वामी से यह करार करे कि वह भाड़े की उन किस्तों का, जिनका संदाय नहीं किया गया है, संदाय करने के लिए और उसकी शेष अवधि के दौरान अवक्रय-करार के अन्य सभी अनुबन्धों का पालन और शर्तों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और जिसके द्वारा समनुदेशिती अवक्रेता को ऐसे दायित्वों के बारे में क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन देगा।

(5) अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार, हक और हित अवक्रेता के विधिक प्रतिनिधि को विधि की क्रिया द्वारा संक्रमणीय होंगे, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से विधिक प्रतिनिधि अवक्रय-करार के उपबन्धों का अनुपालन करने से अवमुक्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "विधिक प्रतिनिधि" पद का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, 1908 का 5 की धारा 2 के खण्ड (11) में है।

(6) अवक्रय-करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध लागू होंगे।

13. करार का अनुपालन करने की अवक्रेता की बाध्यताएं:—

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अवक्रेता—

(क) करार के अनुसार भाड़े का संदाय करने के लिए, और

(ख) करार के निबन्धनों का अन्यथा अनुपालन करने के लिए, आबद्ध होगा।

14. माल की देख-रेख करने के संबंध में अवक्रेता की बाध्यता:—

(1) अवक्रेता किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर,—

(क) अवक्रय-करार से सम्बन्धित माल की उतनी देख-रेख करने के लिए आबद्ध होगा जितनी देख-रेख मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में उसी परिमाण, क्वालिटी और मूल्य के अपने माल की करता है;

(ख) यदि उसने उसकी उतनी ही देख-रेख की है जितनी खण्ड (क) में वर्णित है तो वह माल की हानि, नाश या क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(2) अवक्रेता किसी ऐसे नुकसान के लिए, जो उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार माल की देख-रेख करने में असफलता के कारण हुआ हो, स्वामी को प्रतिकर देने का दायी होगा।

15. माल के उपयोग की बाबत अवक्रेता की बाध्यता:—

यदि अवक्रेता अवक्रय-कर से संबंधित माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जो करार की शर्तों के अनुसार नहीं है तो अवक्रेता ऐसे उपयोग से या उसके दौरान माल को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए स्वामी को प्रतिकर देने का दायी होगा।

16. यह जानकारी देने की अवक्रेता की बाध्यता कि माल कहां पर है:—

(1) जहां किसी अवक्रय-करार के आधार पर अवक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह करार से संबंधित माल को अपने कब्जे या नियंत्रण में रखे वहां अवक्रेता स्वामी से लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर, स्वामी को ऐसे समय, तिथि तथा स्थान की जानकारी देगा जिस पर अवक्रेता द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन के भीतर माल का नियंत्रण कर सके

(2) यदि अवक्रेता सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उक्त जानकारी देने में किसी उचित कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

17. स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण कर लिए जाने की दशा में अवक्रेता के अधिकार:—(1) जहां स्वामी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल का अभिग्रहण धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन कर लेता है, वहां यदि ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अनुसार संदेय हैं अवक्रय-कीमत निम्नलिखित रकमों के योग से कम है, तो अवक्रेता उतनी रकम जितनी कि कम है, स्वामी से वसूल कर सकता है, अर्थात्:

(i) अभिग्रहण की तारीख तक अवक्रेय-कीमत की बाबत संदत्त रकमें;

(ii) अभिग्रहण की तारीख पर माल का मूल्य।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी मामले में माल का मूल्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्वामी के नाम में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसी रजिस्ट्रीकरण की तारीख पर और किसी अन्य मामले में अभिग्रहण की तारीख पर पूरा मूल्य वह रकम है जो स्वामी द्वारा उस तारीख को उस माल के लिए उचित रूप से अभिप्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम कीमत में से निम्नलिखित रकमों के योग को घटा देने के पश्चात् बची रहे, अर्थात्:—

(i) माल का अभिग्रहण करने के लिए स्वामी द्वारा उपगत उचित व्यय;

(ii) कोई भी रकम जो माल के भंडारकरण, मरम्मत या अनुरक्षण पर स्वामी द्वारा उचित रूप से व्यय की गई हो;

(iii) (चाहे स्वामी ने उसके पश्चात् माल का विक्रय या उसे अन्यथा व्ययनित किया हो या नहीं) माल का विक्रय करने या उसे अन्यथा व्ययनित करने के संबंध में उचित व्यय; तथा

(iv) वह रकम, जिसे स्वामी ने करों की बकाया और ऐसी अन्य देय रकमों का संदाय करने के लिए व्यय किया है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन माल के संबंध में संदेय हैं और जिनका संदाय करने के लिए अवक्रेता दायी था।

(3) यदि स्वामी अवक्रेता को उस रकम या उसके किसी भाग का, जो इस धारा के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा देय है, संदाय उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, जिसको अवक्रेता ने उक्त रकम के संदाय के लिए सूचना की उस पर तामील की है, तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान की तारीख से उस रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का दायी होगा।

(4) जहां स्वामी ने अपने द्वारा अभिगृहीत माल का विक्रय कर दिया है, वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने माल के लिए जो कीमत अभिप्राप्त की थी वह अभिग्रहण की तारीख को उसके द्वारा उचित रूप से अभिप्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम कीमत थी।

(5) जहां स्वामी भाड़े पर दिए गए माल का अभिग्रहण धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन कर लेता है और ऐसे अभिग्रहण की तारीख से 14 दिन के भीतर अवक्रेता—

(i) स्वामी को, संदाय या निविदा की तारीख तक ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो अवक्रय करार के निबंधनों के अधीन संदेय हों, बकाया भाड़ा संदत्त या निविदत्त कर देता है;

(ii) करार के किसी भंग का उपचार करता है या (जहां वह इस तथ्य के कारण भंग का उपचार करने में असमर्थ है कि स्वामी ने माल का अभिग्रहण कर लिया है) वहां वह स्वामी को भंग का उपचार करने के लिए आवश्यक कोई कार्य बात या चीज करने के लिए उसके द्वारा उचित रूप से और वास्तव में उपगत लागत और व्यय को स्वामी को संदत्त या परिदत्त कर देता है;

(iii) माल का अभिग्रहण करने के और उसके आनुषंगिक या उसको, अवक्रेता को या उसके आदेश पर

लौटाने के लिए स्वामी की उचित लागत और व्यय को स्वामी को संदत्त या परिदत्त कर देता है।

तो स्वामी, उस मामले के सिवाय जहां अवक्रेता द्वारा, यथास्थिति, संदाय करने अथवा इस उपधारा में अवधारित उल्लंघन का उपचार किए जाने से पूर्व यदि माल का विक्रय या अवक्रय द्वारा निपटान कर दिया गया हो, क्रेता को माल वापस कर सकेगा और माल अवक्रेता द्वारा अवक्रय करार के निबंधनों के अनुसरण में इस प्रकार प्राप्त और धारित किया जाएगा मानों करार समाप्त नहीं हुआ था और स्वामी ने माल का कब्जा नहीं लिया था।"

अध्याय 5

स्वामी के अधिकार और बाध्यताएं

18. भाड़े के संदाय में व्यतिक्रम या अप्राधिकृत कार्य या अभिव्यक्त शर्तें भंग करने पर अवक्रय करार समाप्त करने का स्वामी का अधिकार:—

(1) जब अवक्रेता अवक्रेता-करार में उपबन्धित भाड़े का संदाय करने में एक से अधिक व्यतिक्रम करता है तब स्वामी धारा 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और अवक्रेता को—

(i) उस दशा में, जिसमें भाड़ा प्रति सप्ताह या इससे कम के अन्तरालों पर संदेय है, एक सप्ताह की, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सप्ताह की;

लिखित सूचना देने के पश्चात् इस बात का हकदार होगा कि वह अवक्रेता को समाप्ति की लिखित सूचना देकर करार को समाप्त कर दे:

परन्तु यदि अवक्रेता स्वामी को बकाया भाड़े और उसके साथ ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों का, जो करार के निबन्धनों के अधीन संदेय हो, संदाय या निविदान, यथास्थिति, एक सप्ताह या दो सप्ताह की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व कर देता है तो स्वामी करार को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(2) जहां अवक्रेता—

(क) करार से सम्बन्धित माल के बारे में कोई ऐसा कार्य करता है जो करार के निबन्धनों से असंगत है, अथवा

(ख) कोई ऐसी अभिव्यक्त शर्त भंग करता है जिसमें यह उपबन्ध है कि उसके भंग होने पर स्वामी करार समाप्त कर सकता है,

वहां स्वामी धारा 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस बात का हकदार होगा कि वह अवक्रेता को करार की समाप्ति की लिखित सूचना देकर उसे समाप्त कर दे।

19. अवक्रय-करार की समाप्ति पर स्वामी के अधिकार:—

और ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार देय हैं,

जहां कोई अवक्रय-करार इस अधिनियम के अधीन समाप्त किया जाता है वहां स्वामी इस बात का हकदार होगा कि वह—

(क) उस भाड़े को, जिसका पहले संदाय किया जा चुका है, रखे और ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार देय हैं, भाड़े की बकाया को वसूल कर ले:

परन्तु जब स्वामी ऐसे माल का अधिग्रहण करता है तब भाड़े को रखे रहना और ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अनुसार देय हैं, भाड़े की बकाया वसूली धारा 17 के उपबंधों के अधीन होगी।

(ख) यदि करार में ऐसा उपबन्ध है तो आरम्भिक निक्षेप का समपहरण धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कर ले;

(ग) धारा 17 और धारा 20 के उपबन्धों और किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए अवक्रेता के परिसर में प्रवेश करे और माल का अभिग्रहण कर ले;

(घ) धारा 21 और 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए माल का कब्जा धारा 20 के अधीन आवेदन करके या वाद द्वारा वापस लेले;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 15 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस तारीख से, जिसको समाप्ति प्रभावी हो, उस तारीख तक, जिसको माल का परिदान स्वामी को किया जाए या स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण किया जाए, माल का परिदान न किए जाने के लिए नुकसानी प्राप्त करे।

20. न्यायालय से भिन्न माध्यम द्वारा माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार पर निबंधन:—

2 (1) जहां माल किसी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिया गया है और अवक्रेता या किसी प्रतिभू द्वारा या उसकी ओर से अवक्रय-कीमत के कानूनी अनुपात का संदाय किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में या अन्यथा कर दिया गया है या उसका विनिदान कर दिया गया है वहां स्वामी अवक्रेता से माल का कब्जा वापस ले लेने के किसी अधिकार का प्रवर्तन उपधारा (3) के अनुसार या वाद द्वारा ही करा सकता है, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कानूनी अनुपात" से अभिप्रेत है—

(i) जहां अवक्रय-कीमत पच्चीस हजार रुपए से कम है वहां आधा, तथा

(ii) जहां-अवक्रय कीमत पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं है, वहां तीन-चौथाई:

परन्तु मोटर यान अधिनियम, 1939; 1939 का 4 परिभाषित मोटर यान की दशा में "कानूनी अनुपात" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) जहां अवक्रय-कीमत दस हजार रुपए से कम है वहां आधा;

(ii) जहां अवक्रय-कीमत दस हजार रुपए से कम नहीं है किन्तु पच्चीस हजार रुपए से कम है, वहां तीन-चौथाई;

(iii) जहां अवक्रय-कीमत पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं है वहां तीन-चौथाई, या इससे अधिक ऐसा अनुपात जो नव-दशांश से अधिक न हो, और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(2) यदि स्वामी माल का कब्जा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में वापस ले लेता है तो अवक्रय-करार उस दशा में समाप्त हो जाएगा जब वह पहले ही समाप्त नहीं हुआ है और—

(क) करार के अधीन सभी दायित्वों से अवक्रेता निर्मुक्त हो जाएगा और वह स्वामी से उन सब राशियों को वसूल कर लेने का हकदार होगा जिनका संदाय उसने करार के अधीन या करार के बारे में अपने द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति के अधीन किया हो; तथा

(2) कोई भी प्रतिभू उन सब राशियों को स्वामी से वसूल कर लेने का हकदार होगा जिनका संदाय उसने प्रत्याभूति की संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति के अधीन किया हो।

(3) जहां स्वामी माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने से उपधारा (1) के उपबन्धों के कारण प्रवारित हो जाता है, वहां वह माल के कब्जे की वापसी के लिए किसी ऐसे न्यायालय से आवेदन कर सकता है जिसे उस अनुतोष के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता है।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिसमें अवक्रेता ने करार को अपने में निहित किसी अधिकार के आधार पर समाप्त कर दिया है।

21. भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति:—

जहां स्वामी धारा 17 के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अपने द्वारा अवक्रय-करार समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् माल की वापसी के लिए अवक्रेता के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करता है या आवेदन करता है और वाद या आवेदन की सुनवाई के अवसर पर अवक्रेता भाड़े की बकाया का संदय या निविदान, उस पर ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबन्धनों के अधीन संदेय हों,

और वाद या आवेदन के ऐसे खर्च सहित, जिसे स्वामी ने उपगत किया हो, स्वामी को कर देता है और ऐसी अन्य शर्तों का, यदि कोई हो, जो न्यायालय अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन कर देता है वहां न्यायालय विनिर्दिष्ट परिदान के लिए डिक्री या आदेश करने के स्थान पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो अवक्रेता को करार की समाप्ति से मुक्त कर दे; और तब माल पर अवक्रेता का कब्जा ऐसे बना रहेगा मानो करार समाप्त नहीं हुआ था।

(i) जहां अवक्रय-कीमत दस हजार रुपए से कम है वहां आधा;

(ii) जहां अवक्रय-कीमत दस हजार रुपए से कम नहीं है किन्तु पच्चीस हजार रुपए से कम है, वहां तीन-चौथाई;

(iii) जहां अवक्रय-कीमत पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं है वहां तीन-चौथाई, या इससे अधिक ऐसा अनुपात जो नव-दशांश से अधिक न हो, और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(2) यदि स्वामी माल का कब्जा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में वापस ले लेता है तो अवक्रय-करार उस दशा में समाप्त हो जाएगा जब वह पहले ही समाप्त नहीं हुआ है और—

(क) करार के अधीन सभी दायित्वों से अवक्रेता निर्मुक्त हो जाएगा और वह स्वामी से उन सब राशियों को वसूल कर लेने का हकदार होगा जिनका संदाय उसने करार के अधीन या करार के बारे में अपने द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति के अधीन किया हो; तथा

(2) कोई भी प्रतिभू उन सब राशियों को स्वामी से वसूल कर लेने का हकदार होगा जिनका संदाय उसने प्रत्याभूति की संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति के अधीन किया हो।

(3) जहां स्वामी माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने से उपधारा (1) के उपबन्धों के कारण प्रवारित हो जाता है, वहां वह माल के कब्जे की वापसी के लिए किसी ऐसे न्यायालय से आवेदन कर सकता है जिसे उस अनुतोष के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता है।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिसमें अवक्रेता ने करार को अपने में निहित किसी अधिकार के आधार पर समाप्त कर दिया है।

21. भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्तिः—

जहां स्वामी धारा 17 के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अपने द्वारा अवक्रय-करार समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् माल की वापसी के लिए अवक्रेता के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करता है या आवेदन करता है और वाद या आवेदन की सुनवाई के अवसर पर अवक्रेता भाड़े की बकाया का संदाय या निविदान, उस पर ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबन्धनों के अधीन संदेय हो, और वाद या आवेदन के ऐसे खर्च सहित, जिसे स्वामी ने उपगत किया हो, स्वामी को कर देता है और ऐसी अन्य शर्तों का, यदि कोई हो, जो न्यायालय अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन कर देता है वहां न्यायालय विनिर्दिष्ट परिदान के लिए डिक्री या आदेश करने के स्थान पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो अवक्रेता को करार की समाप्ति से मुक्त कर दे; और तब माल पर अवक्रेता का कब्जा ऐसे बना रहेगा मानो करार समाप्त नहीं हुआ था।

22. अप्राधिकृत कार्य के कारण या अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्तिः—

जहां कोई अवक्रय-करार धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर दिया गया है वहां माल की वापसी के लिए स्वामी अवक्रेता के विरुद्ध कोई वाद या आवेदन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने अवक्रेता पर ऐसी लिखित सूचना की तामिल न कर दी हो जिसमें—

(क) वह विशिष्ट भंग या कार्य विनिर्दिष्ट हो जिसके बारे में परिवाद किया गया है, तथा

(ख) यदि भंग या कार्य ऐसा है जिसका उपचार हो सकता है तो अवक्रेता से उसका उपचार करने की अपेक्षा की गई हो,

और यदि उस भंग या कार्य का उपचार हो सकता है, तो अवक्रेता सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भंग या कार्य का उपचार करने में असफल रहा है।

23. प्रतिलिपियां और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यताः—

(1) अवक्रय करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने से पूर्व किसी समय, स्वामी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह अवक्रेता को, इस निमित्त अवक्रेता से अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् और अवक्रेता द्वारा वामी को व्ययों के लिए विहित फीस निविदत्त करने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अवक्रय करार और घोषणा की अतिरिक्त प्रतियां दे,

(2) स्वामी का यह भी कर्तव्य होगा कि अवक्रय-करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी भी समय अवक्रेता से इस निमित्त लिखित प्रार्थना प्राप्त होने और उसके द्वारा स्वामी को व्यय के निमित्त एक रुपया निविदत्त किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर अवक्रेता को अपने या अपने अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक ऐसा विवरण दे जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शित हों—

(क) अवक्रेता द्वारा या उसकी ओर से संदत्त रकम;

(ख) वह रकम जो करार के अधीन देय हो गई है किन्तु जिसका संदाय नहीं किया गया है और वह तारीख जिसको संदाय न की गई प्रत्येक किस्त देय हो गई थी और ऐसी प्रत्येक किस्त की रकम; तथा

(ग) वह रकम जो करार के अधीन संदेय होने वाली है और वह तारीख या उस तारीख को अवधारित करने का ढंग, जिसको आगामी प्रत्येक किस्त संदेय होने वाली है और ऐसी प्रत्येक किस्त की रकम।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अधिरोपित उचित कर्तव्यों का निर्वहन करने में उचित कारण के बिना कोई असफलता हुई है वहां जब तक व्यतिक्रम चालू रहेगा तब तक—

(क) स्वामी करार को अवक्रेता के विरुद्ध प्रवर्तित कराने या करार से सम्बन्धित किसी प्रत्याभूति की संविदा को प्रवर्तित कराने या अवक्रेता से माल वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने का हकदार नहीं होगा; तथा

(ख) करार के अधीन संदेय धन की बाबत अवक्रेता द्वारा दी गई या किसी यथापूर्वोक्त प्रत्याभूति की संविदा के अधीन संदेय धन की बाबत प्रतिभू द्वारा दी गई कोई भी प्रतिभूति उसके किसी भी धारक द्वारा अवक्रेता या प्रतिभू के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगी;

और यदि व्यतिक्रम दो मास की अवधिपर्यन्त चालू रहेगा तो स्वामी जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्वामी या अवक्रेता के विरुद्ध या स्वामी और अवक्रेता दोनों के विरुद्ध किसी ऐसे भार या बिल्लंगम को, जिसके अधीन अवक्रय-करार का माल है, प्रवर्तित कराने के किसी पर-व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव डालती है।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

24. धन के संदाय से भिन्न रूप में कीमत का चुकाया जानाः—

जहां किसी स्वामी ने यह करार किया है कि अवक्रय-कीमत का कोई भाग धन के संदाय से भिन्न रूप में चुकाया जा सकता है, वहां ऐसा चुकाया जाना धारा 10, धारा 11, धारा 17, धारा 20 और धारा 23 के प्रयोजनों के लिए अवक्रय-कीमत के उस भाग का संदाय समझा जाएगा।

25. अवक्रेता का दिवाला आदिः—

(1) जहां अवक्रय करार के चालू रहने के दौरान, अवक्रेता दिवाले से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है वहां शासकीय रिसीवर को, या जहां अवक्रेता कोई कम्पनी

है वहां उस कम्पनी के परिसमापन पर समापक को उस माल के बारे में, जो करार के अधीन अवक्रेता के कब्जे में है, वे सब अधिकार होंगे जो उसके संबंध में अवक्रेता के थे और वह उन सभी बाध्यताओं के अधीन रहेगा जिनके अधीन अवक्रेता था।

(1क) शासकीय रिसीवर या परिसमापक, यथास्थिति, दिवाला न्यायालय या न्यायालय, यदि कोई हो, के आदेशों के अधीन भाड़े के माल को अपने कब्जे में लेने के साथ ही स्वामी भाड़े के माल को अपने कब्जे में लेने की सूचना देगा और स्वामी को यह सूचना भी देगा कि क्या वह अवक्रय करार के अनुसार संदाय जारी रखना चाहता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्वामी दिवाला न्यायालय या न्यायालय, यथास्थिति, में उपयुक्त निदेशों के लिए जा सकेगा।

(2) शासकीय रिसीवर या समापक, यथास्थिति, दिवाला न्यायालय की या उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिसमें परिसमापन कार्यवाही चल रही हो, अवक्रेता के उन अधिकारों का, जो उस करार के अधीन थे, समनुदेशन किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकता है और समनुदेशिती को वे सब अधिकार होंगे जो करार के अधीन अवक्रेता के थे और वह उन सभी बाध्यताओं के अधीन होगा जिनके अधीन अवक्रेता था।

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा दिए जाने से पूर्व, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय, या वह न्यायालय जिसमें परिसमापन कार्यवाही लम्बित है, स्वामी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "शासकीय रिसीवर" से प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन नियुक्त शासकीय रिसीवर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत दिवाले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई वैसा ही पद धारण करने वाला व्यक्ति भी है।

26. एक ही पक्षकारों के बीच आनुक्रमिक अवक्रय-करार:—

जहां माल किसी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिया गया है और तत्पश्चात् किसी भी समय स्वामी अवक्रेता के साथ कोई पश्चात्वर्ती अवक्रय-करार करता है, चाहे वह अन्य माल के संबंध में अनन्यतः हो या प्रथम करार से सम्बन्धित माल के साथ ही साथ किसी अन्य माल के संबंध में हो, वहां ऐसे पश्चात्वर्ती अवक्रय-करार का वहां तक कोई प्रभाव नहीं होगा जहां तक वह किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो अवक्रेता को, यदि ऐसा पश्चात्वर्ती अवक्रय-करार न किया गया होता तो, प्रथम करार के अधीन धारा 20 के आधार पर होता।

27. माल का कब्जा वापस लेने के बाद या आवेदन में प्रतिकूल निरोध का साक्ष्य:—

(1) जहां किसी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल के स्वामी द्वारा दिए गए ऐसे वाद या आवेदन में, जो अवक्रेता से माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए है, स्वामी यह साबित कर देता है कि उस वाद या आवेदन के प्रारम्भ होने के पूर्व और माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार के प्रोद्भूत होने के पश्चात् स्वामी के अवक्रेता से यह लिखित प्रार्थना की थी कि वह माल का अध्यर्पण कर दे, वहां माल पर अवक्रेता का कब्जा उस माल के कब्जे को वापस कराने के लिए स्वामी के दावे के प्रयोजन के लिए स्वामी के प्रतिकूल समझा जाएगा।

(2) इस धारा की कोई भी बात संपरिवर्तन के लिए नुकसानी के किसी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी।

28. अवक्रेता द्वारा माल का अध्यर्पण इंकार करने से कुछ दशाओं में माल का संपरिवर्तन न होना:—

अवक्रेता से माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार का स्वामी द्वारा प्रवर्तन इस अधिनियम के आधार पर जिस निबंन्धन के अधीन है उस निबंन्धन के विद्यमान रहते हुए यदि अवक्रेता स्वामी को माल का कब्जा देने से इन्कार करता है तो अवक्रेता ऐसा इन्कार करने के कारण मात्र से माल के संपरिवर्तन के लिए स्वामी के प्रति दायी नहीं होगा।

28क. बीमा—(1) स्वामी, अवक्रय करार में समाविष्ट किसी माल की जोखिम के लिए, जैसे बीमा कराने और करार के दौरान सभी समय माल को बीमाकृत रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जहां अवक्रय करार में समाविष्ट माल के बीमे के बारे में, बीमाकर्ता कोई दावा नहीं रिबेट

अथवा इसी प्रकार का कोई रिबेट अनुज्ञात करता है, वहां करार के अधीन अवक्रेता रिबेट का लाभ पाने का हकदार होगा और कोई व्यक्ति जो करार के अधीन स्वामी को जानबूझकर ऐसे किसी रिबेट का संदाय करता है अथवा अनुज्ञा देता है, अवक्रेता के प्रति अपनी बाध्यता से मुक्त नहीं होगा।

(3) इस धारा की कोई भी बात बिना खर्चे के अवक्रेता को बीमा उपलब्ध कराने के स्वामी के अधिकार को सीमित अथवा निर्बन्धित नहीं करेगी।

28(ख) अवैध संविदाओं के संबंध में विधि का लागू होना:—

यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई करार किया गया है अथवा करार के पालन के अनुक्रम में इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है तो, इससे करार अवैध नहीं होगा और करार, अधिनियम से असंगत उपबंधों के सिवाय, आबद्धकर और प्रवर्तनीय होगा और रहेगा।"

29. सूचना की तामील:—

कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन स्वामी या अवक्रेता पर तामील की जाने या उसे दी जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत है—

(क) उसे व्यक्तिगत रूप से देकर, अथवा

(ख) उसके अन्तिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेज कर,

तामील की जा सकती है या दी जा सकती है।

30. कुछ दशाओं में धारा 6, 9, 10, 12 और 17 के उपबंधों से छूट देने की शक्ति:—

जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी माल या किसी वर्ग के माल के अल्प प्रदाय को, अथवा

(ख) किसी माल या किसी वर्ग के माल के उपयोग या आशयित उपयोग को और उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा ऐसे माल या ऐसे वर्ग के माल का उपयोग किया जाता है या उपयोग का किया जाना आशयित है, अथवा

(ग) किसी माल या किसी वर्ग के माल के व्यापार या वाणिज्य पर अधिरोपित निर्बन्धनों को, अथवा

(घ) किसी माल या किसी वर्ग के माल के सम्बन्ध में की किसी अन्य परिस्थिति को, ध्यान में रखते हुए ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसे माल या ऐसे वर्ग के माल से सम्बन्धित अवक्रय-करारों को धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), धारा 9, धारा 10, धारा 12 और धारा 17 या इनमें से कोई लागू नहीं होगी, या ऐसे उपान्तरों के साथ लागू होगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

31. अधिनियम का विद्यमान करारों पर लागू न होना:—

यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए किसी अवक्रय-करार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

अनुबंध-ग

(राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में)

1989 का विधेयक संख्यांक 12

[हायर-परचेज (अमेंडमेंट) बिल, 1989 का हिन्दी अनुवाद]

अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989

अवक्रय अधिनियम, 1972 का संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अवक्रय (संशोधन) अधिनियम, 1989 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1972 का 26

धारा 2 का संशोधन।

2. अवक्रय अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (घ) में "किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसी राशि संदेय नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई राशि नहीं जो:—

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए, करार के निबंधनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है;

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्यथा फीस के रूप में संदेय है;

(iii) बीमे की प्रीमियम के रूप में संदेय है; और

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है।";

(ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चच) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;';

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, अन्त में आने वाले "तथा" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) में, "तथा" शब्द अन्त में जोड़ा जाएगा;

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) और उसके साथ विहित प्ररूप में एक घोषणा होगी जिसमें अवक्रेता के मुख्य अधिकार और बाध्यताएं अन्तर्विष्ट होंगी और उस पर करार के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे।"।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (घ) में, अन्त में आने वाले "तथा" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ङ) में, "तथा" शब्द अन्त में जोड़ा जाएगा;

(ग) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां जो विहित की जाएं।";

(घ) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां अवक्रय-कीमत के किसी भाग का संदाय नकद में या चैक से न करके अन्यथा किया जाता है या किया जाना है, वहां अवक्रय-करार में अवक्रय-कीमत के उस भाग का वर्णन होगा और उसमें उस तारीख का जिसको ऐसे भाग का किया जाना है या दिया जाना है और पक्षकारों द्वारा कार्रवाई उसकी कीमत का या जहां ऐसे भाग के विभिन्न प्रभागों का विभिन्न तारीखों को संदाय किया जाना है या दिया जाना है, वहां उस तरीख का जिसको ऐसे प्रत्येक प्रभाग का संदाय किया जाना है या दिया जाना है और पक्षकारों द्वारा करार पाई गई उसकी कीमत का भी कथन होगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) को खंड (क) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा;

(iii) खंड (क) को खंड (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ख) में "खंड (ख) में यथापरिभाषित" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (क) में यथापरिभाषित" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) खंड (घ) को खंड (ग) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ग) में "शुद्ध अवक्रय प्रभार" शब्दों के स्थान पर "अवक्रय प्रभार" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (ङ) को खंड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (घ) में—

(अ) आरंभिक भाग में "निम्नलिखित" शब्द के स्थान पर "खंड (क) में यथा परिभाषित किसी निक्षेप" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) उपखंड (i) से (iii) तक का लोप किया जाएगा;

(vi) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ङ) अवक्रय करार के संबंध में "कानूनी अवक्रय प्रभार" से उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संगणित रकम अभिप्रेत है';

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) कानूनी अवक्रय प्रभार अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम होगी, या, यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर विनिर्दिष्ट है, तो उस निम्नतर दर से निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी:—

$$\text{का} = \frac{\text{शु}\times\text{द}\times\text{स}}{100}$$

इस सूत्र में का—कानूनी अवक्रय प्रभार है;

शु—शुद्ध नकद कीमत है;
द—दर है; और
स—समय है जो वर्षों में और वर्षों के भागों में अभिव्यक्त वह समय है जो करार की तारीख से उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को अंतिम अवक्रय किस्त करार के अधीन संदेय है।";

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "यह दर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से कम होगी" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) "कानूनी प्रभार" शब्दों के स्थान पर "कानूनी अवक्रय प्रभार" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) में,—

(i) "शुद्ध अवक्रय प्रभार" शब्दों के स्थान पर, "अवक्रय प्रभार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "कानूनी प्रभार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी ये आते हैं, "कानूनी अवक्रय प्रभार" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशो

(क) उपधारा (1) में, "लिखित सूचना देने के पश्चात् उस माल का" शब्दों के पश्चात् "ऐसे आनुषंगिक प्रभारी और व्ययों सहित जो करार के नियंत्रणों के अधीन संदेय हों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएंगी:—

$$\text{रि} = \frac{\text{प्र}\times\text{मा}\times(\text{मा}+1)}{\text{सं}\times(\text{सं}+1)}$$

इस सूत्र में रि—रिबेट है;

प्र—धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अवक्रय प्रभार है अथवा धारा 7 की उपधारा (ङ) में यथा परिभाषित कानूनी अवक्रय प्रभार, इनमें जो भी कम हो;
मा—पूर्ण मासों की वह संख्या है जो अभी भी करार की अवधि में शेष है;
सं—करार की अवधि में पूर्ण मासों की संख्या है;"।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में "राशि भी" शब्दों के पश्चात्, "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अधीन संदेय हैं," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 10 का

8. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) में "जितने व्यतिक्रम हुए हैं" शब्दों के पश्चात्, "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबंधनों के अधीन संदेय हैं," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 12 का

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,— धारा 17 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "अवक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार संदेय हैं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ii) में "अभिग्रहण की तारीख पर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, "किसी माल के अभिग्रहण की तारीख पर मूल्य वह रकम है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी मामले में किसी माल का मूल्य जहां माल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्वामी के नाम में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख पर और किसी अन्य मामले में अभिग्रहण की तारीख पर मूल्य वह रकम है" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) जहां स्वामी अवक्रय करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल का अभिग्रहण धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन कर लेता है और ऐसे अभिग्रहण की तारीख से 14 दिन के भीतर अवक्रेता—

(i) स्वामी को, संदाय या निविदा की तारीख तक ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो अवक्रय करार के निबंधनों के अधीन संदेय हों, बकाया भाड़ा संदत्त या निविदत्त कर देता है;

(ii) करार के किसी भंग का उपचार करता है या (जहां वह इस तथ्य के कारण भंग का उपचार करने में असमर्थ है कि स्वामी ने माल का अभिग्रहण कर लिया है) वहां वह स्वामी को भंग का उपचार करने के लिए आवश्यक कोई कार्य, बात या चीज करने के लिए उसके द्वारा उचित रूप से और वास्तव में उपगत लागत और व्यय को स्वामी को संदत्त या परिदत्त कर देता है;

(iii) माल का अभिग्रहण करने के और उसके आनुषंगिक या उसको, अवक्रेता को या उसके आदेश पर लौटाने के लिए स्वामी की उचित लागत और व्यय को स्वामी को संदत्त या परिदत्त कर देता है।

तो स्वामी, स्वविवेक पर, क्रेता को माल वापस कर सकेगा और माल अवक्रेता द्वारा अवक्रय करार के निबंधनों के अनुसरण में इस प्रकार प्राप्त और धारित किया जाएगा मानों करार समाप्त नहीं हुआ था और स्वामी ने माल का कब्जा नहीं लिया था।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के परन्तुक में "उसके साथ उस पर ऐसे ब्याज का" शब्दों के स्थान पर, "उसके साथ ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों का" शब्द रखे जाएंगे। धारा 18 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 19 में,— धारा 19 का संशोधन।

(i) खंड (क) में "देय भाड़े की बकाया" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित, जो करार के निबंधनों के अनुसार संदेय है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में "अवक्रेता के परिसर में प्रवेश करे और माल का अभिग्रहण कर", शब्दों के स्थान पर "माल का अभिग्रहण करे" शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में, "पन्द्रह हजार रुपए" और "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "पच्चीस हजार रुपए" और "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 20 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 21 में, "उस पर ऐसे ब्याज सहित" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित" शब्द रखे जाएंगे। धारा 21 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 23 में,— धारा 23 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "अवक्रय करार की अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सही प्रतिलिपि" शब्दों के स्थान पर "और धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट घोषणा की अपने द्वारा हस्ताक्षरित सही प्रतिलिपि" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (क) में, "यथाशक्य शीघ्र" शब्दों के स्थान पर "अविलम्ब" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) "अवक्रय करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी समय स्वामी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह अवक्रेता को इस निमित्त अवक्रेता से लिखित रूप में स्वामी को व्ययों के अनुरोधीय प्राप्त किए जाने और अवक्रेता द्वारा स्वामी को व्ययों के लिए विहित फीस निविदत्त करने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अवक्रय करार और घोषणा की अतिरिक्त प्रतियां दे।";

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा दिए जाने के पूर्व, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय, या वह न्यायालय जिसमें परिसमापन कार्यवाही लंबित है, स्वामी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा।"।

नई धारा 32 का अन्तःस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

नियम बनाने की शक्ति।

"32. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) जहां प्ररूप और रीति जिसमें सभी या किन्हीं विशिष्टियों को धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रत्येक अवक्रय करार में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां, जिन्हें धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन प्रत्येक अवक्रय करार में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना है, या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

33. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, कठिनाइयां दूर करने की शक्ति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम से असंगत न हों, बना सकेगी जैसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अवक्रय अधिनियम, 1972 मुख्यतः अवक्रय करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए विधि आयोग की बीसवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था। चूंकि लघु उद्योग सैक्टर में संगठनों के द्वारा विकासशील क्रियाकलाप मुख्यतः अवक्रय के आधार पर मशीनरी, उपकरण आदि किराए पर देने की युक्ति के माध्यम से किए जाते हैं और चूंकि अवक्रय अधिनियम के उपबन्धों में नए प्ररूप और अवक्रय करार आदि विरचित करना अन्तर्वलित है अतः विभिन्न संगठनों, व्यापार-क्षेत्रों और जनता को इस विधान की विवक्षाओं और प्रभाव का अनुभव करने के लिए तथा इस अधिनियम को प्रवृत्त करने से पूर्व अपने कार्यों में आवश्यक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया था। तथापि, इससे पूर्व कि उक्त अधिनियम को प्रवृत्त किया जाता, उसके क्रियान्वयन में विभिन्न दशाओं से बताई गई कठिनाइयों के कारण इस अधिनियम को प्रवृत्त करने के विरुद्ध जनता से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हो गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ, इस विषय की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंककारी विधि समिति द्वारा की गई थी। राज्य सभा की "कमेटी आन पिटीशन्स" को अवक्रय अधिनियम को प्रवृत्त करने के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था और समिति ने यह सिफारिश की थी कि अवक्रय अधिनियम को अविलम्ब अधिसूचित करने और क्रियान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इस दृष्टि से यह महसूस किया गया कि इस अधिनियम को, परिलक्षित मुख्य कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रवृत किया जाना चाहिए।

2. इस अधिनियम का विषय अति तकनीकी प्रकृति का है जिसके दूरगामी परिणाम भी हैं। इस अधिनियम की कठिनाइयां मुख्यतः इन विषयों के बारे में हैं, अर्थात् अवक्रय प्रभारों को सीमित करना, रिबेट सहित किसी भी समय क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार, अवक्रय अधिनियम को वर्तमान आर्थिक और अन्य परिस्थितियों से अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक उपान्तरण करना, और ऐसे किसी उपबंध का अभाव होना जिससे अधिनियम के कुछ उपबन्धों की विवक्षाओं को अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट करने के लिए और विशेषकर उनके बारे में जिनमें गणितीय संगणनाएं अन्तर्वलित हैं, नियम बनाने में कठिनाईयां ऐसे अवक्रय करारों के बारे में अधिक महसूस की गई प्रतीत होती हैं जो ऐसी आस्तियों के लिए ऋण प्राप्त करने का उपबन्ध करते हैं जो आस्तियां कारबार में आय बढ़ाने के लिए होती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए यह प्रस्तावित विधान मूल अधिनियम में विभिन्न अन्य देशों के समतुल्य विधानों के अनुरूप संशोधन करता है।

3. कुछ अन्य संशोधन भी प्रस्थापित हैं जो प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं और ये सहायक और लाभदायक होंगे—विशेषकर अवक्रेताओं के लिए। मूल अधिनियम की विषय-वस्तु की अत्यधिक तकनीकी प्रकृति को देखते हुए, सामान्य प्रकार का एक उपबन्ध भी सम्मिलित किया जा रहा है। जो केन्द्रीय सरकार को, उपयुक्त आदेश देकर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए सशक्त करता है।

4. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली
6 अप्रैल, 1989

बी० शंकरानंद

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 16 अवक्रय अधिनियम, 1972 (1972 का 26) के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करते हुए उक्त अधिनियम में एक नई धारा 32 अंतःस्थापित करता है। इन नियमों में उस प्ररूप और रीति का जिसमें प्रत्येक अवक्रय करार में सभी विशिष्टियों या किसी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उन अतिरिक्त विशिष्टियों का जो प्रत्येक अवक्रय करार में विनिर्दिष्ट की जाएँगी और ऐसे अन्य विषयों का उपबंध किया जाएगा जो मूल अधिनियम के कुछ उपबंधों, विशेषकर जिनमें गणितीय संगणना अंतर्वलित है, की विवक्षाओं को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपेक्षित हों।

2. अंतर्वलित अवक्रय से संबंधित विधान की प्रकृति को देखते हुए, विधेयक का खंड 16 अवक्रय अधिनियम में एक नई धारा 33 भी अंतस्थापित करता है जो केन्द्रीय सरकार को आदेश द्वारा ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने में सशक्त करती है जो अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भूत हो। यह प्रावधान अत्यधिक सावधानी के रूप में है और उन कठिनाइयों के बारे में हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं। तथापि, यह उपबंध किया गया है कि अवक्रय अधिनियम के प्रारम्भ के पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जा सकेगा। यह भी उपबंध किया गया है कि ऐसा प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

3. वे विषय जिनके संबंध में नियम या आदेश बनाए जा सकते हैं, प्रशासनिक विवरण और प्रक्रिया के विषय हैं और इनके बारे में इस विधेयक में उपबंध करना कठिन है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

अवक्रम अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम सं० 26) के उद्धरण

* * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं

* * * *

(घ) "अवक्रय-कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस माल में संपत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय-करार के अधीन संदेय है, और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरंभिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय मद्दे अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है, चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को या किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अंतरण या परिदान द्वारा या किसी तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसान के रूप में संदेय है;

* * * *

अध्याय 2

अवक्रय करारों का प्ररूप और विषयवस्तु

3. (1) प्रत्येक अवक्रय-करार— अवक्रय-करारों का लिखित रूप में और उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना।

(क) लिखित होगा, तथा

(ख) उस पर उनके सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे।

* * * *

4. (1) प्रत्येक अवक्रय करार में निम्नलिखित कथन होगा,— अवक्रय-करारों की विषय-वस्तु।

* * * *

(घ) कितनी किस्तों में अवक्रय-कीमत का संदाय किया जाना है; उन किस्तों में से प्रत्येक किस्त की रकम, और वह तारीख या ऐसी तारीख के अवधारण का ढंग, जब किस्त का संदाय किया जाना है तथा वह व्यक्ति जिसे और वह स्थान जहां किस्त का संदाय किया जाना है; तथा

(ङ) जिस माल के संबंध में करार है उसका वर्णन ऐसी रीति से किया जाएगा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो।

(2) जहां अवक्रय-कीमत के किसी भाग का संदाय नकद में या चैक से न करके अन्यथा किया जाता है या किया जाना है, वहां अवक्रय-करार में अवक्रय कीमत के उस भाग का वर्णन होगा।

* * * *

7. (1) इस धारा में, अवक्रय-प्रभारों पर निर्बन्धन।

(क) अवक्रय-किस्त के संबंध में "नकद कीमत किस्त" से वह रकम अभिप्रेत है जिसका नकद कीमत से वही अनुपात है जो अवक्रय-किस्त की रकम का अवक्रय-कीमत की कुल रकम से है;

(ख) "निक्षेप" से वह राशि अभिप्रेत है जो अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य प्रारंभिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन किसी ऐसे निक्षेप या संदाय के मद्दे अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है, चाहे वह राशि धन के संदाय अथवा माल के अंतरण या परिदान द्वारा या किसी अन्य तरीके से चुकाई जानी है या चुका दी गई है।

(ग) अवक्रय-करार वाले माल के संबंध में "शुद्ध नकद कीमत" से धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अवक्रय-करार में विनिर्दिष्ट की जाने के लिए अपेक्षित माल की वह नकद कीमत अभिप्रेत है जो खंड (ख) में परिभाषित किसी निक्षेप को घटा कर आए;

(घ) किसी माल के लिए अवक्रय-करार के संबंध में "शुद्ध अवक्रय प्रभार" से ऐसे माल के शुद्ध अवक्रय मूल्य और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अंतर अभिप्रेत है;

(ङ) अवक्रय-करार वाले माल के संबंध में "शुद्ध अवक्रय-कीमत" से धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवक्रय-करार में विनिर्दिष्ट की जाने के लिए अपेक्षित माल की अवक्रय-कीमत की वह कुल रकम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को घटा कर आए—

(i) कोई ऐसी रकम, जो अवक्रेता को माल का या माल में से किसी माल का परिदान करने या अवक्रेता के आदेशानुसार परिदान करने के व्यय की पूर्ति के लिए संदेय है जो करार में इस तरह विनिर्दिष्ट है कि वह अवक्रय-कीमत में सम्मिलित है;

(ii) कोई ऐसी रकम, जो माल या करार या दोनों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अन्य फीस की पूर्ति के लिए संदेय है और जो करार में इस तरह विनिर्दिष्ट है कि वह अवक्रय कीमत में सम्मिलित है; तथा

(iii) कोई ऐसी रकम, जो माल के बारे में बीमा (पर व्यक्ति बीमा से भिन्न) के लिए संदेय है और जो करार में इस तरह विनिर्दिष्ट है कि वह अवक्रय-कीमत में सम्मिलित है;

(च) अवक्रय-करार के संबंध में "कानूनी प्रभार" से उन रकमों का योग अभिप्रेत है जिनकी संगणना उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कानूनी प्रभारों के रूप में करार के अधीन अवक्रय-कीमत की प्रत्येक किस्त से संबंधित नकद कीमत की प्रत्येक किस्त के बारे में की गई है।

(2) नकद कीमत किस्त के संबंध में कानूनी प्रभार तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम होगी या यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर विनिर्दिष्ट है तो उस निम्नतर दर पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी:—

$$\text{का}^{\circ} = \frac{\text{न}^{\circ}\text{द}^{\circ}\text{स}^{\circ}}{100}$$

इस सूत्र में का—कानूनी प्रभार है।

न—नकद कीमत किस्त की रकम है जो रुपयों या रुपए के भाग में अभिव्यक्त हो।

द—दर है।

स—समय है जो वर्षों में और वर्षों के भागों में अभिव्यक्त वह समय है जो करार की तारीख से उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को नकद कीमत किस्त की तत्समान अवक्रेय किस्त, करार के अधीन संदेय है।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके प्रतिवर्ष प्रतिशत की वह दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिस पर कानूनी प्रभार उपधारा (2) के अधीन संगणित किए जा सकेंगे। यह दर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से कम न होगी और माल के विभिन्न वर्गों या उपवर्गों से संबंधित अवक्रय-करारों के बारे में विभिन्न दरें इसी प्रकार विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(4) जहां अवक्रय-करार से संबंधित शुद्ध अवक्रय-प्रभार ऐसे करार के संबंध में उपधारा (2) के उपबंधों में अनुसरणः में संगणित कानूनी प्रभार से अधिक है वहां अवक्रेता स्वामी को लिखित सूचना द्वारा या तो करार को शून्य मानने का या अपने दायित्व की राशि को इतनी कम कर देगा जितनी कि उपर्युक्त कानूनी प्रभारों से शुद्ध अवक्रय प्रवाहारों की राशि अधिक हो।

*   *   *   *

अध्याय 4

अवक्रेता के अधिकार और दायित्व

9. (1) अवक्रेता अवक्रय-करार के चालू रहने के दौरान किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उस माल का क्रय; स्वामी को इस अवक्रय-कीमत या उसके अतिशेष का, जो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से संगणित रिबेट को उसमें से काट कर हो, संदाय या निविदान करके पूरा कर सकता है। किसी भी समय रिबेट पर क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट उस रकम की दो-तिहाई के बराबर होगा जिसका अवक्रय-प्रभारों से वही अनुपात है जो अवक्रय-कीमत के ऐसे अतिशेष का, जो तब तक देय न हुआ हो, अवक्रय-कीमत से है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "अवक्रय-प्रभारों" से अवक्रय-करार में वर्णित अवक्रय-कीमत और नकद कीमत के बीच का अंतर अभिप्रेत है।

*   *   *   *

10. (1) अवक्रेता अवक्रय-करार के अधीन अंतिम संदाय देय होने के पूर्व किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने तथा स्वामी को माल का पुनः परिदान या निविदान करने के पश्चात्, उन रकमों का संदाय या निविदान करके अवक्रय-करार समाप्त कर सकता है जो अवक्रय-कीमत मद्दे देय हो गई है और जिनका उसने संदाय नहीं किया है और यदि वह उपधारा (2) के अधीन किसी राशि का संदाय करने का दायी है तो वह राशि भी इसके अंतर्गत है। किसी भी समय करार समाप्त कर देने का अवक्रेता का अधिकार।

*   *   *   *

12. (1)   *   *   * अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के हित या अधिकार का समनुदेशन और परेषण।

(4) स्वामी ऐसी सहमति देने की शर्त के रूप में यह अनुबंध कर सकता है कि अवक्रय-करार के अधीन जितने व्यतिक्रम हुए हैं उन सब की प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी और वह अवक्रेता तथा समनुदेशिती से यह आशा कर सकता है कि वे स्वामी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक ऐसे समनुदेशन-करार का निष्पादन और स्वामी को उसका परिदान करे, जिसके द्वारा समनुदेशिती, अवक्रेता के तत्संबंधी सतत वैयक्तिक दायित्व पर प्रभाव डाले बिना, स्वामी से यह करार करे कि वह भाड़े की उन किस्तों का, जिनका संदाय नहीं किया गया है, संदाय करने के लिए और उसकी शेष अवधि के दौरान अवक्रय-करार के अन्य सभी अनुबंधों का अनुपालन और शर्तों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और जिसके द्वारा समनुदेशिती अवक्रेता को ऐसे दायित्वों के बारे में क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन देगा।

*   *   *   *

17. (1) जहां स्वामी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल का अभिग्रहण धारा 18 के खंड (ग) के अधीन कर लेता है, वहां यदि अवक्रय-कीमत निम्नलिखित रकमों के योग से कम है, तो अवक्रेता उतनी रकम जितनी कि कम है, स्वामी से वसूल कर सकता है, अर्थात्:— स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण कर लिए जाने की दशा में अवक्रेता के अधिकार।

(i) अभिग्रहण की तारीख तक अवक्रय-कीमत की बाबत संदत्त रकमें;

(ii) अभिग्रहण की तारीख पर माल का मूल्य।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल के अभिग्रहण की तारीख पर मूल्य वह रकम है जो स्वामी द्वारा उस तारीख को उस माल के लिए उचित रूप से अभिप्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम कीमत में से निम्नलिखित रकमों के योग को घटा देने के पश्चात् बच रहे; अर्थात्:—

(i) माल का अभिग्रहण करने के लिए स्वामी द्वारा उपगत उचित व्यय;

(ii) कोई भी रकम जो माल के भंडारकरण, मरम्मत या अनुरक्षण पर स्वामी द्वारा उचित रूप से व्यय की गई हो;

(iii) (चाहे स्वामी ने उसके पश्चात् माल का विक्रय या उसे अन्यथा व्ययनित किया हो या नहीं) माल का विक्रय करने या उसे अन्यथा व्ययनित करने के संबंध में उचित व्यय; तथा

(iv) वह रकम, जिसे स्वामी ने करों की बकाया और ऐसे अन्य देय रकमों का संदाय करने के लिए व्यय किया है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन माल के संबंध में संदेय है और जिनका संदाय करने के लिए अवक्रेता दायी था।

* * * *

अध्याय 5

स्वामी के अधिकार और बाध्यताएं

भाड़े के संदाय में व्यतिक्रम या अप्राधिकृत कार्य या अभिव्यक्त शर्तें भंग करने पर अवक्रय-करार समाप्त करने का स्वामी का अधिकार।

18. (1) जब अवक्रेता अवक्रेता-करार में उपबंधित भाड़े का संदाय करने में एक से अधिक व्यतिक्रम करता है तब स्वामी धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और अवक्रेता को—

(i) उस दशा में, जिसमें भाड़ा प्रति सप्ताह या इससे कम के अंतरालों पर संदेय है, एक सप्ताह की; तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सप्ताह की,

लिखित सूचना देने के पश्चात् इस बात का हकदार होगा कि वह अवक्रेता को समाप्ति की लिखित सूचना देकर करार को समाप्त कर दे:

परन्तु यदि अवक्रेता स्वामी को बकाया भाड़े और उसके साथ उस पर ऐसे ब्याज का, जो करार के निबंधों के अधीन संदेय हो, संदाय या निविदान, यथास्थिति, एक सप्ताह या दो सप्ताह की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व कर देता है तो स्वामी करार को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।

* * * *

अवक्रय करार की समाप्ति पर स्वामी के अधिकार।

19. जहां कोई अवक्रय-करार इस अधिनियम के अधीन समाप्त किया जाता है वहां स्वामी इस बात का हकदार होगा कि वह:—

(क) उस भाड़े को, जिसका पहले संदाय किया जा चुका है, रखे रहे और देय भाड़े की बकाया को वसूल कर ले:

परन्तु जब स्वामी ऐसे माल का अभिग्रहण करता है तब भाड़े को रखे रहना और देय भाड़े की बकाया की वसूली धारा 17 के उपबंधों के अधीन होगी;

* * * *

(ग) धारा 17 और धारा 20 के उपबंधों और किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए अवक्रेता के परिसर में प्रवेश करे और माल का अभिग्रहण कर ले;

* * * *

न्यायालय से भिन्न माध्यम द्वारा माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार पर निर्बन्धन।

20. (1) जहां माल किसी अवक्रय करार के अधीन भाड़े पर दिया गया है और अवक्रेता या किसी प्रतिभू द्वारा या उसकी ओर से अवक्रय-कीमत के कानूनी अनुपात का संदाय किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में या अन्यथा कर दिया गया है या उसका निविदान कर दिया गया है वहां स्वामी अवक्रेता से माल का कब्जा वापस लेने के किसी अधिकार का प्रवर्तन उपधारा (3) के अनुसार या वाद द्वारा ही करा सकता है, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कानूनी अनुपात" से अभिप्रेत है—

(i) जहां अवक्रय-कीमत पंद्रह हजार रुपए से कम है वहां आधा; तथा

(ii) जहां अवक्रय-कीमत पंद्रह हजार रुपए से कम नहीं है, वहां तीन चौथाई:

परन्तु मोटर यान अधिनियम, 1939 में परिभाषित मोटर यान की दशा में "कानूनी अनुपात" से निम्नलिखित अभिप्रेत है— 1939 का 4

(क) जहां अवक्रय कीमत पांच हजार रुपए से कम है वहाँ आधा;

(ii) जहां अवक्रय-कीमत पांच हजार रुपए से कम नहीं है किन्तु पन्द्रह हजार रुपए से कम है, वहां तीन चौथाई;

(iii) जहां अवक्रय-कीमत पंद्रह हजार रुपए से कम नहीं है वहां तीन चौथाई या उससे अधिक ऐसा अनुपात जो नब्बे-दशांश से अधिक न हो, और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

* * *

भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।

21. जहां स्वामी धारा 17 के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अपने द्वारा अवक्रय-करार समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् माल की वापसी के लिए अवक्रेता के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करता है या आवेदन करता है और वाद या आवेदन की सुनवाई के अवसर पर अवक्रेता भाड़े की बकाया का संदाय या निविदान, उस पर ऐसे ब्याज सहित, जो करार के निबंधनों के अधीन संदेय हो, और वाद या आवेदन के ऐसे खर्च सहित, जिसे स्वामी ने उपगत किया हो, स्वामी को कर देता है और ऐसी अन्य शर्तों का, यदि कोई हो, जो न्यायालय अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन कर देता है वहां न्यायालय विनिर्दिष्ट परिदान के लिए डिक्री या आदेश करने के स्थान पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो अवक्रेता को करार की समाप्ति से मुक्त दे; और तब माल पर अवक्रेता का कब्जा ऐसे बना रहेगा मानो करार समाप्त नहीं हुआ था।

* * * *

प्रतिलिपियां और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यता।

23. (1) स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह अवक्रय-करार की अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सही प्रतिलिपि कोई खर्चा लिए बिना—

(क) अवक्रेता को करार के निष्पादन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र दे; तथा

* * * *

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अधिरोपित उचित कर्तव्यों का निवर्हन करने में उचित कारण के बिना कोई असफलता हुई है वहां जब तक व्यतिक्रम चालू रहेगा तब तक—

(क) स्वामी करार को अवक्रेता के विरुद्ध प्रवर्तित कराने या करार से संबंधित किसी प्रत्याभूति की संविदा को प्रवर्तित कराने या अवक्रेता से माल वापस लेने के अधिकार प्रवर्तित कराने का हकदार नहीं होगा; तथा

(ख) करार के अधीन संदेय धन की बाबत अवक्रेता द्वारा दी गई या किसी यथापूर्वोक्त प्रत्याभूति की संविदा के अधीन संदेय धन की बाबत प्रतिभू द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति उसके किसी भी धारक द्वारा अवक्रेता या प्रतिभू के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगी;

और यदि व्यतिक्रम दो मास की अवधि पर्यन्त चालू रहेगा तो स्वामी जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * *

अवक्रेता का दिवाला आदि।

25. (1) * *

(2) शासकीय रिसीवर या समापक, यथास्थिति दिवाला न्यायालय की या उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिसमें परिसमापन कार्यवाही चल रही हो, अवक्रेता के उन अधिकारों का, जो उस करार के अधीन थे, समनुदेशन किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकता है और समनुदेशिती को वे सब अधिकार होंगे जो करार के अधीन अवक्रेता के थे और वह उन सभी बाध्यताओं के अधीन होगा जिनके अधीन अवक्रेता था।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "शासकीय रिसीवर" से प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन नियुक्त शासकीय रिसीवर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत दिवाले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई वैसा ही पद धारण करने वाला व्यक्ति भी है। 1920 का 5

* * * *

फा०सं०6(3)(739)/96-एल०सी०(एल०एस)

विधि आयोग
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली—110001
मई 18, 1998

आर०एल० भीना
सदस्य-सचिव और
सचिव, भारत सरकार

सेवा में

राष्ट्रीय आवास बैंक,
हिन्दुस्तान टाइम्स, छटा तथा नवां तल
18, के०जी० मार्ग, नई दिल्ली।

विषयः— अवक्रय विधि पर प्रश्नावली

महोदय/महोदया,

विगत दशाब्दियों में, भारत में अवक्रय संव्यवहारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसी कारण से विधि आयोग ने इस विषय को अध्ययन के लिए चुना है। आयोग ने इस विषय का गहन अध्ययन किया और "अवक्रय विधि" पर मई, 1961 में अपनी 20वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय संसद ने विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अवक्रय अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया। संसदीय संयुक्त समिति के चैयरमैन तथा वित्तपोषण के कारोबार में लगी विविध कम्पनियों द्वारा अधिनियम में कतिपय विसंगतियां बताए जाने के कारण अधिनियम को लागू नहीं किया गया जैसाकि संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है। याचिका समिति, राज्य सभा की दिनांक 24 अप्रैल, 1987 की रिपोर्ट में अधिनियम को शीघ्र क्रियान्वित करने की सिफारिश की गई। इसी बीच, विधि और न्याय मंत्रालय ने अवक्रय अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत संशोधन विधेयक तैयार किया जो 5 मई, 1989 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 7 अगस्त, 1995 की अपनी 21वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सरकार, समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अवक्रय विषय को गहन अध्ययन के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट करने पर विचार करे। तदनुसार, भारत सरकार ने अवक्रय विषय का गहन अध्ययन करने के लिए इसे विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया।

2. विधि आयोग ने उक्त विषय पर एक प्रश्नावली तैयार की है और आयोग इस विषय में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों/निकायों के विचार जानने का इच्छुक है। आपको संदर्भ की सुविधा के लिए प्रश्नावली के साथ अवक्रय अधिनियम, 1972 तथा अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

3. आयोग अनुरोध करता है कि आप प्रश्नावली पर अपने विचार शीघ्र भेजें ताकि ये आयोग को हर स्थिति में 15 जून, 1998 से पूर्व प्राप्त हो जाएं। आयोग आभारी होगा, यदि आप प्रश्नावली की प्रतियां तैयार करके इस अनुरोध के साथ संबंधित पक्षों को भेजेंगे कि वे अपने विचार सीधे विधि आयोग को भेज दें।

भवदीय,
(आर० एल० भीना)

संलग्न

अवक्रय विधि पर प्रश्नावली

क्योंकि विधि समाज में क्रियाशील रहती है, इसीलिए विधियों के प्ररूपण संचालन और क्रियान्वयन में सामाजिक आचार और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रूढ़िजन्य विधियां, संहिताएं तथा विधान बहुधा किसी समाज विशेष के प्रचलित मानकों का समेकन करते हैं। तथापि, ऐसे मामले भी असाधारण नहीं है जहां विधानों में विधि के नए नियमों का प्रावधान है जो समाज में प्रचलित मानकों से भिन्न अधिकारों और दायित्वों का सृजन करते हैं। वाणिज्यिक संव्यवहार ऐसे विधानों का ऐसा ही एक भाग है जिसमें पक्षकारों के लिए नए अधिकारों और दायित्वों का सृजन होता है। इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब कोई समाज, जो मूलतः कृषि प्रधान समाज है, औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है तब वाणिज्यिक अथवा कारोबार संबंधी विधि की आवश्यकता पड़ती है।(1)

इस संदर्भ में तथा भारत में तीव्र गति से हुए औद्योगिक विकास तथा इस आशय के सामान्य दावे के उपरान्त भी कि भारत की विश्व के औद्योगीकृत देशों के शीर्ष के दस देशों में गणना की जाती है, यह अभी भी मूलतः कृषि प्रधान देश है और उसकी अधिकांश जनसंख्या अभी भी गांवों में निवास करती है जो औद्योगीकरण के प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर है। भारत में औद्योगीकरण और वाणिज्यिक कार्य ब्रिटिश शासकों द्वारा सुदृढ़ किए गए जिनकी परिकल्पना और विकास हमारे औपनिवेशिक स्वामियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किया गया।

योरोप में औद्योगीकरण बहुत पहले आरम्भ हुआ था और इसके आरम्भ से आज तक शताब्दियां बीत चुकी है। योरोप में औद्योगीकरण की दौड़ में इंग्लैण्ड की स्थिति नेतृत्व की रही है। एशिया, अफ्रीका और अमरीका के कुछ भागों का योरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशन उनके उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई और बाद में अपने उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने के उद्देश्य से आरम्भ हुआ। तथापि, उपनिवेशी बाजार देशों को अपनी निर्धनता पिछड़ेपन और अज्ञान के कारण मूलतः आकर्षक नहीं थे। इसलिए उपनिवेशी स्वामियों को अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रणाली संभवतया अवक्रय और उधार विक्रय प्रणाली थी।

इंग्लैण्ड में वस्तुओं का उधार पर विक्रय करने का व्यवहार वस्तुओं के मूल्य का भुगतान किस्तों में करने का, बहुत पुराना है परन्तु वाणिज्यिक संस्थान के रूप में अवक्रय का अस्तित्व उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया प्रतीत होता है। उसी समय, औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरमध्य तथा ब्रिटिश वैगन कम्पनियों ने कोलियरियों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे वैगनों की खरीद का वित्तपोषण करना आरम्भ कर दिया और दी गयीं अग्रिम राशियों की प्रतिभूति अवक्रय संव्यवहार द्वारा दी गई। बाद में, मोटरकार आ जाने से अवक्रय के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ और अब उपभोक्ताओं को अधिकांश टिकाऊ वस्तुओं के लिए अवक्रय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

"अवक्रय" शब्द का प्रयोग सामान्य चर्चा में सभी प्रकार के किस्तों में किए गए व्यापार के लिए किया जाता है। किस्त संविदा के दो प्रकार सामान्य प्रयोग में आते हैं—अवक्रय करार और उधार विक्रय करार (कभी इसे आस्थगित संदाय विक्रय करार भी कहा जाता था)। अवक्रय करार का अर्थ यह माना जाता है कि वस्तुओं का विक्रेता वस्तुओं को भाड़े पर देगा और उपभोक्ता उन्हें निश्चित अवधि के लिए किराये पर लेगा और सहमत भाड़े का संदाय समस्त किराये की अवधि तक किस्तों में करेगा, और यह कि उपभोक्ता द्वारा समस्त किस्तों की राशि का संदाय कर दिए जाने पर वह वस्तुओं का स्वामी बन जाएगा। यह भी प्रथा है कि उपभोक्ता को किराया अवधि के दौरान किसी समय सही स्थिति में वस्तुओं को वापस करने तथा किराया देना बन्द करने का भी अधिकार होगा बशर्ते कि उसने कुल किराया राशि के सहमत भाग का और समय पर न चुकाई गयी किन्हीं किस्तों का भी संदाय कर दिया हो। इसलिए, इस प्रकार का संव्यवहार किराये की संविदा है जिसमें क्रय का

(1) एन्जी० गैस्ट, दी लॉ ऑफ हायर पर्चेज (लन्दन, 1966) पृष्ठ।

विकल्प है और जब तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक विक्रेता वस्तु का स्वामी रहता है। दूसरी ओर, उधार विक्रय करार विक्रय की एक संविदा है जिसमें यह व्यवस्था है कि वस्तु का स्वामी विक्रय करेगा और क्रेता वस्तु का क्रय करेगा और वस्तु के सहमत मूल्य का किस्तों में संदाय करेगा। वस्तुओं का स्वामित्व करार पर हस्ताक्षर हो जाने के तुरन्त पश्चात् अन्तरित हो जाता है और क्रेता क्रय मूल्य की बहुत सी किस्तों का देनदार हो जाता है।

भारत में औद्योगीकरण और वाणिज्यिक कार्य ब्रिटिश शासकों द्वारा आरंभ किए गए जिनकी परिकल्पना और विकास हमारे औपनिवेशिक स्वामियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए की गयी। इंग्लैण्ड में अवक्रय संव्यवहार के विकास को बाद में ग्रेट ब्रिटेन के विभिन्न उपनिवेशों में उनके आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास के अनुरूप, आरम्भ किया गया। भारत भी इसका अपवाद नहीं था। भारत में अवक्रय संव्यवहारों संबंधी विवाद न्यायालयों में संभवतया 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही में पहुंचे थे। इनमें संभवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला ए॰ सेसिल कोले बनाम नानालाल मोराजी दवे तथा अन्य है जिसमें न्यायमूर्ति मार्टिन ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:—

> "अवक्रय करार" नामक अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है जिसका उद्भव भारत में हुआ है। यह स्पष्टरूप से एक ऐसे करार का स्वरूप है जिसका उद्भव इंग्लैण्ड में हुआ और उन लोगों ने किया जो विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार में लगे थे। इस देश में अवक्रय करार पर कोई प्राधिकार नहीं है अथवा है तो बहुत कम...."

वी॰ दक्षिणमूर्ति मुदालियर बनाम जनरल एण्ड क्रेडिट कारपोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड मामले में मद्रास न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी[14] की:—

> "सारांश यह है कि भाडा तथा अवक्रय विधि का उद्गम संविदा विधि से हुआ है जिसका यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्भव आधुनिक है और इसकी परिकल्पना उधार-क्रय की आवश्यकता को पूरा करने और साथ ही विक्रेता को विक्रय संबंधी विधि के जाल में फंसने से रक्षा करने के लिए की गई है। वास्तव में अवक्रय उपनिधान है जिसमें क्रय का विकल्प है परन्तु कभी कभी इसका प्रयोग इस परन्तुक के साथ कि हक किस्तों का संदाय पूरा होने तक संक्रान्त नही किया जाएगा, किस्तों में क्रय करने के अपरिवर्तनीय करार जैसे करारों को सम्मिलित करने लिए विस्तृत अर्थ में भी किया जाता है। इस प्रकार एक अवक्रय करार उपनिधान की व्यवस्था करता है परन्तु यह क्रय करने के विकल्प के साथ एक उपनिधान है। इस संव्यवहार में भाड़ा तथा विक्रय विधि दोनों के तत्वों का मिश्रण है और इसे चल सम्पत्ति को बन्धक के अर्थ में समझना सपष्टतया गलत होगा"

विगत कुछ दशाब्दियों में भारत में अवक्रय संव्यवहारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अवक्रय संव्यवहारों की वृद्धि और ऐसे संव्यवहारों की जटिलताओं के कारण ही आयोग ने इस विषय को अध्ययन के लिए चुना है। आयोग ने विषय का गहन अध्ययन किया और "अवक्रय विधि" पर मई 1961 में अपनी 20वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने इस रिपोर्ट के साथ अवक्रय विषय पर एक विधेयक भी संलग्न किया। भारत की संसद ने विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया।

भारत सरकार ने सा॰का॰नि॰228(ड) दिनांक 13-4-1973 द्वारा यह अधिसूचित किया कि अधिनियम 1-6-1973 से प्रभावी होगा। अवक्रय कारोबार में लगी अथवा अवक्रय संव्यवहारों का वित्तपोषण कर रही बहुत सी कम्पनियों ने अधिनियम में कतिपय दोष बताते हुए सरकार को अभ्यावेदन दिया और अवक्रय अधिनियम को लागू करने के निर्णय को स्थगित करने का अनुरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अधिसूचना सा॰का॰नि॰सं॰ 288(ड) दिनांक 31-6-1973 जारी की जिसमें पिछली अधिसूचना रद्द कर दी गई और अधिनियम को प्रभावी बनाने की तिथि 1-9-1973 नियत की गई। इसी बीच, श्री आर॰ टी॰ पार्थसार्थी, संसद सदस्य ने, जो संयुक्त समिति के चेयरमैन थे जिसने अवक्रय विधेयक की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, दिनांक 10-8-1973 को विधि और न्याय मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें अधिनियम में कतिपय विसंगतियां दर्शायी गयीं। इसके परिणामस्वरूप 30-8-1973 सा॰का॰नि॰सं॰ 402 (ड) जारी की गई जिसके द्वारा 1-9-1973 से जैसाकि अधिसूचना जारी की गई थी अधिनियम के लागू होने को रोक दिया गया। मामला वहीं स्थिर हो गया।

अवक्रय अधिनियम, 1972 को लागू करने के प्रश्न से संबंधित याचिका समिति ने, राज्य सभा की 24 अप्रैल, 1987 की रिपोर्ट में अधिनियम को लागू न किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न दुखद स्थिति को नोट किया है और **सिफारिश की है कि अवक्रय अधिनियम, 1972 को अधिसूचित करने और इसे क्रियान्वित करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाएं।**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने, सम्यक् अनुक्रम में अवक्रय अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत संशोधन विधेयक तैयार किया जो 5 मई, 1989 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। संदर्भ की सुविधा के लिए विधेयक की एक प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित नियमों के अनुसरण में राज्य सभा के चेयरमैन ने विधेयक की जांच करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए उसे गृह कार्य समिति को निर्दिष्ट कर दिया। समिति ने विधेयक पर विचार किया और विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने। समिति ने अपनी 7 दिसम्बर, 1995 की 21वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सरकार अवक्रय सम्बन्धी विषय को विधि आयोग द्वारा अध्ययन किए जाने के लिए निर्दिष्ट करने पर विचार करे, और तत्पश्चात इस विषय पर एक व्यापक विधान यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत करे। तद्नुसार, सरकार ने अवक्रय विषय को गहन अध्ययन के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया।

विधि आयोग ने अधिनियम तथा संशोधन विधेयक की पूरी तरह से जांच की है। आयोग का मत है कि अवक्रय अधिनियम, विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई 20वीं रिपोर्ट के आधार पर 1972 में अधिनियमित किया गया था और यह रिपोर्ट देश के महान् न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति श्री टी॰ एल॰ वेंकटराम अय्यर की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की थी। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् तैयार की गई थी। अधिनियम की आधारभूत संरचना सुदृढ़ है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में किसी ने भी पूर्ण परिवर्तन के लिए आग्रह नहीं किया है। यह सरल है और संबंधित व्यक्तियों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। (विधि आयोग द्वारा अब जिन परिवर्तनों और परिवर्धनों का प्रस्ताव किया गया है उनसे यह और भी सरल हो जाएगा—जो निम्नलिखित से स्पष्ट होगा) केवल व्यापारिक समुदाय ने दो आपत्तियां उठाई हैं। व्यापारिक समुदाय ने अधिनियम के बारे में जो दो आपत्तियां उठाई हैं संशोधन विधेयक उनका समाधान करेगा। धारा 7 की उपधारा (2) का सूत्र पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। धारा में कतिपय अनावश्यक परिभाषाओं का लोप कर दिया गया है और कतिपय परिभाषाओं में संशोधन किया गया है। तथापि, अवक्रय अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंधों को सरल तथा स्पष्ट बनाने की दृष्टि से अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तनों / संशोधनों का सुझाव दिया जाता है (संशोधन विधेयक, 1989 के प्रस्तावित संशोधनों के रूप में)।

I. धारा 2 में, "प्रत्याभूति की संविदा", "भाड़ा" और "अवक्रय करार" की परिभाषाओं में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, खण्ड (घ) में "अवक्रय कीमत" की परिभाषा को सरल बनाने की आवश्यकता है। संशोधन विधेयक, 1989 द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्तमान परिभाषा का पाठ निम्नलिखित है:—

> "(घ) "अवक्रय कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस मास में निहित सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय करार के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरंभिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय में अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य किसी तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि भी नहीं है जो—
>
> (i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए करार के निबन्धनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है; अथवा

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अथवा फीस के रूप में संदेय है; अथवा

(iii) बीमे के प्रीमियम के रूप में संदेय है; और

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है।"

उपर्युक्त परिभाषा को निम्नलिखित रूप में सरल और स्पष्ट बनाया जा सकता है:—

"(घ) "अवक्रय कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस माल में निहित सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय करार के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है (चाहे अवक्रेता द्वारा संदत्त की गई हो अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे नकद या अन्य किसी रूप में) और इसमें अवक्रय प्रभारों की राशि भी सम्मिलित है परन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है—

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए करार के निबन्धनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है; अथवा

(ii) माल के बारे में करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अथवा फीस के रूप में संदेय है; अथवा

(iii) बीमे के प्रीमियम के रूप में संदेय है; और

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है।"

[रेखांकित भाग इस संदेह को दूर करने की दृष्टि से जोड़ा गया है कि क्या "अवक्रय कीमत" में "अवक्रय प्रभारों" की राशि भी सम्मिलित है, अथवा नहीं]

II. धारा 4(1) में वर्तमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए:—

(ख) माल की नकद कीमत धारा 7(1) के खण्ड (ङ) में परिभाषित रूप में—

धारा 4(1) में प्रस्तावित खण्ड (च) (1989 के संशोधन विधेयक द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव) को खण्ड (छ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और नया खण्ड (च) निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा:—

"(च) माल के स्वामी का नाम और पता। माल के अवक्रेता का नाम और पता, प्रतिभूतियों के नाम और पते, यदि कोई हों, और उस स्थान का नाम जहां अवक्रय करार निष्पादित किया जाएगा।"

धारा 4 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी:—

"(1क) अवक्रय करार दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और ऐसे करार की एक प्रति करार के निष्पादित होने के तुरन्त पश्चात् अवक्रेता को दी जाएगी।"

III. इस अधिनियम में धारा 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। 1989 के (संशोधन) विधेयक द्वारा इसमें विस्तृत संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। धारा 7(1) में (क) से (छ) तक छः परिभाषाएं अन्तर्विष्ट हैं। संशोधन विधेयक में खण्ड (क) "नकद कीमत किस्त" और (ख) में "शुद्ध अवक्रय प्रभारों" का लोप करने तथा इन्हें निकालने का प्रस्ताव ठीक ही है। संशोधन विधेयक में खण्ड (ख) को—जो निक्षेप अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है खण्ड (क) के रूप में अक्षरांकित करने का प्रस्ताव है और खण्ड (ख) को निम्नलिखित रूप में अधिनियमित करने का प्रस्ताव है:—

"(ख) किसी माल के अवक्रय करार के संबंध में "अवक्रय प्रभारों" से ऐसे माल की "शुद्ध अवक्रय कीमत" और "शुद्ध नकद कीमत" के बीच का अन्तर अभिप्रेत है।"

संशोधन विधेयक में आगामी खण्ड (ग) में—जिसमें "शुद्ध नकद कीमत" परिभाषित की गई है—अन्तिम शब्दों "खण्ड (ख) में परिभाषित रूप में" के स्थान पर "खण्ड (क) में परिभाषित रूप में" प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह एक पारिणामिक और औपचारिक परिवर्तन है।

इसी प्रकार खण्ड (घ) में—जिसमें "शुद्ध अवक्रय कीमत" परिभाषित की गई है—"घटाकर" शब्द से आगे सम्पूर्ण भाग को निकालने का प्रस्ताव है और उसके स्थान पर "खण्ड (क) में परिभाषित किसी निक्षेप राशि को घटाकर" शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। खण्ड (च) को (ङ) के रूप में अक्षरांकित किया गया है और इसे निम्नलिखित रूप में पूर्णतया प्रतिस्थापित किया गया है:—

"(ङ) किसी अवक्रय करार के संबंध में "कानूनी अवक्रय प्रभारों" से उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार संगणित राशि अभिप्रेत है।"

यह सुझाव दिया गया है कि धारा 7(1) में परिभाषाओं को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित किया जाए:—

(1) (क) "माल की नकद कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है जिस पर कोई भावी क्रेता, अवक्रय करार की तिथि को, नकद राशि पर माल का क्रय करे"

(2) खण्ड (क) में "निक्षेप" की परिभाषा यथावत् रहेगी परन्तु इसे खण्ड (ख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा।

(3) प्रस्तावित खण्ड (ख) में अवक्रय प्रभारों की परिभाषा को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित किया जाएगा:—

"(क) अवक्रय प्रभारों से माल का शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है।"

(4) खण्ड (ग) का जिसमें "शुद्ध नकद कीमत" परिभाषित की गई है—लोप किया जाएगा और खण्ड (घ) के रूप में निम्नलिखित परिभाषा अन्तःस्थापित की जाएगी:—

"(घ) "माल की शुद्ध कीमत" से निक्षेप राशि को घटाकर माल की नकद कीमत अभिप्रेत है।"

(5) प्रस्तावित खण्ड (घ) के स्थान पर—जिसमें "शुद्ध अवक्रय कीमत" परिभाषित की गई है—निम्नलिखित परिभाषा पुरःस्थापित की जानी चाहिए:—

"(ङ) "शुद्ध अवक्रय कीमत" से निक्षेप राशि को घटाकर अवक्रय कीमत अभिप्रेत है।"

(6) खण्ड (घ) के पश्चात् नया खण्ड (च) निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित किया जाए:—

"(च) "अवक्रय प्रभारों" से शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है।"

(7) प्रस्तावित खण्ड (ङ)—जिसमें कानूनी अवक्रय प्रभार परिभाषित किए गए हैं—खण्ड (छ) के रूप में अक्षरांकित किया जाना चाहिए:—

"(छ) "कानूनी अवक्रय प्रभारों" से उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र के अनुसार विनिश्चित राशि अभिप्रेत है।"

(8) उपधारा (2) यथावत रहेगी परन्तु खण्ड 2 के अन्त में निम्नलिखित दृष्टांत जोड़ा जाना चाहिए:—

उपधारा (1) और (2) के लिए दृष्टांत: "क" एक अवक्रेता है जो "ख" स्वामी से अवक्रय आधार पर एक कार खरीदता है। कार की नकद कीमत 65,000/- रु० है। "क" अवक्रम करार की तारीख को 15,000/- रु० निक्षेप की राशि का संदाय करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कार की शुद्ध नकद कीमत 50,000/- रु० है। इस धारा के अनुसार ब्याज की अनुमत्य दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। पक्षकारों के बीच करार की अवधि पांच वर्ष है और शुद्ध अवक्रय कीमत का संदाय 60 समान मासिक किस्तों में किया जाना है। तदनुसार, उक्त सूत्र को लागू करते हुए इस मामले में कानूनी अवक्रय प्रभार की राशि निम्नलिखित रूप में 45,000/- रु० बन जाएगी।

$$\frac{50,000 \times 18 \times 5}{100} = 45,000/-$$

अवक्रय प्रभार कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक नहीं हो सकते। इस प्रकार इस दृष्टांत में अवक्रय कीमत 1,10,000/- रु० अर्थात 65,000/- रु० + 45,000/- रु० शुद्ध अवक्रय प्रभार, 95,000/- रु० अर्थात् 1,10,000/- रु० - 15,000/- रु० (निक्षेप राशि) इस 95,000/- रु० की राशि का संदाय 60 मासिक किस्तों में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 45,000/- रु० की यह राशि क्योंकि कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि है, इसकी संगणना पक्षकारों द्वारा अवक्रय करार करने की तारीख को कर ली जानी चाहिए और करार में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

धारा 7 के पश्चात् नई धारा 7क निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी:—

"धारा 7-क: अवक्रय प्रभार कानूनी प्रभारों से अनधिक होंगे: अवक्रय करार में कोई अनुबंध, जिसके अधीन अवक्रेता धारा 7 की उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक राशि अवक्रय प्रभार के रूप में देने के लिए बाध्यकर है वहां वह करार शून्य हो जाएगा और प्रवर्तनीय नहीं होगा। स्वामी, जो अवक्रय प्रभार के रूप में कानूनी अवक्रय प्रभार से अधिक राशि वसूल कर लेता है, ऐसी वसूली के तुरन्त पश्चात् या जब कभी अवक्रेता द्वारा मांगी जाए, अधिक वसूल की गई राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करेगा। यदि स्वामी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो अवक्रेता इस राशि की वसूली के लिये न्यायालय में जाएगा।"

इस नई धारा को ध्यान में रखते हुए, धारा 7 की उपधारा (4), (5) और (6) का लोप किया जाएगा।

(v) अधिनियम की धारा 9 में, जो अध्याय चार की पहली धारा है जिसमें अवक्रेता के अधिकार और बाध्यताएं दी गई है, 1989 के (संशोधन) विधेयक द्वारा विस्तृत संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन विधेयक में उपधारा (1) में कतिपय शब्द जोड़ने का तथा उपधारा (2) के पूरी तरह से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। उपधारा (3) में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि संशोधन विधेयक, 1989 में प्रस्तावित है, धारा 9 की उपधारा (1) और (2) का पाठ निम्नलिखित होगा:—

(1) अवक्रेता अवक्रय करार के विद्यमान् रहते किसी भी समय और

(1) अवक्रेता अवक्रय करार के विद्यमान रहते किसी भी समय और स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उस माल का क्रय, स्वामी को ऐसे आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों सहित जो करार के निबन्धनों के अधीन संदेय हो, उस अवक्रय कीमत या उसके अतिशेष का जो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से रिबेट को उसमें से काटकर हो, संदाय या निविदान करके, पूर्ण कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:—

$$\text{रि} = \frac{\text{प्र} \times \text{मा} \times (\text{मा}+1)}{\text{स} \times (\text{सं}+1)}$$

इस सूत्र में—

प्र— धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अवक्रय प्रभार है अथवा धारा 7 की उपधारा (ङ) में यथा परिभाषित कानूनी अवक्रय प्रभार, इनमें जो भी कम हो;

मा— पूर्ण मासों की वह संख्या है जो अभी भी करार की अवधि में शेष है;

सं— करार की अवधि में पूर्ण मासों की संख्या;"

यहां दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए उपधारा (2) में आए (प्र) तथा उसमें अन्तर्विष्ट सामग्री को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित करना उपयुक्त रहेगा:—

"प्र—धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित कानूनी अवक्रय प्रभार है अथवा अवक्रय करार में उपबंधित निम्नतर राशि, यदि कोई हो;

यह बहुत उपयुक्त होगा यदि उक्त उपधारा में अन्तर्विष्ट सूत्र के कार्यकरण को स्पष्ट करने के लिए उपधारा (2) के पश्चात् भी एक दृष्टांत जोड दिया जाए। इस प्रयोजन से हम धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के साथ जोड़े गए दृष्टांत को ही लेते हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 9 की उपधारा (2) का उद्देश्य किसी मामले में रिबेट की राशि विनिश्चित करना है। उक्त सूत्र के दृष्टांत के प्रयोजन से हम ऐसा मामला लेते हैं जहां संदाय की अवधि पांच वर्ष है परन्तु अवक्रेता तीन वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात् अवक्रय कीमत की अतिशेष राशि का स्वामी को संदाय करके माल का क्रय पूरा करना चाहता है। प्रश्न यह है कि ऐसे मामले में रिबेट की राशि क्या होगी। कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि (अवक्रय प्रभारों की राशि कह सकते हैं क्योंकि अवक्रय प्रभारों की राशि कभी भी कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि से अधिक नहीं होगी) उक्त दृष्टांत में 45,000/-रुपये हैं। यदि ऐसा है, तो सूत्र इस प्रकार से कार्य करेगा:

$$\frac{45{,}000 \times 24 \text{ माह} \times 25}{60 \times 61}$$

इस प्रकार उक्त सूत्र के अनुसार राशि 7377.05 रु०आती है जो रिबेट की राशि है और जिसे अवक्रेता पाने का हकदार है।

(vi) धारा 23 के अतिरिक्त, इस अधिनियम की अन्य धाराओं में जैसा कि संशोधन विधेयक, 1989 में संशोधनों का प्रस्ताव है, अन्य कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 में उपधारा (1क) जोड़ने के प्रस्ताव से (इस रिपोर्ट में) धारा 23 की उपधारा (1) का खण्ड (क) अनावश्यक हो जाता है इसलिए निकाल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार धारा 23 की उपधारा (1) का पाठ इस प्रकार होगा:—

"(1) जहां प्रत्याभूति की संविदा है वहां स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह, करार के अधीन संदाय किए जाने से पूर्व किसी भी समय मांगे जाने पर, प्रतिभू को अवक्रय करार की अपने द्वारा हस्ताक्षरित सही प्रति निःशुल्क दे।"

यहां तक कि, 1972 का अधिनियम विधि आयोग की 20 वीं रिपोर्ट के आधार पर अधिनियमित किया गया था और विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी संबंधित तथा विषय में रूचि रखने वाले व्यक्तियों, निकायों तथा संगठनों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया था, विधि आयोग के विचार में अधिनियम के संबंध में अब आगे और विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से भी आगे विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है कि व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गयीं आपत्तियों का संशोधन विधेयक द्वारा समाधान कर दिया गया है। तथापि, उपभोक्ता संगठन अधिनियम को शीघ्र क्रियान्वित करने पर जोर दे रहे हैं। यह प्रश्नावली, इस प्रकार 1989 के संशोधन विधेयक तथा विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों तक सीमित है।

विधि आयोग, 1989 के संशोधन विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन और विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर आपका सहयोग, बहुमूल्य विचार, मत, सुझाव और टिप्पणियां जानना चाहता है।

विषय की उपयुक्त जांच के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर आपके विचार इस विषय पर हमें अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

प्रश्नावली

1(क) अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 में अवक्रय अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खण्ड (घ) में "अवक्रय कीमत" की परिभाषा में से निम्नलिखित शब्दों को निकालने का—

"किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि संदेय नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है"

और, इसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है:—

"किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कोई राशि नहीं, जो—

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए, करार के निबंधनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है;

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्यथा फीस के रूप में संदेय है;

(iii) बीमे के प्रीमियम के रूप में संदेय है; और

(iv) करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है"

क्या प्रस्तावित संशोधन पर आप कोई सुझाव, आपत्ति या टिप्पणियां देना चाहते हैं?

1(ख) विधि आयोग ने स्पष्टता और सरलता की दृष्टि से "अवक्रय कीमत" नामक अभिव्यक्ति को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव किया है:—

"(घ) "अवक्रय कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस माल में निहित सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय करार के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरंभिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय में अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य किसी तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि भी नहीं है जो—

(i) अवक्रेता को किसी माल का परिदान करने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए करार के निबंधनों के अनुसार व्यय के रूप में संदेय है; अथवा

(ii) माल के बारे में और करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्यथा फीस के रूप में संदेय है; अथवा

(iii) बीमे के प्रीमियम के रूप में संदेय है; अथवा

(iv) करार के भाग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है,

(रेखांकित भाग इस संदेय को दूर करने की दृष्टि से जोड़ा गया है कि क्या "अवक्रय कीमत" में "अवक्रय प्रभारों" की राशि भी सम्मिलित है अथवा नहीं)

क्या आप प्रस्तावित परिवर्तन के विषय में कोई सुझाव, आपत्ति या टिप्पणी करना चाहते हैं?

2(क) विधि आयोग का प्रस्ताव है कि वर्तमान धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए:—

"(ख) माल की नकद कीमत धारा 7(1) के खण्ड (ङ) में परिभाषित रूप में"।

उक्त प्रस्ताव के विषय में आपके क्या सुझाव, आपत्तियां और टिप्पणियां हैं?

3(क) संशोधन विधेयक में धारा 4 की उपधारा (1) में खण्ड (च) निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है:—

"(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं"

विधि आयोग ने यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है कि खण्ड (च) को खण्ड (छ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाए और उसके स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (च) अन्तःस्थापित किया जाए:—

"(च) माल के स्वामी का नाम और पता, माल के अवक्रेता का नाम और पता, प्रतिभूतियों के नाम और पते, यदि कोई हों, तथा उस स्थान का नाम जहां करार निष्पादित किया जाएगा।"

क्या इस प्रस्ताव पर आप कोई सुझाव अथवा टिप्पणियां देना चाहेंगे?

3(ख) विधि आयोग ने यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है कि धारा 4 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित धारा (1क) अन्तःस्थापित की जाए:—

"(1क) अवक्रय करार दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और ऐसे करार की एक प्रति करार निष्पादित होने के तुरन्त पश्चात् अवक्रेता को दी जाएगी।"

क्या इस प्रस्ताव के बारे में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपत्ति करना चाहते हैं?

4. संशोधन विधेयक में अधिनियम की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जैसाकि संशोधन विधेयक की धारा 4(11) में प्रस्तावित है। क्या इस संबंध में आप कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं?

5. 1989 के संशोधन विधेयक में अधिनियम की धारा 7 में विस्तृत संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। जहां तक उपधारा (1) का संबंध है, संशोधन विधेयक में निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है:—

(i) खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा।

(ii) खण्ड (ख) को खण्ड (क) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ख) अन्तःस्थापित किया जाएगा:—

"(ख) किसी माल के अवक्रय करार के संबंध में 'अवक्रय प्रभारों" से ऐसे माल की शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है।"

(III) खण्ड (ग) में पारिणामिक परिवर्तन,

(I) खण्ड (घ) का लोप,

() अधिनियम के खण्ड (ङ) का खण्ड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित करना तथा "घटाकर" शब्द के पश्चात् समस्त सामग्री निकालने तथा उसके स्थान पर "खण्ड (क) में परिभाषित किसी निक्षेप राशि को घटाकर" शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(I) अधिनियम के विद्यमान् खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ङ) प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है

"(ङ) "किसी अवक्रय करार के संबंध में कानूनी अवक्रय प्रभारों से उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार संगणित राशि अभिप्रेत है" क्या उपर्युक्त परिवर्तनों के बारे में आप कोई सुझाव, आपत्ति या टिप्पणी करना चाहते हैं?

6. विधि आयोग ने यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है कि धारा 7 की उपधारा (1) में दी गयी परिभाषाओं के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषाएं प्रतिस्थापित की जानी चाहिएं:-

(क) "माल की नकद कीमत से वह कीमत अभिप्रेत है जिस पर कोई भावी क्रेता, अवक्रय करार की तिथि को, नकद राशि पर माल का क्रय कर सकेगा,"

(ख) "निक्षेप से वह राशि अभिप्रेत है जो अवक्रय करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य प्रारम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन किसी ऐसे निक्षेप या संदाय के मद्दे अवक्रेता के नाम से जमा की गई है या जमा की जाने वाली है चाहे वह राशि धन के संदाय अथवा माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या अन्य तरीके से चुकाई जानी है या चुका दी गई है"

(ग) "अवक्रय प्रभारों से माल की शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है"

(घ) "माल की शुद्ध नकद कीमत" से किसी निक्षेप की राशि को घटाकर माल की नकद कीमत अभिप्रेत है,"

(ङ) "शुद्ध अवक्रय कीमत से किसी निक्षेप राशि को घटाकर अवक्रय कीमत अभिप्रेत है,"

(च) "अवक्रय प्रभारों से माल की शुद्ध अवक्रय कीमत और शुद्ध नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है;

(छ) "कानूनी अवक्रय प्रभारों से उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र के अनुसार विनिश्चित राशि अभिप्रेत है,"

परिभाषाओं में सरलता और स्पष्टता लाने की दृष्टि से उपर्युक्त परिवर्तन करने की सिफारिश का प्रस्ताव किया गया है। क्या उपर्युक्त प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में आप कोई सुझाव, आपत्ति अथवा टिप्पणी करना चाहते हैं?

7(क) संशोधन विधेयक में उपधारा (2) को पूरी तरह प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। विधि आयोग का मत है कि यह सराहनीय संशोधन / प्रतिस्थापन है। क्या उक्त प्रतिस्थापन के बारे में आप कोई सुझाव देना या आपत्ति करना चाहते हैं?

7(ख) धारा की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र को स्पष्ट करने और सभी के लिए इसे सुबोध बनाने की दृष्टि से विधि आयोग ने उपधारा (2) के अन्त में निम्नलिखित दृष्टांत जोड़ने की सिफारिश की है:-

उपधारा (1) और (2) के लिए दृष्टांत: "क" एक अवक्रेता है जो "ख" स्वामी से अवक्रय पर एक कार खरीदता है। कार की **नकद कीमत** 65,000/-रू० है। "क" अवक्रय करार की तारीख को 15,000/-रू० निक्षेप की राशि का संदाय करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कार की **शुद्ध नकद कीमत** 50,000/-रू० है। इस धारा के अनुसार ब्याज की अनुमत्य दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। पक्षकारों के बीच करार की **अवधि** पांच वर्ष है और शुद्ध अवक्रय कीमत का संदाय 60 समान मासिक किस्तों में किया जाना है। तदनुसार, उचित सूत्र को लागू करते हुए इस मामले में **कानूनी अवक्रय प्रभार** की राशि निम्नलिखित रूप में 45,000/-रू० बन जाएगी।

$$\frac{50{,}000 \times 18 \times 5}{100} = 45{,}000/-$$

अवक्रय प्रभार की राशि कानूनी प्रभारों से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार इस दृष्टांत में अवक्रय कीमत 1,10,000/-रू० अर्थात 65,000/-रू० 45,000/-रू० शुद्ध अवक्रय 95,000/- अर्थात 1,10,000/-रू० 15,000/-रू० (निक्षेप राशि) इस 95,000/-रू० की राशि का संदाय 60 मासिक किस्तों में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 45,000/-रू० की यह राशि क्योंकि कानूनी अवक्रय प्रभारों की राशि है, इसकी संगणना पक्षकारों द्वारा अवक्रय करार करने की तारीख को कर ली जानी चाहिए और करार में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि उक्त दृष्टांत में विभिन्न अभिव्यक्तियों को जो धारा 7 की उपधारा (1) में परिभाषित की गई हैं। (विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार) रेखांकित किया गया है।

क्या उपधारा (1) और (2) में दृष्टांत के प्रस्तावित अन्तःस्थापन के बारे में आप कोई सुझाव, आपत्ति या टिप्पणी करना चाहेंगे? 7(ग) वैकल्पिक रूप में, क्या धारा 7 की उपधारा (2) का (प्रस्तावित दृष्टांत सहित) लोप करना और केवल यह व्यवस्था करना, क्योंकि विधेयक से उपबंधों में समान दर सूत्र लागू करने का परावधान है, वांछनीय है कि स्वामी शुद्ध नकद कीमत पर अवक्रय प्रभारों के रूप में 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर विनिर्दिष्ट है तो उस निम्नतर दर से, संगणित से अधिक राशि, जो वर्षों या वर्षों के भागों में उस समय के रूप में अभिव्यक्त है जो करार की तारीख में उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को अन्तिम अवक्रय किस्त करार के अधीन संदेय है, प्रभारित, वर्णित या वसूल नहीं करेगा। परन्तु यह कि ऐसी संगणित राशि का संदाय समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। तब खण्ड (छ) में "उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (2) के अनुसार" शब्द प्रतिस्थापित करके पारिणामिक संशोधन करना पड़ेगा।

8. धारा 7 की उपधारा (3) में संशोधन विधेयक में "यह दर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है।

क्या इस संबंध में आप कोई सुझाव देना या आपत्ति करना चाहते हैं?

9. विधि आयोग का प्रस्ताव है कि धारा 7 की उपधारा (1) के पश्चात् एक नई निम्नलिखित उपधारा (1क) अन्तःस्थापित की जाए:—

"अवक्रय करार में कोई अनुबंध, जिसके अधीन अवक्रेता धारा 7 की उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कानूनी अवक्रय प्रभारों से अधिक राशि अवक्रय प्रभार के रूप में देने के लिए बाध्यकर है वहां वह करार शून्य हो जाएगा और प्रवर्तनीय नहीं होगा। स्वामी, जो अवक्रय प्रभार के रूप में कानूनी अवक्रय प्रभार से अधिक राशि वसूल कर लेता है, ऐसी वसूली के तुरन्त पश्चात् या जब कभी अवक्रेता द्वारा मांगी जाए, अधिक वसूल की गई राशि की 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करेगा। यदि स्वामी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो अवक्रेता ब्याज सहित इस राशि की वसूली के लिए न्यायालय में जा सकेगा।"

विधि आयोग ने आगे यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है कि धारा 7 में उपधारा (1क) के अन्तःस्थापन से अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 का लोप किया जा सकता है।

क्या प्रस्तावित सिफारिशों के बारे में आप कोई सुझाव, आपत्तियां अथवा टिप्पणियां करना चाहते हैं?

10(क) संशोधन विधेयक में अधिनियम की धारा 9 को विद्यमान् उपधारा (2) तथा उसके साथ जुड़े स्पष्टीकरण को निकालने और इसके स्थान पर संशोधन विधेयक की धारा 9 के अन्तर्विष्ट रूप में नई उपधारा (2) प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। विधि आयोग उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन से सहमत है।

क्या प्रस्तावित संशोधन पर आप अपने कोई सुझाव, आपत्तियां या टिप्पणियां देना चाहते हैं?

10(ख) धारा 9 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट सूत्र को सुबोध बनाने की दृष्टि से विधि आयोग उपधारा (2) में निम्नलिखित दृष्टांत जोड़ने की सिफारिश का प्रस्ताव करता है:—

"दृष्टांत—इस दृष्टांत के प्रयोजन से हम उन्हीं तथ्यों को ले रहे हैं जो कि धारा 7 की उपधारा (1) और (2) जोड़े जाने वाले प्रस्तावित दृष्टांत के लिए लिये गए हैं। धारा 9 की उपधारा (2) का उद्देश्य किसी मामले में रिबेट की राशि को निश्चित करना है। उपर्युक्त दृष्टांत में, अवक्रेता अवक्रय कीमत की अतिशेष राशि का स्वामी को संदाय करके तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर वर्ष के अन्त में माल का क्रय पूरा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह रिबेट के रूप में निम्नलिखित राशि प्राप्त करने का हकदार होगा:—

$$\frac{45000 \times 24 \text{ माह} \times 25}{60 \times 61}$$

सूत्र को सरल करके रिबेट की राशि 7377.05 रुपये आती है और अवक्रेता रिबेट के रूप में यह राशि प्राप्त करने का हकदार है।

क्या प्रस्तावित सिफारिश के बारे में आप अपने कोई सुझाव या आपत्तियां प्रकट करना चाहेंगे?

11. धारा 10 और 12 के संबंध में संशोधन विधेयक में जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है वे औपचारिक मात्र हैं। इसी प्रकार धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के लिए प्रस्तावित संशोधन भी औपचारिक है। तथापि, संशोधन विधेयक में धारा 17 में उपधारा (5), विधेयक की धारा 9(ग) में उपबंधित रूप में, अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

क्या उपर्युक्त संशोधन के विषय में आप कोई सुझाव, आपत्ति या टिप्पणी करना चाहते हैं?

12. जहां संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 21 में प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है वहां धारा 23 में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यहां भी उपधारा (1) में प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्ताव भी औपचारिक है परन्तु धारा 23 में उपधारा (1क) के बारे में आपकी टिप्पणियां आवश्यक हैं। प्रस्तावित संशोधन, संशोधन विधेयक की धारा 14 में दिए गए हैं।

क्या इस बारे में आप कोई आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियां देना चाहते हैं?

13. विधि आयोग यह सिफारिश करने का प्रस्ताव करता है कि धारा 4 में उपधारा (1क) जोड़ने की अपनी सिफारिश को देखते हुए अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) को निकाल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार धारा 23 की उपधारा (1) का पाठ इस प्रकार होगा:—

> "(1) जहां प्रत्याभूति की संविदा है वहां स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने से पूर्व, किसी भी समय मांगे जाने पर प्रतिभू को करार की अपने द्वारा हस्तान्तरित सही प्रति निःशुल्क दे।"

क्या आप इस प्रस्तावित सिफारिश के बारे में कोई सुझाव या आपत्तियां करना चाहते हैं?

14. संशोधन विधेयक में केन्द्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 32 अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार अधिनियम में धारा 33 जोड़ने का भी प्रस्ताव किया गया है जो केन्द्रीय सरकार को कठिनाइयां दूर करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 32 और 33 संशोधन विधेयक की धारा 16 में दी गई है।

क्या आप इस संबंध में कोई सुझाव देना या आपत्ति करना चाहते हैं?

ह०

अवक्रय अधिनियम, 1970

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

अवक्रय-करारों का प्ररूप और विषय-वस्तु

3. अवक्रय-करारों का लिखित रूप में और उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना।

4. अवक्रय-करारों की विषय-वस्तु।

5. दो या अधिक करार कब एकल अवक्रय-करार समझे जाएंगे।

अध्याय 3

बारण्टियां और शर्तें, अवक्रय प्रभार की सीमा तथा सम्पत्ति का संक्रमण

6. वारण्टियों और शर्तों का अवक्रय-करारों में विवक्षित होना।

7. अवक्रय-प्रभारों पर निर्बन्धन।

8. संपत्ति का संक्रमण।

अध्याय 4

अवक्रेता के अधिकार और बाध्यताएं

धाराएं

9. किसी भी समय रिबेट पर क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार।

10. किसी भी समय करार समाप्त कर देने का अवक्रेता का अधिकार।

11. दो या अधिक करारों की बाबत संदाय विनियोजित करने का अवक्रेता का अधिकार।

12. अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के हित या अधिकार का समनुदेशन और पारेषण।

13. करार का अनुपालन करने की अवक्रेता की बाध्यताएं।

14. माल की देख-रेख करने के संबंध में अवक्रेता की बाध्यताएं।

15. माल के उपयोग की बाबत अवक्रेता की बाध्यता।

16. यह जानकारी देने की अवक्रेता की बाध्यता कि माल कहां पर है।

17. स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण कर लिए जाने की दशा में अवक्रेता के अधिकार।

अध्याय 5

स्वामी के अधिकार और बाध्यताएं

18. भाड़े के संदाय में व्यतिक्रम या अप्राधिकृत कार्य या अभिव्यक्त शर्तें भंग करने पर अवक्रय-करार समाप्त करने का स्वामी का अधिकार।
19. अवक्रय-करार की समाप्ति पर स्वामी के अधिकार।
20. न्यायालय से भिन्न माध्यम द्वारा माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार पर निर्बन्धन।
21. भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।
22. अप्राधिकृत कार्य के कारण या अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।
23. प्रतिलिपियां और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यता।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

24. धन के संदाय से भिन्न रूप में कीमत का चुकाया जाना।
25. अवक्रेता का दिवाला, आदि।
26. एक ही पक्षकारों के बीच आनुक्रमिक अवक्रय-करार।
27. माल का कब्जा वापस लेने के बाद या आवेदन में प्रतिकूल निरोध का साक्ष्य।
28. अवक्रेता द्वारा माल का अभ्यर्पण इंकार करने से कुछ दशाओं में माल का संपरिवर्तन न होना।
29. सूचना की तामील।
30. कुछ दशाओं में धारा 6, 9, 10, 12 और 17 के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति।
31. अधिनियम का विद्यमान करारों पर लागू न होना।

अवक्रय अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम संख्यांक 26)

[1 जुलाई, 1977 को यथाविद्यमान्]

[8 जून, 1972]

अवक्रय-करार के पक्षकारों के अधिकार और कर्त्तव्य परिनिश्चित तथा विनियमित करने के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अवक्रय अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी अवक्रय-करार के संबंध में "प्रत्याभूति की संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति (जिसे इस अधिनियम में प्रतिभू कहा गया है) अवक्रेता को अवक्रय-करार के अधीन सभी या किन्हीं बाध्यताओं का पालन किया जाना प्रत्याभूत करता है;

(ख) "भाड़ा" से अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा कालिक रूप से संदेय राशि अभिप्रेत है;

(ग) "अवक्रय-करार" से ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके अधीन माल भाड़े पर दिया जाता है और अवक्रेता को यह विकल्प रहता है कि वह उस करार के निबन्धनों के अनुसार उस माल को क्रय कर ले और इसके अन्तर्गत ऐसा करार भी है, जिसके अधीन—

(i) माल के स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति को माल का कब्जा इस शर्त पर दिया जाता है कि वह व्यक्ति करार की गई रकम का संदाय कालिक किस्तों में कर दे; तथा

(ii) ऐसी किस्तों में से अन्तिम किस्त के संदाय पर माल में सम्पत्ति उस व्यक्ति को संक्रान्त होनी है; तथा

(iii) उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह संपत्ति के ऐसे संक्रान्त होने से पूर्व किसी भी समय उस करार को समाप्त कर दे;

(घ) "अवक्रय-कीमत" से वह समस्त राशि अभिप्रेत है जो करार से संबंधित माल के क्रय को या उस माल में सम्पत्ति के अर्जन को पूरा करने के लिए अवक्रेता द्वारा किसी अवक्रय-करार के अधीन संदेय है, और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि भी है जो अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य आरम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन ऐसे निक्षेप या संदाय मद्धे अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है, चाहे उस राशि का संदाय स्वामी को या किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है या कर दिया गया है या धन के संदाय या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या किसी अन्य तरीके से वह राशि चुकाई जानी है या चुका दी गई है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं है जो करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानी के रूप में संदेय है;

(ङ) "अवक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अवक्रय-करार के अधीन किसी स्वामी से माल का कब्जा अभिप्राप्त करता है या जिसने ऐसा कब्जा अभिप्राप्त कर लिया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे उस करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार या दायित्व समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त हो गए हैं;

(च) "स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अवक्रय-करार के अधीन किसी अवक्रेता को भाड़े पर माल देता है या जिसने दिया है या जो माल के कब्जे का परिदान करता है या जिसने परिदान किया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसको स्वामी के माल में सम्पत्ति, या उस करार के अधीन स्वामी के अधिकारों या दायित्वों में से कोई अधिकार या दायित्व समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त हो गया है;

(छ) ऐसे प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 या माल विक्रय अधिनियम, 1930 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है। 1872 का 9 1930 का 3

अध्याय 2

अवक्रय-करारों का प्ररूप और विषय-वस्तु

अवक्रय-करारों का लिखित रूप में और उसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना।

3. (1) प्रत्येक अवक्रय-करार—

(क) लिखित होगा, तथा

(ख) उस पर उनके सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन अवक्रय-करार के बारे में नहीं किया गया है तो वह अवक्रय-करार शून्य होगा।

(3) जहां प्रत्याभूति की संविदा है, वहां प्रतिभू भी अवक्रय-करार पर हस्ताक्षर करेगा और यदि उसने अवक्रय-करार पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो अवक्रय-करार स्वामी के विकल्प पर शून्य किया जा सकेगा।

अवक्रय-करारों की विषय-वस्तु।

4. (1) प्रत्येक अवक्रय-करार में निम्नलिखित कथन होगा,—

(क) करार से संबंधित माल की अवक्रय-कीमत;

(ख) माल की नकद कीमत, अर्थात् वह कीमत जिसे अवक्रेता नकद देकर माल क्रय कर सकता है;

(ग) वह तारीख जिसको करार प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा;

(घ) कितनी किस्तों में अवक्रय-कीमत का संदाय किया जाना है; उन किस्तों में से प्रत्येक किस्त की रकम, और वह तारीख या ऐसी तारीख के अवधारण का ढंग, जब किस्त का संदाय किया जाना है तथा वह व्यक्ति जिसे और वह स्थान जहां किस्त का संदाय किया जाना है; तथा

(ङ) जिस माल के संबंध में करार है उसका वर्णन ऐसी रीति से किया जाएगा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो।

(2) जहां अवक्रय-कीमत के किसी भाग का संदाय नकद में या चेक से न करके अन्यथा किया जाता है या किया जाना है, वहां अवक्रय-करार में अवक्रय-कीमत के उस भाग का वर्णन होगा।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है, वहां अवक्रेता अवक्रय-करार का विखण्डन कराने के लिए वाद संस्थित कर सकता है, और यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के कारण विक्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो वह करार का विखण्डन ऐसे निबन्धनों पर कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत समझे या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।

दो या अधिक करार कब एकल अवक्रय-करार समझे जाएंगे।

5. जहां ऐसे दो या अधिक लिखित करारों के आधार पर, जिनमें से कोई भी अपने आप में अवक्रय-करार नहीं है, माल का उपनिधान है और उपनिहिती को माल क्रय करने का विकल्प प्राप्त है और ऐसे करारों के संबंध में धारा 3 और धारा 4 की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, वहां उन करारों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस समय किया गया एकल अवक्रय-करार समझा जाएगा जिस समय उन करारों में से अन्तिम करार किया गया था।

अध्याय 3

वारण्टियां और शर्तें, अवक्रय प्रभार की सीमा तथा सम्पत्ति का संक्रमण

वारण्टियों और शर्तों का अवक्रय-करारों में विवक्षित होना।

6. (1) किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अवक्रय-करार में यह विवक्षित वारण्टी होगी कि—

(क) माल अवक्रेता के निर्बाध कब्जे और उपभोग में रहेगा; तथा

(ख) जिस समय सम्पत्ति संक्रान्त होनी है उस समय माल किसी पर-व्यक्ति के पक्ष में किए गए किसी भार या विल्लंगम से मुक्त रहेगा।

(2) किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अवक्रय-करार में—

(क) स्वामी पर यह विवक्षित शर्त होगी कि जिस समय सम्पत्ति संक्रान्त होनी है उस समय उसे उस माल का विक्रय करने का अधिकार है;

(ख) यह विवक्षित शर्त होगी कि माल वाणिज्यिक क्वालिटी का होगा, किन्तु इस खण्ड के आधार पर निम्नलिखित के बारे में ऐसी कोई भी शर्त विवक्षित नहीं होगी,—

(i) ऐसी त्रुटियों के बारे में, जिनकी जानकारी स्वामी को करार किए जाने के समय उचित रूप से नहीं हो सकती थी; अथवा

(ii) ऐसी त्रुटियों के बारे में, जो करार में विनिर्दिष्ट हैं (चाहे वे करार में त्रुटियों के रूप में या तत्समान भाव के किसी अन्य अभिवर्णन द्वारा निर्दिष्ट की गई हों);

(iii) जहां अवक्रेता ने माल या उसके नमूने की परीक्षा कर ली है वहां उन त्रुटियों के बारे में, जो उस परीक्षा से प्रकट हो जानी चाहिए थीं; अथवा

(iv) यदि माल इस्तेमाल किया हुआ है और करार में इस भाव का कथन है।

(3) जहां अवक्रेता ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से—

(क) स्वामी को यह बता दिया है कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए माल अपेक्षित है, अथवा

(ख) किसी पूर्ववर्ती बातचीत के अनुक्रम में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके द्वारा बातचीत की गई है, वह प्रयोजन बता दिया है,

वहां यह विवक्षित शर्त होगी कि माल ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगा।

(4) जहां माल अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर उसके नमूने के प्रति निर्देश करके दिया जाता है वहां:—

(क) स्वामी पर यह विवक्षित शर्त होगी कि थोक माल नमूने की क्वालिटी के समान होगा; और

(ख) स्वामी पर यह विवक्षित शर्त होगी कि अवक्रेता को नमूने से थोक माल की तुलना करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(5) जहां माल अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर वर्णनानुसार दिया जाता है वहां यह विवक्षित शर्त होगी कि माल वर्णन के अनुरूप होगा, और यदि माल अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर उसके नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार दिया जाता है तो थोक माल का नमूने के अनुरूप होना ही पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप भी न हो।

(6) स्वामी किसी अवक्रय-करार के किसी ऐसे उपबन्ध पर, जिससे उपधारा (3) में उपवर्णित शर्त का अपवर्जन या उपान्तरण होता है, निर्भर करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि करार के लिए जाने के पूर्व वह उपबन्ध अवक्रेता को सूचित कर दिया गया था और उसका प्रभाव उसे स्पष्ट कर दिया गया था।

(7) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति या विधि के नियम के प्रर्वतन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिससे किसी अवक्रय-करार में कोई शर्त या वारण्टी विवक्षित मानी जानी है।

अवक्रय-प्रभारों पर निर्बन्धन।

7. (1) इस धारा में—

(क) अवक्रय-किस्त के संबंध में "नकद कीमत किस्त" से वह रकम अभिप्रेत है जिसका शुद्ध नकद कीमत से वही अनुपात है जो अवक्रय-किस्त की रकम का अवक्रय-कीमत की कुल रकम से है;

(ख) "निक्षेप" से वह राशि अभिप्रेत है जो अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता द्वारा निक्षेप या अन्य प्रारम्भिक संदाय के रूप में दी जानी है अथवा उस करार के अधीन किसी ऐसे निक्षेप या संदाय के मद्धे अवक्रेता के नाम में जमा की गई है या जमा की जाने वाली है, चाहे वह राशि धन के संदाय अथवा माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या किसी अन्य तरीके से चुकाई जानी है या चुका दी गई है;

(ग) अवक्रय-करार वाले माल के सम्बन्ध में "शुद्ध नकद कीमत" से धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवक्रय करार में विनिर्दिष्ट की जाने के लिए अपेक्षित माल की वह नकद कीमत अभिप्रेत है जो खण्ड (ख) में परिभाषित किसी निक्षेप को घटा कर आए;

(घ) किसी माल के लिए अवक्रय-करार के संबंध में "शुद्ध अवक्रय प्रभार" से, ऐसे माल के शुद्ध अवक्रय मूल्य और नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है;

(ङ) अवक्रय-करार वाले माल के संबंध में "शुद्ध अवक्रय कीमत" से धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अवक्रय-करार में विनिर्दिष्ट की जाने के लिए अपेक्षित माल की अवक्रय-कीमत की वह कुल रकम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को घटा कर आए—

(i) कोई ऐसी रकम, जो अवक्रेता को माल का या माल में से किसी माल का परिदान करने या अवक्रेता के आदेशानुसार परिदान करने के व्यय की पूर्ति के लिए संदेय है और जो करार में इस तरह विनिर्दिष्ट है कि वह अवक्रय-कीमत में सम्मिलित है;

(ii) कोई ऐसी रकम, जो माल या करार या दोनों से संबन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अन्य फीस की पूर्ति के लिए संदेय है और जो करार में इस तरह विनिर्दिष्ट है कि वह अवक्रय-कीमत में सम्मिलित है; तथा

(iii) कोई ऐसी रकम, जो माल के बारे में बीमा (पर-व्यक्ति बीमा से भिन्न) के लिए संदेय है और जो करार में इस तरह विनिर्दिष्ट है कि वह अवक्रय-कीमत में सम्मिलित है;

(च) अवक्रय-करार के सम्बन्ध में "कानूनी प्रभार" से उन रकमों का योग अभिप्रेत है जिनकी संगणना उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार कानूनी प्रभारों के रूप में करार के अधीन अवक्रय-कीमत की प्रत्येक किस्त से सम्बन्धित नकद कीमत की प्रत्येक किस्त के बारे में की गई है।

(2) नकद कीमत किस्त के सम्बन्ध में कानूनी प्रभार तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम होगी या यदि उपधारा (3) के अधीन निम्नतर दर विनिर्दिष्ट है तो उस निम्नतर दर पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी:—

$$\text{का} = \frac{\text{न}\times\text{द}\times\text{स}}{100}$$

इस सूत्र में का—कानूनी प्रभार है।

न—नकद कीमत किस्त की रकम है जो रुपयों या रुपए के भाग में अभिव्यक्त हो।

द—दर है।

स—समय है, जो वर्षों में और वर्षों के भागों में अभिव्यक्त वह समय है जो करार की तारीख से उस तारीख के बीच बीत जाता है जिस तारीख को नकद कीमत किस्त की तत्समान अवक्रय किस्त, करार के अधीन, संदेय है।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, प्रतिवर्ष प्रतिशत की वह दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिस पर कानूनी प्रभार उपधारा (2) के अधीन संगणित किए जा सकेंगे। यह दर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से कम न होगी और माल के विभिन्न वर्गों या उपवर्गों से सम्बन्धित अवक्रय करारों के बारे में विभिन्न दरें इसी प्रकार विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(4) जहां अवक्रय-करार से सम्बन्धित शुद्ध अवक्रय-प्रभार ऐसे करार के सम्बन्ध में उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में संगणित कानूनी प्रभाव से अधिक है वहां अवक्रेता स्वामी को लिखित सूचना द्वारा या तो करार को शून्य मानने का या अपने दायित्व में उतनी रकम की कमी कराने का चयन कर सकता है जितनी से कानूनी प्रभार शुद्ध अवक्रय-प्रभार से अधिक हो।

(5) जहां अवक्रेता उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में अवक्रय-करार को शून्य मानने का चयन करता है वहां करार शून्य हो जाएगा और करार के सम्बन्ध में अवक्रेता द्वारा या उसकी ओर से संदत्त या उपलब्ध कराई गई रकम को, चाहे वह नकद, चैक या अन्य प्रतिफल के रूप में हो, अवक्रेता स्वामी द्वारा उसे देय ऋण के रूप में वसूल कर सकता है।

(6) जहां अवक्रेता अपने दायित्व में उतनी रकम की कमी कराने का चयन करता है जितनी उपधारा (4) में निर्दिष्ट है वहां उसके दायित्व में उतनी रकम की कमी कर दी जाएगी और उस रकम का मुजरा अवक्रेता उस रकम में से कर सकता है जो करार के अधीन अन्यथा देय हो और जितनी रकम इस प्रकार मुजरा न की गई हो उतनी रकम को अवक्रेता स्वामी द्वारा उसे देय ऋण के रूप में वसूल कर सकता है।

8. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस माल में की सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में अवक्रय करार है, करार में उपबन्धित रीति से क्रय पूरा हो जाने पर ही अवक्रेता को संक्रान्त होगी। सम्पत्ति का संक्रमण।

अध्याय-4

अवक्रेता के अधिकार और बाध्यताएं

किसी भी समय रिबेट पर क्रय करने का अवक्रेता का अधिकार

9. (1) अवक्रेता अवक्रय करार के चालू रहने के दौरान किसी भी समय और स्वामी का ऐसे करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना के पश्चात् उस माल का क्रय, स्वामी की उस अवक्रय-कीमत या उसके अतिशेष को जो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से संगणित रिबेट को उसमें से काट कर हो, संदाय या निविदान करके पूरा कर सकता है। (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिबेट उस रकम की दो तिहाई के बराबर होगी जिसका अवक्रय प्रभारों से वही अनुपात है जो अवक्रय-कीमत के ऐसे अतिशेष का जो तब तक देय न हुआ हो, अवक्रय-कीमत से है।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा में "अवक्रय-प्रभारों" से अवक्रय-करार में वर्णित अवक्रय-कीमत और नकद कीमत के बीच का अन्तर अभिप्रेत है।

(3) अवक्रय-करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध प्रभावी होंगे किन्तु जहां करार के निबंधन अवक्रेता को इस धारा द्वारा अनुज्ञात रिबेट से अधिक रिबेट का हकदार बनाते हैं वहां अवक्रेता करार में उपबंधित रिबेट का हकदार होगा।

किसी भी समय करार समाप्त कर देने का अवक्रेता का अधिकार

10. (1) अवक्रेता अवक्रय-करार के अधीन अन्तिम संदाय देय होने के पूर्व किसी भी समय और किसी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने तथा स्वामी को माल को पुनः परिदान या निविदान करने के पश्चात, उन रकमों का संदाय या निविदान करके अवक्रय-करार समाप्त कर सकता है जो अवक्रय-कीमत मद्धे देय हो गई है और जिनका उसने संदाय नहीं किया है और यदि वह उपधारा (2) के अधीन किसी राशि का संदाय करने का दायी है तो वह राशि भी इसके (2) जहां अवक्रेता करार को उपधारा (1) के अधीन समाप्त कर देता है और करार में यह उपबंध है कि ऐसी समाप्ति के कारण उसमें उल्लिखित राशि का संदाय करने के लिए अवक्रेता का दायित्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा; अर्थात्—

(क) जहां सदत्त रकमों का और समाप्ति के ठीक पूर्व अवक्रय-कीमत की देय रकमों का कुल जोड़ अवक्रय-कीमत के आधे से अधिक है वहां अवक्रेता ऐसी उल्लिखित राशि का संदाय करने का दायी नहीं होगा;

(ख) जहां सदत्त रकमों का और समाप्ति के ठीक पूर्व अवक्रय-कीमत की बाबत देय रकमों का कुल जोड़ अवक्रय-कीमत के आधे से अधिक है वहां अवक्रेता उक्त कुल जोड़ और उक्त आधे के बीच के अन्तर का या करार में उल्लिखित रकम का इसमें से जो भी कम हो, संदाय करने का दायी होगा।

(3) उपधारा (2) की कोई बात कोई ऐसा भाड़ा देने के दायित्व से अवक्रेता नहीं करेगा जो समाप्ति के पूर्व देय हो गया हो।

(4) किसी करार का ऐसा कोई भी अनुबंध शून्य होगा जो अवक्रय-करार समाप्त करने के उस अधिकार को अपवर्जित या निर्बंधित करता है जो इस धारा द्वारा अवक्रेता को प्रदान किया गया है या जो अवक्रेता पर इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित दायित्व के अतिरिक्त कोई और दायित्व इसलिए अधिरोपित करता है जो उसने अवक्रय-करार को इस धारा के अधीन समाप्त कर दिया है।

(5) इस धारा की कोई भी बात किसी अवक्रेता के किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो अवक्रय-करार को इस धारा के आधार पर समाप्त करने से भिन्न रूप में समाप्त करने के लिए है।

दो या अधिक करारों की बाबत संदाय विनियोजित करने का अवक्रेता का अधिकार।

11. ऐसा अवक्रेता, जो दो या अधिक अवक्रय-करारों की बाबत एक ही स्वामी को संदाय करने का दायी है, किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, उन करारों की बाबत कोई ऐसा संदाय करने पर, जो सभी करारों के अधीन उस समय देय कुल रकम चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, अपने द्वारा इस प्रकार संदत्त राशि को उन करारों में से किसी एक के अधीन देय राशि की तुष्टि में या तुष्टि मद्धे अथवा उनमें से किन्हीं दो या अधिक के अधीन देय राशियों की तुष्टि में या तुष्टि मद्धे, ऐसे अनुपातों में, जो वह ठीक समझे, विनियोजित करने का हकदार होगा और यदि वह यथापूर्वोक्त कोई विनियोग करने में असफल रहता है तो इस प्रकार संदत्त राशि अवक्रय-करारों के अधीन क्रमशः देय राशियों की तुष्टि मद्धे इस धारा के आधार पर उसी क्रम से विनियोजित हो जाएगी जिस क्रम से करार किए गए थे।

अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के हित या अधिकार का समनुदेशन और परिषण।

12. (1) अवक्रेता अवक्रय-करार के अधीन अपने अधिकार, हक और हित को स्वामी की सहमति से या यदि उसकी सहमति अनुचित रूप से विधारित की जाती है तो उसकी सहमति के बिना समनुदिष्ट कर सकेगा।

(2) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई स्वामी उपधारा (1) के अधीन समनुदेशन के लिए अपनी सहमति के निमित्त किसी भी संदाय या प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करेगा और जहां कोई स्वामी अपनी सहमति के निमित्त किसी ऐसे संदाय या अन्य प्रतिफल की अपेक्षा करता है वहां सहमति अनुचित रूप से विधारित समझी जाएगी।

(3) जहां स्वामी अवक्रेता द्वारा इस निमित्त प्रार्थना की जाने पर उपधारा (1) के अधीन समनुदेशन के लिए अपनी सहमति देने में असफल रहता है या देने से इन्कार करता है, वहां अवक्रेता न्यायालय से यह घोषित करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकता है कि उस समनुदेशन के बारे में स्वामी की सहमति अनुचित रूप से विधारित की गई है, और जहां ऐसा आदेश किया जाता है वहां सहमति अनुचित रूप से विधारित की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में "न्यायालय" से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस अनुतोष के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता हो जिसके लिए आवेदन में दावा किया गया है।

(4) स्वामी ऐसी सहमति देने की शर्त के रूप में यह अनुबन्ध कर सकता है कि अवक्रय-करार के अधीन जितने व्यतिक्रम हुए हैं उन सब की प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी और वह अवक्रेता तथा समनुदेशिती से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे स्वामी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक ऐसा समनुदेशन-करार का निष्पादन और स्वामी को उसका परिदान करें, जिसके द्वारा समनुदेशिती, अवक्रेता के तत्संबंधी सतत वैयक्तिक दायित्व पर प्रभाव डाले बिना, स्वामी से यह करार करे कि वह भाड़े की उन किस्तों का, जिनका संदाय नहीं किया गया है, संदाय करने के लिए और उसकी शेष अवधि के दौरान अवक्रय-करार के अन्य सभी अनुबन्धों का अनुपालन और शर्तों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और जिसके द्वारा समनुदेशिती अवक्रेता को ऐसे दायित्वों के बारे में क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन देगा।

(5) अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता के अधिकार, हक और हित अवक्रेता के विधिक प्रतिनिधि को विधि की क्रिया द्वारा संक्रमणीय होंगे, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से विधिक प्रतिनिधि अवक्रय-करार के उपबन्धों का अनुपालन करने से अवमुक्त नहीं होगा।

...08 का 5

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में "विधिक प्रतिनिधि" पद का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड (11) में है।

(6) अवक्रय-करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध लागू होंगे।

...रण का अनुपालन करने ...ों अवक्रेता की ...मताएं।

13. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अवक्रेता—

(क) करार के अनुसार भाड़े का संदाय करने के लिए, और

(ख) करार के निबन्धनों का अन्यथा अनुपालन करने के लिए, आबद्ध होगा।

...ल की देख-रेख करने ...बंध में अवक्रेता की ...ता।

14. (1) अवक्रेता किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर,—

(क) अवक्रय-करार से सम्बन्धित माल की उतनी देख-रेख करने के लिए आबद्ध होगा जितनी देख-रेख मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में उसी परिमाण, क्वालिटी और मूल्य के अपने माल की करता है;

(ख) यदि उसने उसकी उतनी ही देख-रेख की है जितनी खण्ड (क) में वर्णित है तो वह माल की हानि, नाश या क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(2) अवक्रेता किसी ऐसे नुकसान के लिए, जो उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार माल की देख-रेख करने में असफलता के कारण हुआ हो, स्वामी को प्रतिकर देने का दायी होगा।

...ग की बाबत ...करने की बाध्यता।

15. यदि अवक्रेता अवक्रय-करार से सम्बन्धित माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जो करार की शर्तों के अनुसार नहीं है तो अवक्रेता ऐसे उपयोग से या उसके दौरान माल को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए स्वामी को प्रतिकर देने का दायी होगा।

यह जानकारी देने की अवक्रेता की बाध्यता कि माल कहां पर है।

16. (1) जहां किसी अवक्रय-करार के आधार पर अवक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह करार से सम्बन्धित माल को अपने कब्जे या नियंत्रण में रखे वहां अवक्रेता स्वामी से लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर, स्वामी को यह जानकारी देगा कि जानकारी देने के समय या यदि जानकारी डाक द्वारा भेजी जाती है तो डाक में डालने के समय माल कहां पर है।

(2) यदि अवक्रेता सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उक्त जानकारी देने में किसी उचित कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण कर लिए जाने की दशा में अवक्रेता के अधिकार।

17. (1) जहां स्वामी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल का अभिग्रहण धारा 18 के खण्ड (ग) के अधीन कर लेता है, वहां यदि अवक्रय-कीमत निम्नलिखित रकमों के योग से कम है, तो अवक्रेता उतनी रकम जितनी कि कम है, स्वामी से वसूल कर सकता है, अर्थात्:—

(i) अभिग्रहण की तारीख तक अवक्रय-कीमत की बाबत संदत्त रकमें;

(ii) अभिग्रहण की तारीख पर माल का मूल्य।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल के अभिग्रहण की तारीख पर मूल्य वह रकम है जो स्वामी द्वारा उस तारीख को उस माल के लिए उचित रूप से अभिप्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम कीमत में से निम्नलिखित रकमों के योग को घटा देने के पश्चात् बच रहे, अर्थात्:—

(i) माल का अभिग्रहण करने के लिए स्वामी द्वारा उपगत उचित व्यय;

(ii) कोई भी रकम जो माल के भंडारकरण, मरम्मत या अनुरक्षण पर स्वामी द्वारा उचित रूप से व्यय की गई हो;

(iii) (चाहे स्वामी ने उसके पश्चात् माल का विक्रय या उसे अन्यथा व्ययनित किया हो या नहीं) माल का विक्रय करने या उसे अन्यथा व्ययनित करने के सम्बन्ध में उचित व्यय; तथा

(iv) वह रकम, जिसे स्वामी ने करों की बकाया और ऐसी अन्य देय रकमों का संदाय करने के लिए व्यय किया है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन माल के सम्बन्ध में संदेय है और जिनका संदाय करने के लिए अवक्रेता दायी था।

(3) यदि स्वामी अवक्रेता को उस रकम या उसके किसी भाग का, जो इस धारा के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा देय है, संदाय उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, जिसको अवक्रेता ने उक्त रकम के संदाय के लिए सूचना की उस पर तामील की है, तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान की तारीख से उस रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का दायी होगा।

(4) जहां स्वामी ने अपने द्वारा अभिगृहीत माल का विक्रय कर दिया है, वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने माल के लिए जो कीमत अभिप्राप्त की थी वह अभिग्रहण की तारीख को उसके द्वारा उचित रूप से अभिप्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम कीमत थी।

अध्याय 5

स्वामी के अधिकार और बाध्यताएं

भाड़े के संदाय में [illegible] या अप्राधिकृत [illegible] अभिव्यक्त शर्त [illegible] पर अवक्रय-करा[illegible] करने का स्वामी [illegible] अधिकार।

18. (1) जब अवक्रेता अवक्रेता-करार में उपबन्धित भाड़े का संदाय करने में एक से अधिक व्यतिक्रम करता है तब स्वामी धारा 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और अवक्रेता को—

(i) उस दशा में, जिसमें भाड़ा प्रति सप्ताह या इससे कम के अन्तरालों पर संदेय है, एक सप्ताह की, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सप्ताह की;

लिखित सूचना देने के पश्चात् इस बात का हकदार होगा कि वह अवक्रेता को समाप्ति की लिखित सूचना देकर करार को समाप्त कर दे:

परन्तु यदि अवक्रेता स्वामी को बकाया भाड़े और उसके साथ उस पर ऐसे ब्याज का, जो करार के निबन्धनों के अधीन संदेय हो, संदाय या निविदान, यथास्थिति, एक सप्ताह या दो सप्ताह की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व कर देता है तो स्वामी करार को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(2) जहां अवक्रेता—

(क) करार के सम्बन्धित माल के बारे में कोई ऐसा कार्य करता है जो करार के निबन्धनों से असंगत है, अथवा

(ख) कोई ऐसी अभिव्यक्त शर्त भंग करता है जिसमें यह उपबन्ध है कि उसके भंग होने पर स्वामी करार समाप्त कर सकता है,

वहां स्वामी धारा 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस बात का हकदार होगा कि वह अवक्रेता को करार की समाप्ति की लिखित सूचना देकर उसे समाप्त कर दे।

अवक्रय करार की समाप्ति पर स्वामी के अधिकार।

19. जहां कोई अवक्रय-करार इस अधिनियम के अधीन समाप्त किया जाता है वहां स्वामी इस बात का हकदार होगा कि वह—

(क) उस भाड़े को, जिसका पहले संदाय किया जा चुका है, रखे रहे और देय भाड़े की बकाया को वसूल कर ले:

परन्तु जब स्वामी ऐसे माल का अभिग्रहण करता है तब भाड़े को रखे रहना और देय भाड़े की बकाया की वसूली धारा 17 के उपबन्धों के अधीन होगी;

(ख) यदि करार में ऐसा उपबन्ध है तो आरम्भिक निक्षेप का समपहरण धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कर ले;

(ग) धारा 17 और धारा 20 के उपबन्धों और किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए अवक्रेता के परिसर में प्रवेश करे और माल का अभिग्रहण कर ले;

(घ) धारा 21 और 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए माल का कब्जा धारा 20 के अधीन आवेदन करके या वाद द्वारा वापस ले ले;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 15 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस तारीख से, जिसको समाप्ति प्रभावी हो, उस तारीख तक, जिसको माल का परिदान स्वामी को किया जाए या स्वामी द्वारा माल का अभिग्रहण किया जाए, माल का परिदान न किए जाने के लिए नुकसानी प्राप्त करे।

न्यायालय से भिन्न माध्यम द्वारा माल का कब्जा वापस लेने के स्वामी के अधिकार पर निर्बन्धन।

20. (1) जहां माल किसी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिया गया है और अवक्रेता या किसी प्रतिभू द्वारा या उसकी ओर से अवक्रय-कीमत के कानूनी अनुपात का संदाय किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में या अन्यथा कर दिया गया है या उसका निविदान कर दिया गया है वहां स्वामी अवक्रेता से माल का कब्जा वापस ले लेने के किसी अधिकार का प्रवर्तन उपधारा (3) के अनुसार या वाद द्वारा ही करा सकता है, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कानूनी अनुपात" से अभिप्रेत है—

(i) जहां अवक्रय-कीमत पन्द्रह हजार रुपए से कम है वहां आधा, तथा

(ii) जहां अवक्रय कीमत पन्द्रह हजार रुपए से कम नहीं है, वहां तीन-चौथाई:

परन्तु मोटर यान अधिनियम, 1939 में परिभाषित मोटर यान की दशा में "कानूनी अनुपात" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) जहां अवक्रय-कीमत पांच हजार रुपए से कम है वहां आधा;

(ii) जहां अवक्रय-कीमत पांच हजार रुपए से कम नहीं है किन्तु पन्द्रह हजार रुपए से कम है, वहां तीन-चौथाई;

(iii) जहां अवक्रय-कीमत पन्द्रह हजार रुपए से कम नहीं है वहां तीन-चौथाई, या इससे अधिक ऐसा अनुपात जो नव-दशांश से अधिक न हो, और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(2) यदि स्वामी माल का कब्जा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में वापस ले लेता है तो अवक्रय-करार उस दशा में समाप्त हो जाएगा जब वह पहले ही समाप्त नहीं हुआ है और—

(क) करार के अधीन सभी दायित्वों से अवक्रेता निर्मुक्त हो जाएगा और वह स्वामी से उन सब राशियों को वसूल कर लेने का हकदार होगा जिनका संदाय उसने करार के अधीन या करार के बारे में अपने द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति के अधीन किया हो; तथा—

(ख) कोई भी प्रतिभू उन सब राशियों को स्वामी से वसूल कर लेने का हकदार होगा जिनका संदाय उसने प्रत्याभूति की संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति के अधीन किया हो।

(3) जहां स्वामी माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने से उपधारा (1) के उपबन्धों के कारण प्रवारित हो जाता है, वहां वह माल के कब्जे की वापसी के लिए किसी ऐसे न्यायालय से आवेदन कर सकता है जिसे उस अनुतोष के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता है।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिसमें अवक्रेता ने करार को अपने में निहित किसी अधिकार के आधार पर समाप्त कर दिया है।

भाड़े का संदाय न किए जाने के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।

21. जहां स्वामी धारा 17 के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अपने द्वारा अवक्रय-करार समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् माल की वापसी के लिए अवक्रेता के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करता है या आवेदन करता है और वाद या आवेदन की सुनवाई के अवसर पर अवक्रेता भाड़े की बकाया का संदाय या निविदान, उस पर ऐसे ब्याज सहित जो करार के निबन्धनों के अधीन संदेय हो, और वाद या आवेदन के ऐसे खर्च सहित, जिसे स्वामी ने उपगत किया हो, स्वामी को कर देता है और ऐसी अन्य शर्तों का, यदि कोई हों, जो न्यायालय अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन कर देता है वहां न्यायालय विनिर्दिष्ट परिदान के लिए डिक्री या आदेश करने के स्थान पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो अवक्रेता को करार की समाप्ति से मुक्त कर दे; और तब माल पर अवक्रेता का कब्जा ऐसे बना रहेगा मानो करार समाप्त नहीं हुआ था।

अप्राधिकृत कार्य के कारण या अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण होने वाली समाप्ति से मुक्ति।

22. जहां कोई अवक्रय-करार धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर दिया गया है वहां माल की वापसी के लिए स्वामी अवक्रेता के विरुद्ध कोई वाद या आवेदन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने अवक्रेता पर ऐसी लिखित सूचना की तामील न कर दी हो जिसमें—

(क) वह विशिष्ट भंग या कार्य विनिर्दिष्ट हो जिसके बारे में परिवाद किया गया है, तथा

(ख) यदि भंग या कार्य ऐसा है जिसका उपचार हो सकता है तो अवक्रेता से उसका उपचार करने की अपेक्षा की गई हो,

और यदि उस भंग या कार्य का उपचार हो सकता है, तो अवक्रेता सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भंग या कार्य का उपचार करने में असफल रहा है।

प्रतिलिपियों और जानकारी देने की स्वामी की बाध्यता।

23. (1) स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह अवक्रय-करार की अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सही प्रतिलिपि कोई खर्चा लिए बिना—

(क) अवक्रेता को करार के निष्पादन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र दे; तथा

(ख) जहां कोई प्रत्याभूति की संविदा है वहां करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिभू को उसके मांगने पर दे।

(2) स्वामी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह अवक्रय-करार के अधीन अन्तिम संदाय किए जाने के पूर्व किसी भी समय अवक्रेता से इस निमित्त लिखित प्रार्थना प्राप्त होने और उसके द्वारा स्वामी को व्यय के निमित्त

एक रुपया निविदत्त किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर अवक्रेता को अपने या अपने अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक ऐसा विवरण दे जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शित हों—

(क) अवक्रेता द्वारा या उसकी ओर से संदत्त रकम;

(ख) वह रकम जो करार के अधीन देय हो गई है किन्तु जिसका संदाय नहीं किया गया है और वह तारीख जिसको संदाय न की गई प्रत्येक किस्त देय हो गई थी और ऐसी प्रत्येक किस्त की रकम; तथा

(ग) वह रकम जो करार के अधीन संदेय होने वाली है और वह तारीख या उस तारीख को अवधारित करने का ढंग, जिसको आगामी प्रत्येक किस्त संदेय होने वाली है और ऐसी प्रत्येक किस्त की रकम।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अधिरोपित उचित कर्तव्यों का निर्वहन करने में उचित कारण के बिना कोई असफलता हुई है वहां जब तक व्यतिक्रम चालू रहेगा तब तक—

(क) स्वामी करार को अवक्रेता के विरुद्ध प्रवर्तित कराने या करार से सम्बन्धित किसी प्रत्याभूति की संविदा को प्रवर्तित कराने या अवक्रेता से माल वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने का हकदार नहीं होगा; तथा

(ख) करार के अधीन संदेय धन की बाबत अवक्रेता द्वारा दी गई या किसी यथा-पूर्वोक्त प्रत्याभूति की संविदा के अधीन संदेय धन की बाबत प्रतिभू द्वारा दी गई कोई भी प्रतिभूति उसके किसी भी धारक द्वारा अवक्रेता या प्रतिभू के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगी;

और यदि व्यतिक्रम दो मास की अवधिपर्यन्त चालू रहेगा तो स्वामी जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्वामी या अवक्रेता के विरुद्ध या स्वामी और अवक्रेता दोनों के विरुद्ध किसी ऐसे भार या विल्लंगम को, जिसके अधीन अवक्रय-करार का माल है, प्रवर्तित कराने के किसी पर-व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव डालती है।

अध्याय 6

धन के संदाय से भिन्न रूप में कीमत का चुकाया जाना।

24. जहां किसी स्वामी ने यह करार किया है कि अवक्रय-कीमत का कोई भाग धन के संदाय से भिन्न रूप में चुकाया जा सकता है, वहां ऐसा चुकाया जाना धारा 10, धारा 11, धारा 17, धारा 20 और धारा 23 के प्रयोजनों के लिए अवक्रय-कीमत के उस भाग का संदाय समझा जाएगा।

अवक्रेता का दिवाला आदि।

25. (1) जहां अवक्रय-करार के चालू रहने के दौरान, अवक्रेता दिवाले से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है वहां शासकीय रिसीवर को, या जहां अवक्रेता कोई कम्पनी है वहां उस कम्पनी के परिसमापन पर समापक को उस माल के बारे में, जो करार के अधीन अवक्रेता के कब्जे में है, वे सब अधिकार होंगे जो उसके संबंध में अवक्रेता के थे और वह उन सभी बाध्यताओं के अधीन रहेगा जिनके अधीन अवक्रेता था।

(2) शासकीय रिसीवर या समापक, यथास्थिति, दिवाला न्यायालय की या उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिसमें परिसमापन कार्यवाही चल रही हो, अवक्रेता के उन अधिकारों का, जो उस करार के अधीन थे, समनुदेशन किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकता है और समनुदेशिती को वे सब अधिकार होंगे जो करार के अधीन अवक्रेता के थे और वह उन सभी बाध्यताओं के अधीन होगा जिनके अधीन अवक्रेता था।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "शासकीय रिसीवर" से प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन नियुक्त शासकीय रिसीवर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत दिवाले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई वैसा ही पद धारण करने वाला व्यक्ति भी है। 1920 का 5

एक ही पक्षकारों के बीच आनुक्रमिक अवक्रय-करार।

26. जहां माल किसी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिया गया है और तत्पश्चात् किसी भी समय स्वामी अवक्रेता के साथ कोई पश्चात्वर्ती अवक्रय-करार करता है, चाहे वह अन्य माल के संबंध में अनन्यतः हो या प्रथम करार से संबंधित माल के साथ ही साथ किसी अन्य माल के संबंध में हो, वहां ऐसे पश्चात्वर्ती अवक्रय-करार का वहां तक कोई प्रभाव नहीं होगा जहां तक वह किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो अवक्रेता को, यदि ऐसा पश्चात्वर्ती अवक्रय-करार न किया गया होता तो, प्रथम करार के अधीन धारा 20 के आधार पर होता।

माल का कब्जा वापस लेने के लिए वाद या आवेदन में प्रतिकूल निरोध का साक्ष्य।

27. (1) जहां किसी अवक्रय-करार के अधीन भाड़े पर दिए गए माल के स्वामी द्वारा दिए गए ऐसे वाद या आवेदन में, जो अवक्रेता से माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए है, स्वामी यह साबित कर देता है कि उस वाद या आवेदन के प्रारम्भ होने के पूर्व और माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार के प्रोद्भूत होने के पश्चात् स्वामी ने अवक्रेता से यह लिखित प्रार्थना की थी कि वह माल का अभ्यर्पण कर दे, वहां माल पर अवक्रेता का कब्जा उस माल के कब्जे को वापस कराने के लिए स्वामी के दावे के प्रयोजन के लिए स्वामी के प्रतिकूल समझा जाएगा।

(2) इस धारा की कोई भी बात संपरिवर्तन के लिए नुकसानी के किसी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अवक्रेता द्वारा माल का अभ्यर्पण इंकार करने से कुछ दशाओं में माल का संपरिवर्तन न होना।

28. अवक्रेता से माल का कब्जा वापस लेने के अधिकार का स्वामी द्वारा प्रवर्तन इस अधिनियम के आधार पर जिस निर्बन्धन के अधीन है उस निर्बन्धन के विद्यमान् रहते हुए यदि अवक्रेता स्वामी को माल का कब्जा देने से इन्कार करता है तो अवक्रेता ऐसा इन्कार करने के कारण मात्र से माल के संपरिवर्तन के लिए स्वामी के प्रति दायी नहीं होगा।

सूचना की तामील।

29. कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन या अवक्रेता पर तामील की जाने या उसे दी जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत है—

(क) उसे व्यक्तिगत रूप से देकर, अथवा

(ख) उसके अन्तिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेज कर,

तामील की जा सकती है या दी जा सकती है

कुछ दशाओं में धारा 6, 9, 10, 12 और 17 के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति

30. जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी माल या किसी वर्ग के माल के अल्प प्रदाय को, अथवा

(ख) किसी माल या किसी वर्ग के माल के उपयोग या आशयित उपयोग को और उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा ऐसे माल या ऐसे वर्ग के माल का उपयोग किया जाता है या उपयोग का किया जाना आशयित है, अथवा

(ग) किसी माल या किसी वर्ग के माल के व्यापार या वाणिज्य पर अधिरोपित निर्बन्धनों को, अथवा

(घ) किसी माल या किसी वर्ग के माल के संबंध में की किसी अन्य परिस्थिति को, ध्यान में रखते हुए ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसे माल या ऐसे वर्ग के माल से संबंधित अवक्रय-करारों को धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), धारा 9, धारा 10, धारा 12 और धारा 17 या इनमें से कोई लागू नहीं होगी। या ऐसे उपान्तरों के साथ लागू होगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अधिनियम का विद्यमान करारों पर लागू न होना।

31. यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए किसी अवक्रय-करार के संबंध में लागू नहीं होगा।

PLD-92-CLXVIII (Hindi)
100-2000—DSK-IV

मूल्य: रु० 868.00 विदेश £ 12.76 तथा 18.46 सेन्ट्स

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय (फोटोलिथो यूनिट), मिन्टो रोड, नई दिल्ली,
द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—2001